ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 10 | मई 2023 / Issue 02 | मूल्य: ₹ 55

dhyeyaias.com

भारत के न्यूक्लियर लाईबिलिटी लॉ से जुड़े मूलभूत आयाम और भारत के नाभिकीय व्यापार की स्थिति

- ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान: ऊर्जा दक्षता और क्षमता बढ़ाने में कितना सहायक
- सूडान में भारत की कार्यवाही और अफ्रीका में भारत के व्यापक हितों की रणनीति
- भारत में नक्सली हमलों से निपटने की व्यावहारिक रणनीति की आवश्यकता
- राज्यपालों द्वारा विधेयक को रोकने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश का औचित्य
- भारत में मनी लांड्रिंग कानून में हालिया बदलाव और कुछ अन्य संशोधन की जरूरत
- ईको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का महत्त्व

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, प्रत्येक 15 दिन में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही केस स्टडी खंड के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम PMI (Pre + Mains + Interview) की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-

+91 6393005298

perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

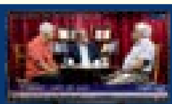

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

पहला पन्ना

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

ध्येयIAS

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

प्रबंध संपादक : विजय सिंह
: बाघेन्द्र सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
प्रकाशन प्रबंधन : डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग : दीपक त्रिपाठी
: सल्तनत परवीन
: नितिन अस्थाना
: ऋषिका तिवारी
: ऋतु, प्रत्यूषा
: नीरज, लोकेश
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक : शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग एवं : अरूण मिश्र
डेवलपमेंट : पुनीष जैन
सोशल मीडिया : केशरी पाण्डेय
सहयोग : जीवन ज्योति
मार्केटिंग सहयोग : रवीश, प्रियांक
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख 5-19

1. ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान: ऊर्जा दक्षता और क्षमता में कितना सहायक
2. सूडान में भारत की कार्यवाही और अफ्रीका में भारत के व्यापक हितों की रणनीति
3. भारत में नक्सली हमलों से निपटने की व्यावहारिक रणनीति की आवश्यकता
4. राज्यपालों द्वारा विधेयक को रोकने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश का औचित्य
5. भारत में मनी लांड्रिंग कानून में हालिया बदलाव और कुछ अन्य संशोधन की जरूरत
6. ईको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का महत्त्व
7. भारत के न्यूक्लियर लाईबिलिटी लॉ से जुड़े मूलभूत आयाम और भारत के नाभिकीय व्यापार की स्थिति

राष्ट्रीय 20-24
अंतर्राष्ट्रीय 25-29
पर्यावरण 30-34
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 35-39
आर्थिकी 40-44
विविध 45-49
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 50-53
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ... 54
ब्रेन-बूस्टर 55-61
प्रीलिम्स आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 62-67
समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 68-69
व्यक्तित्व 70

साभार:- PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

आगामी अंक में

- द केरल स्टोरी: विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे
- हिंद महासागर सम्मेलन के जरिए भारत की महासागरीय कूटनीति
- राष्ट्रीय सुरक्षा में नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी की भूमिका का मूल्यांकन
- समुद्री जैव विविधता के समक्ष उभरते नए खतरे
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और भारत की सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमैसी
- एथनॉल क्षेत्र भारत के महत्त्वपूर्ण निर्णय और संबंधित उपलब्धियां
- जी-20 की जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का महत्त्व

ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लानः ऊर्जा दक्षता और क्षमता बढ़ाने में कितना सहायक

"जैसा कि कहा जाता है, पाषाण युग इसलिए समाप्त नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास पत्थर खत्म हो गए थे; बल्कि हमने बेहतर समाधानों की ओर रुख किया था। ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में भी यही अवसर हमारे सामने है।"- **स्टीवन चू, नोबेल पुरस्कार विजेता**

मसौदा राष्ट्रीय विद्युत योजनाः

- जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में ऊर्जा दक्षता की महत्त्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) के मसौदे को अंतिम रूप दिया है, जिस पर राज्यों और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) से सुझाव मांगे गये हैं।
- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3(4) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करने और पांच वर्षों में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने एनईपी को तैयार किया है जिसमें विद्युत क्षेत्र में वृद्धि के साथ ही उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम दोहन पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। पहली बार एनईपी 2005 में तैयार की गयी थी। अब एनईपी का पुनः परीक्षण किया जा रहा है जिसमें तीव्र वेग से होने वाले जलवायु परिवर्तन पर विचार करने के साथ ही तकनीकी सुधार और राष्ट्र के लिए बढ़ती विद्युत की आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी है।

मसौदा राष्ट्रीय विद्युत योजना की विशेषताएंः

- नई मसौदा नीति सरकार की ऊर्जा परिवर्तन योजनाओं की पृष्ठभूमि में आती है, जिसमें सरकार की योजना 2030 तक 500 गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शून्य कार्बन तटस्थता हासिल करने की है। नई नीति का दृष्टिकोण 'वित्तीय रूप से व्यवहार्य व पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बिजली क्षेत्र का निर्माण करना है जो ऊर्जा सुरक्षा को आगे बढ़ाएगा और उचित मूल्य पर विश्वसनीय 24x7 विद्युत प्रदान करेगा।'
- इसके साथ ही इस नीति का उद्देश्य डी-कार्बनीकरण और ऊर्जा संक्रमण, लचीला ग्रिड सिस्टम, विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता व उपभोक्ता केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाना है। एनईपी 2021 के मसौदे का उद्देश्य ई-ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि करना, विद्युत की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने और सतत विकास प्राप्त करने हेतु ई-ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना है।
- भारत की ऊर्जा मांग इसकी आपूर्ति से अधिक होने के साथ, निस्संदेह ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस संबंध में एनईपी ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के संभावित स्रोतों के रूप में थर्मल पावर, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान करता है।
- ऊर्जा तक सभी की सहज पहुंच राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, एनईपी उन क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से विद्युत के वितरित उत्पादन हेतु एक तंत्र निर्धारित करता है, जहां माइक्रोग्रिड्स के साथ ऐसी प्रणालियों को एकीकृत करके मुख्य ग्रिड के माध्यम से बिजली प्रदान करना संभव नहीं है।
- नवीकरणीय विद्युत उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए, एनईपी यह भी प्रस्तावित करता है कि ऐसी वितरित उत्पादन प्रणालियां सार्वजनिक कार्यालयों में स्थापित की जाएं।
- एनईपी एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है जो भारत को सतत विकास की ओर ले जाएगा। यह कच्चे माल के स्वदेशीकरण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा जोखिमों को दूर करने और उचित आपदा प्रबंधन ढांचे के पक्ष में एक मजबूत पहल करता है। एनईपी एक आत्मनिर्भर ऊर्जा अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत के दृष्टिकोण की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट इंडिया का लक्ष्यः

- देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 100 साल पूरा होने तक (2047 तक) भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की घोषणा की। इस निर्धारित लक्ष्य में गैस आधारित अर्थव्यवस्था, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक नेटवर्क (LNG Network), पाइप्ड प्राकृतिक गैस और देश को हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति, पेट्रोल इथेनॉल के मिश्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत सरकार आज हाइब्रिड एनर्जी की अवधारणा पर भी काम कर रही है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के एक अध्ययन के अनुसार, भारत 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा।
- 'पाथवेज टू आत्मनिर्भर भारत' शीर्षक वाले अध्ययन में यह भी कहा गया है कि आने वाले दशकों में भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को $3 ट्रिलियन के निवेश की आवश्यकता है। ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने से भारत के लिए महत्त्वपूर्ण आर्थिक, पर्यावरण ीय और ऊर्जा लाभ उत्पन्न होंगे, जिसमें 2047 तक उपभोक्ता बचत में $2.5 ट्रिलियन शामिल हैं। जीवाश्म ईंधन आयात व्यय को 90 प्रतिशत या $240 बिलियन प्रति वर्ष कम करना, वैश्विक स्तर पर भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और शेड्यूल से पहले अपनी नेट-जीरो प्रतिबद्धता को सक्षम करना शामिल हैं। ईवी और ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्वच्छ तकनीकों की ओर बढ़ने की दिशा में तेजी से कार्य भी हो रहा है।

भारत में ऊर्जा दक्षता संबंधी पहलेंः

- ऊर्जा दक्षता का सीधा सा मतलब है कि समान कार्य करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग करना यानी ऊर्जा की बर्बादी को

खत्म करना। ऊर्जा दक्षता कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है, जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा आयात की मांग को कम करने के साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था स्तर पर हमारी लागत को कम करना। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां भी इन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करती हैं। ऊर्जा दक्षता में सुधार करना सबसे सस्ता है और अक्सर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने का सबसे तात्कालिक तरीका है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह भवन हो, परिवहन हो, उद्योग हो या ऊर्जा उत्पादन, कार्यकुशलता में सुधार के असीम अवसर हैं।

- भारत जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती से निपटने में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है और वर्ष 2005 के स्तर के मुकाबले 2030 में उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के लिए प्रतिबद्ध है।
- भारत 2020 तक अपनी घोषित स्वैच्छिक शमन कार्यवाही को पूरा करने वाले बहुत कम देशों में से एक था। प्रस्तावित एनडीसी के अनुसार, भारत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मदद से 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्रौद्योगिकी हस्तातंरण के साथ ही, ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) जैसे कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त तक पहुंच के माध्यम से पूरा किया जायेगा।
- भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण (EC) अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की। एक अर्द्ध विनियामक संस्था के रूप में बीईई का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाजार सिद्धांतों के अनुरूप नीति निर्माण करना है।
- **ईसी अधिनियम, 2001 के व्यापक उद्देश्य हैं:** विनियमन, भागीदारी और लागत प्रभावी उपायों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता व संरक्षण को तीव्र गति से अपनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना है।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने में नेतृत्वकर्त्ता की भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में न्यूनतम वृद्धि सुनिश्चित करते हुए अपने नागरिकों की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वैश्विक उत्सर्जन से पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति न हो।
- उत्पादन पक्ष में सरकार मुख्य रूप से सौर तथा पवन के माध्यम से ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा दे रही है। साथ ही कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
- मांग पक्ष में सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के समग्र दायरे के तहत दक्षता में सुधार की दिशा में लक्षित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- स्वच्छ ऊर्जा की ओर अर्थव्यवस्था के संक्रमण में ऊर्जा दक्षता प्रमुख स्तंभों में से एक है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता की दिशा में प्रगति की है, जिसमें ऊर्जा दक्षता बिल्डिंग कोड, संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन और परिवहन क्षेत्र के लिए ईंधन खपत मानकों जैसे उपायों को शामिल किया गया है।

जलवायु परिवर्तन में ऊर्जा दक्षता की भूमिका:

- ऊर्जा दक्षता कई पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है। जैसे यह विशेष रूप से जीएचजी उत्सर्जन को कम करता है, जीवाश्म ईंधन दहन या खपत से प्रत्यक्ष उत्सर्जन और बिजली उत्पादन से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी करता है।
- ऊर्जा दक्षता उन प्रमुख प्रक्रियाओं में से एक है जिससे दुनिया कम ऊर्जा उपयोग के साथ ऊर्जा सेवा की मांग को पूरा कर सकती है, जो कि जलवायु परिवर्तन के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के लिए अंतर सरकारी पैनल को प्राप्त करने के लक्ष्य हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- आईईए सतत विकास परिदृश्य के अनुसार, ऊर्जा दक्षता 2040 तक आवश्यक उत्सर्जन कमी के 40% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। वैश्विक विकास को बनाए रखने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास का समर्थन करने से खपत की आदतों में तीव्र वृद्धि होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए मौजूदा ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन की आवश्यकता है। ऊर्जा दक्षता 'पहला स्रोत' है जो कम लागत पर शुद्ध शून्य ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन कर सकता है और समाज के लिए व्यापक लाभ प्रदान कर सकता है।
- डिजिटल प्रौद्योगिकियां ऊर्जा परिदृश्य को बदल रही हैं और दक्षता समाधानों की एक नई पीढ़ी तैयार कर रही हैं। नए डिजिटल समाधान उत्पादन और वितरण घाटे को सीमित कर सकते हैं। हाल के वर्षों में, इमारतों में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी स्मार्ट हो गई है, बाहरी डेटा स्रोतों को एकीकृत करना, जैसे मौसम की स्थिति, ट्रैफिक पैटर्न इत्यादि। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, ये उन्नत प्रणालियाँ ऊर्जा की माँग का पूर्वानुमान लगा सकती हैं और प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार कर सकती हैं।

आगे की राह:

पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देश की समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक है। अपेक्षित विद्युत अवसंरचना का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है। नई विद्युत योजना के मसौदे का फोकस भारत के आत्मनिर्भर ऊर्जा अर्थव्यवस्था बनने के लिए राष्ट्रीय टैरिफ नीति और विद्युत अधिनियम, 2003 में सामंजस्यपूर्ण संशोधनों का समर्थन करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'छोटे कार्य बड़े सुधार ला सकते हैं जो मामूली प्रतीत होते हैं, वह वास्तव में महत्त्वपूर्ण और मौलिक हो सकते हैं। ऐसे में, 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करना ध्यान आकर्षित करता है, जो महत्त्वपूर्ण है। ऊर्जा दक्षता के लिए जन आंदोलन से 20,000 मेगावाट बिजली की बचत की गई।'

सूडान में भारत की कार्यवाही और अफ्रीका में भारत के व्यापक हितों की रणनीति

जब एक देश में सेना और अर्धसैनिक बल में ही विवाद शुरू हो जाए तो उस देश में सुरक्षा की क्या स्थिति होगी? इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब किसी अफ्रीकी देश में वहां की मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स में पूरे देश की सत्ता पर नियंत्रण के लिए संघर्ष होने लगे तो इससे शांति सुरक्षा और स्थिरता गंभीर तौर पर पर प्रभावित हो जाती है। अफ्रीका के कई देशों में सत्ता पर नियंत्रण, नृजाति संघर्ष, गृह युद्ध की स्थितियां समय-समय पर पूरे महाद्वीप को प्रभावित करती रही हैं। लोकतांत्रिक चुनाव बनाम सैन्य सरकार, नागरिक शासन (सिविलियन गवर्नमेंट) बनाम अधिनायकवादी सरकार की समस्या से अफ्रीकी देश संघर्ष करते रहे हैं। इससे नृजाति अथवा जातीय संहार (जेनोसाइड और एथनिक क्लिनजिंग) को बढावा मिला है। ऐसा ही कुछ फिर से अफ्रीकी देश सूडान में हुआ है।

सूडान की सेना और अर्ध सैनिक बल के बीच संघर्ष में घिरा देश:

- सूडान की सेना और उसके प्रतिद्वंद्वी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) दोनों के बीच गंभीर संघर्ष ने कुछ समय पहले सूडान में अशांति व अस्थिरता को एक बार फिर से बढावा दिया। खार्तूम के एयरपोर्ट और शहर के अन्य अहम ठिकानों पर नियंत्रण होने का दावा दोनों पक्षों ने किया। यह संघर्ष सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की माँग को लेकर शुरू हुआ था। अक्तूबर 2021 में देश में हुए तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम सरकार और सेना के बीच लगातार टकराव होता आ रहा है।
- सूडान को सॉवरेन काउंसिल के जरिए सेना ही चला रही है। इसके सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान हैं। वही जनरल अल बुरहान की समर्थक सेना और देश के दूसरे नंबर के नेता यानी आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान डगालो में से सत्ता नियंत्रण के मुद्दे पर कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सूडान में अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स को सेना में मिलाने की योजना है, जिसे लेकर सालों से विवाद भी रहा है। अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स प्रमुख का कहना है कि सेना के सभी ठिकानों पर कब्जा होने तक उनकी लड़ाई चलती रहेगी। वहीं सेना ने बातचीत की किसी संभावना को नकारते हुए कहा है कि अर्धसैनिक बल आरएसएफ के भंग होने तक उनकी कार्यवाही जारी रहेगी। इस प्रकार सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच एक बार फिर शुरु हुए हालिया भीषण संघर्ष से पूरा देश प्रभावित हुआ है।
- अफ्रीकी देश सूडान की सेना से अलग इतने मजबूत अर्ध सैनिक सुरक्षा बल का होना, सूडान की अस्थिरता की वजह माना जाता रहा है। रैपिड सपोर्ट फोर्स की उत्पत्ति सूडान के कुख्यात 'जंजावीद' विद्रोही संगठन के रूप में हुई थी जिसने दारफूर में विद्रोहियों के खिलाफ क्रूरता से लड़ाई लड़ी थी। उस दौरान इस पर बड़े पैमाने पर नृजातीय हिंसा करने का आरोप लगा था।
- कुछ समय पहले तक सूडान की सेना के वर्तमान प्रमुख तथा देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता और आरएसएफ के प्रमुख सहयोगी थे जिन्होंने 2019 में सूडान के राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को अपदस्थ करने के लिए एक साथ काम किया था तथा 2021 में सैन्य तख्तापलट में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश में नागरिक शासन को बहाल करने की योजना के हिस्से के रूप में आरएसएफ को देश की सेना में एकीकृत करने हेतु बातचीत के दौरान तनाव उत्पन्न हुआ जो सूडान में सिविल वार का कारण बना हुआ है। हालांकि, नागरिक शासन को बहाल करने की योजना के हिस्से के रूप में आरएसएफ को देश की सेना में एकीकृत करने के लिए बातचीत के दौरान तनाव उत्पन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के प्रमुख इस समय सूडान के सत्ताधारी सावरेन काउंसिल के डेप्युटी हेड हैं। 2013 में सूडान के भूतपूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर द्वारा रैपिड सपोर्ट फोर्स को बनाने के पहले यह 2000 के दशक में जंजावीद मिलीशिया के रूप में उमर अल बशीर द्वारा ही बनाया गया था। इसका इस्तेमाल उमर अल बशीर ने दारफूर क्षेत्र में अपने सत्ता के खिलाफ होने वाले विद्रोहों को दबाने के लिए किया था।
- दारफूर में हुई दमनकारी हिंसा में 2000 के बाद से लगभग 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 2.5 मिलियन लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी दारफूर में हुई हिंसा के आधार पर सूडान के सरकारी अधिकारियों और प्रशासन पर मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और युद्ध बंदियों के प्रति अपराध का आरोप लगाकर मुकदमा चलाने की कोशिश की, लेकिन सूडान के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मानने से इंकार कर दिया। कालांतर में जंजावीद मिलीशिया अधिक मजबूत हुई और उसे 2013 में रैपिड सपोर्ट फोर्स के रूप में बदल दिया गया। इसका प्रयोग सूडान के राष्ट्रपति ने बॉर्डर गार्ड्स के रूप में कराना शुरू किया। वर्ष 2015 से अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स को सूडान की आर्मी, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सेना के साथ यमन के खिलाफ सैन्य अभियान (हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्यवाही) में भेजा जाने लगा। 2015 में ही रैपिड सपोर्ट फोर्स को सूडान में 'रेगुलर फोर्स (नियमित बल) का दर्जा मिला था। 2017 में सूडान में एक कानून बनाकर रैपिड सपोर्ट फोर्स को एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी फोर्स बनाया गया। इसके चलते इस अर्ध सैनिक बल और इसके प्रमुख की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाए बढ़ती गई जिसने ठान लिया कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी लड़नी हो तो भी पीछे नहीं हटेंगे।
- दारफूर क्षेत्र के अलावा इस अर्ध सैनिक बल के सैनिकों को ब्लू नील और साउथ कोरदोफान जैसे राज्यों में भी सत्ता विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए तैनात किया गया। इन इलाकों में इस पर मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा। ह्यूमन राइट्स वाच ने इसके सैनिकों को 'मैन विद नो मर्सी' तक की संज्ञा दी थी। जैसे-जैसे रैपिड सपोर्ट फोर्स और उसके प्रमुख डगालो की भूमिका

सूडान के सुरक्षा मामलों में बहुत अधिक बढ़ी तो सूडान की सेना और उसके प्रमुख को इस बात का भय सताने लगा कि रैपिड सपोर्ट फोर्स कहीं सुरक्षा के सभी कार्यों को अपने हाथ में लेते हुए देश के शासन पर पूरी तरह से नियंत्रण न स्थापित कर ले। यही वजह है कि सूडान की सेना और इस अर्ध सैनिक बल के बीच अप्रैल माह में भीषण संघर्ष शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए।

सूडान में भारतीय हित:

- वर्तमान समय में भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों के बीच वस्तुओं के आयात-निर्यात का प्रमुख माध्यम समुद्री मार्ग है। इसलिए समुद्री व्यापारिक मार्ग के सुरक्षित होने की महत्ता निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत के हितों के संदर्भ में सूडान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए तो भौगोलिक रूप से वह स्वेज नहर और भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने के कारण भारत के व्यापार संबंधों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की भारत की नीति में सूडान समेत नाइजीरिया और अंगोला उसके अभिन्न अंग हैं, जिनके साथ संबंध विकसित करके उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सूडान को भारत ने राजनीतिक और राजनयिक समर्थन दिया है, जिससे उसे ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण पैठ बनाने की इजाजत मिली है। भारत को सूडान ने अपने प्रति पश्चिमी अलगाव और चीन के बढ़ते प्रभुत्व से उबरने के लिए एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा है।
- भारत के अफ्रीकी क्षेत्र के कई देशों नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, चाड, घाना और कोटे डी आइवरी के साथ व्यापारिक संबंध हैं। इन अफ्रीकी देशों का भारत के कुल तेल आयात में लगभग 15 प्रतिशत या 34 मिलियन टन का योगदान है। इन देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी करने के लिए सूडान में स्थिरता आवश्यक है। सूडान में युद्धरत गुट अमेरिका-सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद 72 घंटे के युद्धविराम के लिए जैसे ही सहमत हुए, कई देशों ने अपने नागरिकों को संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से तेजी से निकाला। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सतर्कता बरतने के साथ अपने घरों में रहने की सलाह दी थी।
- हिंसा के समय सूडान में करीब 4,000 भारतीय रह रहे थे। सूडान हिंसा के संदर्भ में विदेश मंत्री एस. जयशंकर का भी बयान आया था जिसमें उनका कहना था कि खार्तूम में मौजूदा स्थिति काफी चिंताजनक है और भारत इस पर निगरानी रख रहा है। हिंसाग्रस्त सूडान की राजधानी खार्तूम में एक भारतीय की मौत होने की खबर भी सामने आई थी। खार्तूम स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि अल्बर्ट ऑगस्टाइन नाम का व्यक्ति जो सूडान में डल ग्रुप के साथ काम कर रहा था, उसकी गोली लगने से मौत हो गई।
- हिंसाग्रस्त सूडान में भारत सरकार द्वारा 'ऑपरेशन कावेरी' के तहत युद्ध क्षेत्र में फंसे करीब 3862 भारतीयों को निकाला गया। इसके साथ ही ऑपरेशन कावेरी की जिम्मेदारी पूरी होने के साथ ही भारत सरकार ने इस अभियान का हाल ही में समापन भी कर दिया है। 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानों और 5 भारतीय नौसेना के जहाज के माध्यम से लोगों को सूडान से सऊदी अरब के जेद्दा ले जाया गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ट्वीट कर कहा था कि यह यूक्रेन से भारतीयों की निकासी के बाद, नई दिल्ली के द्वारा अपने देश के नागरिकों को सकुशल देश वापस लाने के लिए किया गया दूसरा बड़ा अभियान है। इससे पूर्व भारत सरकार 2015 में ऑपरेशन संकटमोचन के जरिए भी भारतीयों को सूडान के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों से निकाल चुकी है। आज विश्व समुदाय को खासकर पश्चिमी ताकतों को सूडान में शांति स्थापना के लिए प्रभावी प्रयास करने हेतु कूटनीति को तेज करने की जरूरत है। चूंकि सूडान ओपेक का सदस्य भी है और एक पेट्रोलियम निर्यातक देश है, उसकी स्थिरता अफ्रीकी महाद्वीप की स्थिरता व सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनामी के विकास की दृष्टि से भी यह आवश्यक है।

भारत में नक्सली हमलों से निपटने हेतु व्यावहारिक रणनीति की आवश्यकता

भारत सरकार ने देश को वामपंथी उग्रवाद मुक्त यानी नक्सलवाद और माओवाद मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक्टिव मोड पर लगा दिया है। प्रभावी उपाय भी हुए और गृह मंत्रालय दावा करने लगा था कि पिछले एक साल में कई इलाकों को नक्सलवाद मुक्त कर दिया गया है। इन दावों के बीच एक गंभीर नक्सली हमला कुछ ही समय पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुआ जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स के जवान जब एक ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने उनके वाहन को आईईडी से उड़ा दिया। नक्सलियों ने अरनपुर के पालनार क्षेत्र में जवानों से भरी गाड़ी पर ये कायरतापूर्ण हमला किया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीआरजी ग्रुप पर हमले की जांच कर रही एनआईए की जांच बिहार झारखंड तक इसी सिलसिले में पहुंची। केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने इन दोनों राज्यों में 14 से अधिक ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। यह सर्च ऑपरेशन सीपीआई (माओवादी) से जुड़े लोगों या उनके समर्थकों के ठिकानों पर चल रहा है। एनआईए के तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 25 अप्रैल, 2022 को एक एफआईआर दर्ज किया गया था। इसमें पाया गया था कि देश में पहले से प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) अपने संगठन का विस्तार कर रही है। यह विस्तार छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार और झारखंड में भी किया जा रहा है। इसके लिए संगठन से जुड़े लोग युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में संगठन के पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को नामजद भी किया गया है।

वहीं नक्सलवाद और माओवाद मुक्त भारत के निर्माण को केंद्र सरकार ने अब प्राइम एजेंडे के रूप में लिया है क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि वामपंथी उग्रवाद अब देश में अपनी बची खुची सांसें गिन रहा है। यदि इस समय सुरक्षा बलों तथा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के जरिये इन पर निर्णायक प्रहार कर दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब देश नक्सली और माओवादी हिंसा से मुक्त हो जाएगा। यह भारत सरकार की सुरक्षा रणनीति की ही देन है कि आज देश के 10 राज्यों के केवल 46 जिलों तक वामपंथी उग्रवाद सिमट के रह गया है। वर्तमान केंद्र सरकार के सत्ता में आने से पहले देश के 126 जिले वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र या रेड कॉरिडोर के नाम से जाने जाते थे लेकिन वर्तमान में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बलों के मनोबल को बढ़ाते हुए इसी साल ऐसे सुरक्षा अभियानों को अंजाम दिया है कि देश में वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक प्रसार में लगातार कमी देखी गई है। देशभर में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही लड़ाई में सुरक्षा बलों को निर्णायक विजय प्राप्त हुई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणामस्वरूप पहली बार छत्तीसगढ़ व झारखण्ड के बॉर्डर के बूढा पहाड़ और बिहार के चक्रबंधा एवं भीमबांध के अति दुर्गम क्षेत्रों में प्रवेश करके माओवादियों को उनके गढ़ से सफलतापूर्वक निकालकर वहां सुरक्षाबलों के स्थायी कैंप स्थापित किये गए हैं। यह सभी क्षेत्र शीर्ष माओवादियों के गढ़ थे और इन स्थानों पर सुरक्षाबलों द्वारा भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विदेशी ग्रेनेड, एरोबम व आईईडी बरामद किया गया है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि है और केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता उत्साहित मानसकिता को दर्शाता है।

वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा बलों को ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबंधा में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 7 माओवादी मारे गए और 436 की या तो गिरफ्तारी हुई है या उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। झारखण्ड में 4 माओवादी मारे गये और 120 की या तो गिरफ्तारी हुई है या उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। बिहार में 36 माओवादिओं की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण हुआ। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में 3 माओवादियों को सुरक्षाबलों द्वारा मार गिराया गया है। यह सफलता और महत्त्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इनमें से मारे गए कई माओवादियों पर लाखों-करोड़ों के ईनाम थे जैसे मिथिलेश महतो पर 1 करोड़ का इनाम था। वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों का अंतिम चरण में पहुंचना इस बात से साबित होता है कि 2018 के मुकाबले 2022 में वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 39 प्रतिशत की कमी आई है जबकि सुरक्षा बलों के बलिदानों की संख्या में 26 प्रतिशत की कमी आई है। हताहत नागरिकों की संख्या में 44 प्रतिशत की कमी आई है तथा हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या में 24 प्रतिशत की कमी आई है और इन जिलों की संख्या 2022 में सिमट कर सिर्फ 46 रह गयी है।

देश में वामपंथी उग्रवाद की वर्तमान स्थिति:

- वामपंथी उग्रवाद में नक्सलवाद, माओवाद और उससे जुड़ी हिंसा शामिल है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 10 राज्यों के 46 जिले वामपंथी उग्रवाद या उससे जुड़ी हिंसा से प्रभावित थे। 2010 में 10 भारतीय राज्यों के 96 जिले इससे प्रभावित थे। पिछले दशक में वामपंथी उग्रवाद में उल्लेखनीय कमी आई है। 2021 में उग्रवाद के 505 मामले सामने आए जो 2009 के 2258 मामलों की तुलना में 77 प्रतिशत कम है। 2021 में उग्रवादी घटनाओं में 147 नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु हुई जो 2010 में हुई 1005 मृत्यु के आंकड़े से 85 प्रतिशत कम है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने संसद में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में कमी का आंकड़ा साझा करते हुए यह भी बताया था कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के तहत शामिल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 2018 के 90 से घटकर 2021 में 70 हो गई। 2018 के पहले की बात करें तो इस स्कीम के तहत कवर नक्सलवाद और माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में कमी इस बात का

सूचक है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में समावेशी विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाया जा रहा है, लेकिन समय-समय पर कई अन्य नए क्षेत्रों में भी अनेक कारणों से वामपंथी उग्रवाद उभरता आया है जिसके चलते गृह मंत्रालय को नए जिलों को भी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल करना पड़ता है। वहीं जिन जिलों में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में बड़े पैमाने पर कमी आती है अथवा वहां इसका प्रभाव शून्य देखा जाता है तो उसे गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सूची से बाहर भी निकाल देता है जैसे वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय ने 44 जिलों को इससे बाहर निकाल दिया था लेकिन इसके साथ ही 8 नए जिलों को शामिल भी किया था।

फ्रंट आर्गेनाइजेशन एक चुनौती के रूप में:

- भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गृहमंत्री के नेतृत्व में पिछले साल वामपंथी उग्रवाद के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें एक प्रमुख निष्कर्ष के रूप में यह सामने आया था कि जिन 10 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद है, वहां फ्रंट ऑर्गनाइजेशन की भूमिका के चलते नक्सलवाद व माओवाद को मजबूती मिली है। इसीलिए समीक्षा बैठक में फ्रंट ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की बात की गई। राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि वह अपने यहां जरूरी कानूनों के तहत फ्रंट ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ कार्यवाही करें, वहीं केंद्र सरकार अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत फ्रंट आर्गेनाइजेशन से निपट सकती है।

क्या है फ्रंट ऑर्गनाइजेशंस?

माओवादियों तथा नक्सलियों के उद्देश्य को पूरा करने में फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संगठन मूल माओवादी पार्टी (सीपीआई माओवादी) के सहउत्पाद के रूप में होते हैं जो किसी भी वैधानिक दायित्व से बचने के लिए अपना एक पृथक अस्तित्व रखते हैं। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस मुख्य रूप से माओवादी दल के लिए दुष्प्रचार अथवा भ्रामक सूचनाओं को फैलाते हैं, पेशेवर क्रांतिकारियों की भर्ती करते हैं जिससे भूमिगत आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। विप्लव (इंसरजेंसी) के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करते हैं, वैधानिक मामलों में कैडरों को सहायता करते हैं और भूमिगत कैडरों को सुरक्षित स्थल व शरण उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा फ्रंट ऑर्गनाइजेशंस में कार्य करने वाले माओवादी विचारधारा में अंतर्निहित हिंसा का बौद्धिक स्तर पर महिमामंडन करते हैं। दूसरे शब्दों में यह संगठन शहरी समुदायों और मीडिया तक माओवादियों के दृष्टिकोण को पहुंचाने में हिंसक रक्तपात को औचित्यपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार देश के 10 राज्यों में फ्रंट ऑर्गनाइजेशन मौजूद हैं, विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सक्रिय हैं।

माओवाद और नक्सलवाद एक चुनौती के रूप में:

- माओवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विधि द्वारा स्थापित शासन तंत्र को अन्याय, शोषण, दमन का मुख्य उपकरण मानता है और इसलिए यह सत्ता के प्रतीक हर चीज का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखता है। जैसे सरकारी वित्त से चलाए जाने वाले स्कूलों, चिकित्सालयों, सुरक्षा बलों के केंद्रों को नष्ट करना आदि। इसके साथ ही पारंपरिक रूप से माओवाद को संसदीय शासन तंत्र में विश्वास भी नहीं रहा है, इसलिए यह चुनावों का बहिष्कार करता रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनावों को संपन्न न होने देना, चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों का अपहरण व हत्याएं इसकी कार्यप्रणाली में शामिल हैं।
- वहीं नक्सलवाद मूल रूप से देश की सामाजिक-आर्थिक विषमता, अपर्याप्त भूमि सुधार, विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक पिछड़ेपन और विकास परियोजनाओं के चलते आदिवासी समुदाय के लोगों के विस्थापन जैसी स्थितियों की देन माना जाता है। 2004 में सीपीआई (M) के गठन के बाद से नक्सली भी बड़े स्तर पर माओवादी कार्यपद्धति से प्रभावित हुए और इन दोनों के कार्यप्रणाली में समानता देखने को मिली।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने की केंद्र सरकार की रणनीति:

- केंद्र सरकार नक्सलवाद और माओवाद से निपटने के लिए एक समग्र नीति लागू कर रही है। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की तैनाती करने के साथ ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि माओवाद से प्रभावित अब केवल 10 राज्य- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं जो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को अगर समझना है तो उसे वर्ष 2015 के 'नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म' के जरिए समझा जा सकता है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय वर्ष 2015 से नक्सलवाद से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसमें 4 बातों पर बल दिया गया है:
  - सुरक्षा से संबंधित उपायों के साथ-साथ विकास के कार्यों पर बल।
  - स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चत करने पर बल।
  - शासन प्रणाली में सुधार।
  - जन अवबोधन (पब्लिक परसेप्शन) प्रबंधन के लिए प्रभावी उपाय करना।
- वहीं गृह मंत्रालय के 'समाधान नामक रणनीति' के तहत कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफियातंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रोद्यौगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना व नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल

करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बायोमेट्रिक समर्थित ड्रोंस और स्मार्ट गन के प्रयोग, वामपंथी उग्रवादियों के हथियारों की छान बीन के लिए ट्रैकर्स के उपयोग पर बल दिया है। इसके अलावा जिलेटिन स्टिक्स और विस्फोटकों के लिए यूनीक आइडेंटीफिकेशन नंबर की बात की गई है।

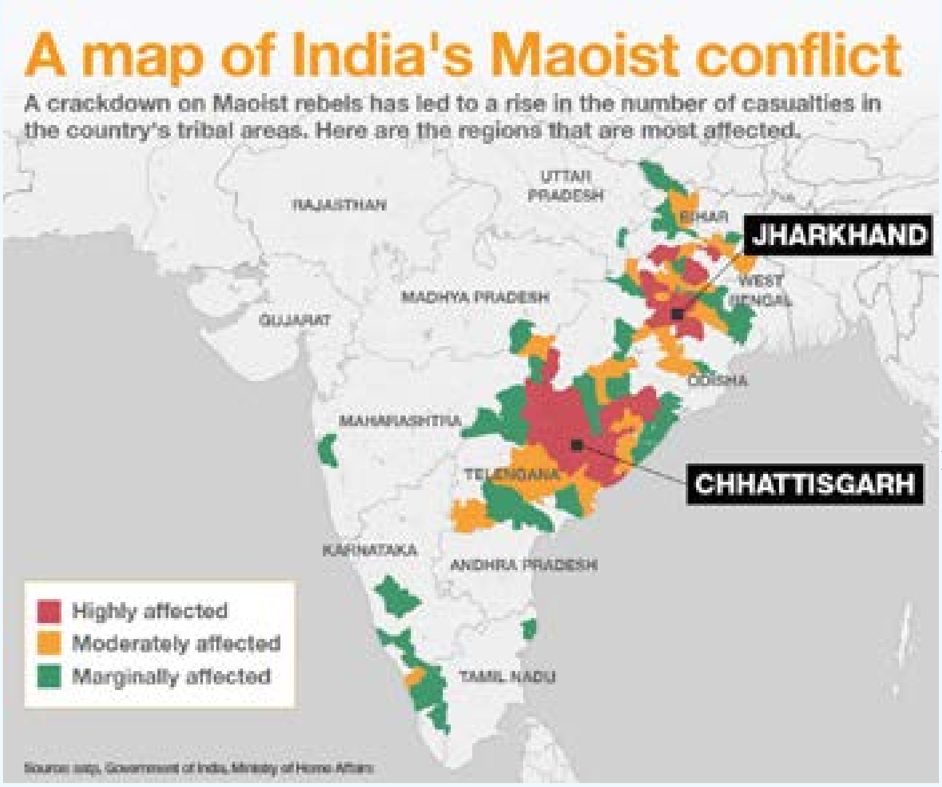

- गृह मंत्रालय ने इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना शुरू किया है कि सीएपीएफ बटालियनों के लिए कम से कम एक यूएवी (मानव रहित विमानों) और मिनी यूएवी की सुविधा (माओवादी क्षेत्रों के लिए) मिल सके। वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए अधिक हेलीकॉप्टर समर्थन और ग्रेहाउंड जैसे विशेष प्रशिक्षित बलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सोलर लाइट, 3 जी कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल टॉवर्स और रोड रेल कनेक्टिविटी की सुविधा देने पर सक्रियता से काम किया गया है।
- वाम पंथी उग्रवादी गुटों तक वित्त की पहुंच को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की समीक्षा करके उसमें संशोधन करने की बात भी हुई है। इसके साथ ही नक्सल और माओवाद विरोधी अभियानों के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन, कारगर खुफिया तंत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर भी कार्य किया जा रहा है।
- वामपंथी उग्रवाद (LWE) को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर वित्त वर्ष 2021-22 तक 6,578 करोड़ रुपए जारी किए गये, जबकि वित्त वर्ष 2006-2007 से वित्त वर्ष 2013 तक 2,181 करोड़ रुपए ही जारी किए गए थे।
- नक्सल प्रभावित इलाकों के समावेशी विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा देने के कार्य में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है। केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई योजनाएं चला रही है जिसमें स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम, स्पेशल सेंट्रल एसिस्टेंस स्कीम, रोड कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट स्कीम, जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और आर्थिक मदद जैसी योजनाएं शामिल हैं।
- उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 32 केंद्रीय और 9 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों को 2017 से 2021 के बीच विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 1 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 207 एकलव्य आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी गई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित अधिकांश जिलों में 1,258 बैंक शाखाएं और 1,348 एटीएम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 4,903 नए डाकघर खोले गए हैं।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल साइटों को 4जी में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दे दी है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इन क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाओं को संभव बनाना सरकार का उद्देश्य है। इससे गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यह इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संचार संबंधी जरूरतों को भी पूरा करेगा। यह प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अनुरूप है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन सेवाएं, टेली-एजुकेशन आदि सेवाएं संभव हो पाएंगी।

राज्यपालों द्वारा विधेयक को रोकने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश का औचित्य

सन्दर्भ:

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता के सन्दर्भ में दिशानिर्देश जारी किया है।

परिचय:

- भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य अक्सर संघवाद के मुद्दे पर विवाद होता रहा है। हालिया समय में पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा केरल की राज्य विधायिकाओं द्वारा विधिवत पारित किए गए विधेयकों को स्वीकृत देने में राज्यपाल द्वारा किए जा रहे विलंब तथा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति पर प्रश्न उठाया जा रहा है। जहां एक तरफ तेलंगाना के वित्त तथा स्वास्थ्य मंत्री टी. हरीश राव ने राज्यपाल से 7 माह से विधेयकों के लंबित बने रहने के संदर्भ में प्रश्न किया, वहीं तमिलनाडु द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति से इस संदर्भ में समय सीमा निर्धारित करने का आग्रह किया है। ध्यातव्य है कि तेलंगाना राज्य सरकार इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले गई है।

राज्य विधेयकों के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियां:

- अनुच्छेद-168 यह स्पष्ट करता है कि राज्य की विधायिका का निर्माण विधानसभा, विधानपरिषद (यदि राज्य में है तो) तथा राज्यपाल से मिलकर होगा।
- अनुच्छेद-200 के अनुसार जब कोई विधेयक (धन विधेयक की स्थिति में नहीं) राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधान-मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है।
- अनुच्छेद-201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।

क्या राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी विधेयक पर अनुमति रोकना संविधान सम्मत है?

- प्रथम दृष्टया अनुच्छेद-200 के सामान्य पाठ से यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल अपनी सहमति को रोक सकता है। हालांकि यदि अनुच्छेद-200 को अनुच्छेद-154 के साथ पढ़ें तो हम यह पाते हैं कि राज्यपाल को अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप ही करना चाहिए।
- इसके साथ ही साथ यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत का राष्ट्रपति भी केंद्रीय कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है।
- हालांकि राज्यपाल को प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियां उसे विधेयक को रोकने के लिए पर्याप्त अधिकार देती हैं, परंतु यहां यह समझना आवश्यक है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां आपात स्थितियों के लिए है न कि सामान्य स्थितियों के लिए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह कई बार स्पष्ट किया है कि राज्यपाल को लोकप्रिय सरकारों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए क्योंकि वह नाममात्र का शासक होता है न कि वास्तविक शासक।
- इस मामले में भी न्यायालय ने अनुच्छेद-200 के उपबंध का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर सहमति देने में देर नहीं करनी चाहिए।

राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति में विलंब से उत्पन्न मुद्दे:

जनादेश का अपमान:

- राज्य विधानसभा में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राज्य के लिए आवश्यक कानून बनाने का कार्य करते हैं। इस स्थिति में राज्यपाल द्वारा उन विधेयकों पर रोक लगाना जनादेश का अपमान है।

नीतिगत विलंब:

- राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर रोक लगाने से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में विलंब होता है। अत: इस स्थिति में लंबित विधेयक से संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन में भी समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरणस्वरूप तेलंगाना मे मेडिकल प्रोफेसर की उम्र बढ़ाने से संबंधित विधेयक लंबित है जो कि राज्य में मेडिकल प्रोफेसर्स की व्यापक कमी के चलते लाया गया था।

संघीय भावना के विरुद्ध:

- भारत के संघवादी स्वरूप में राज्यों को कुछ मामलों में स्वायत्तता दी गई है। अत: राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर रोक लगाना कहीं न कहीं राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करके संघीय भावना का उल्लंघन करता है।

राज्यपाल के कार्यालय पर प्रश्नचिह्न:

- राज्यपाल द्वारा विधेयकों को यदि जानबूझकर रोका जाता है अथवा उसमें देरी की जाती है तो यह कृत्य कहीं न कहीं राज्यपाल की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है। भारत के संविधान ने राज्यपाल को दोहरी भूमिका प्रदान की है एक तरफ जहां वह राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं दूसरी तरफ वह राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) का प्रतिनिधि होता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि राज्यपालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के पद को ज्यादा महत्त्व दें, परंतु राज्यपालों के द्वारा प्राय: केंद्र सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है।

सरकारों की विश्वसनीयता पर प्रश्न:

- राज्यपाल के समक्ष लंबित विधेयक जहां एक तरफ राज्य सरकारों की अक्षमता का संदेश देते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह कहीं न कहीं

केंद्र सरकार की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा के भी परिचायक हो सकते हैं। इस प्रकार यह स्थिति राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों की ही विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आरोपित करती है। ध्यातव्य है कि राज्यपाल द्वारा तेलंगाना विधानसभा के 10 विधेयकों पर अभी भी स्वीकृति नहीं मिल पाई है।

उत्तरदाई शासन में कमी:

- राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति रोकने की स्थिति में राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व में कमी आती है जो शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता के सिद्धांत को कमजोर करता है।

राज्यपालों द्वारा विधेयक को रोकने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

तेलंगाना सरकार के तरफ से दायर वाद की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने निर्देश दिया है कि:

- संविधान यह अपेक्षा करता है कि किसी विधेयक को राज्य विधानसभा को पुनर्विचार के लिए वापस करने का निर्णय "जल्द से जल्द" किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने अनुच्छेद-200 के तहत प्रावधान में वर्णित वाक्यांश पर ध्यान आकर्षित किया है, जो किसी विधेयक को वापस करने के मामले में तात्कालिकता की भावना व्यक्त करता है।
- न्यायालय ने कहा कि 'जितनी जल्दी हो सके' की अभिव्यक्ति में महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सामग्री निहित है और संवैधानिक अधिकारियों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए अर्थात राज्यपालों के लिए यह संवैधानिक रूप से अनुचित होगा कि वे सदन को अपना निर्णय बताए बिना विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक कर रखें।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का औचित्य:

कांस्टीट्यूशनल पंक्चुअलिटी (संवैधानिक समयबद्धता):

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सभी का ध्यान कांस्टीट्यूशनल पंक्चुअलिटी की तरफ आकर्षित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश ने स्पष्ट किया है कि संविधान में यदि समय सीमा नहीं दी गई है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब किया जाए, बल्कि संविधान अतिशीघ्र तथा समयबद्ध रूप में निर्णय की मांग करता है।

समयबद्ध शासन:

- शासन के आयामों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया अति महत्त्वपूर्ण है तथा निर्णय निर्माण के लिए समय की सीमा अत्यंत आवश्यक होती है। सर्वोच्च न्यायालय का यह दिशानिर्देश भारत को समयबद्ध सुशासन की दिशा में लेकर जाएगा।

लोकप्रिय सरकार की अवधारणा को महत्त्व:

- सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश ने यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में लोकप्रिय सरकार (जनता द्वारा निर्वाचित) को ही महत्त्व दिया जाएगा। नाममात्र अथवा संवैधानिक प्रमुख को राज्य विधायिका के कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष:

- अनुच्छेद-200 में विधायकों पर सहमति के मामले में कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं है। इस स्थिति में संविधान संशोधन अथवा न्यायिक निर्णय के माध्यम से इस पर समय-सीमा आरोपित करना आवश्यक है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-163 में निहित है कि राज्यपाल कैबिनेट की सहायता व सलाह पर कार्य करेगा। यह प्राथमिक नियम राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को बढ़ावा देकर राज्य सरकार तथा राज्यपाल के मध्य टकराव को बढ़ावा देता है। संविधान संशोधन अथवा न्यायालय के माध्यम से यह आवश्यक है कि राज्यपालों को स्पष्ट किया जाए कि वे लोकप्रिय सरकारों के सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं।
- राज्यपाल की दोहरी भूमिका एक प्रकार से चिंता का विषय है। एकतरफ वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है, अत: वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदाई होता है, वहीं दूसरी तरफ वह राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल को यह निर्देश होना चाहिए कि उसकी दूसरी भूमिका, पहली भूमिका से अधिक आवश्यक है।
- इस प्रकार के मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य संवाद अत्यंत आवश्यक है। अंतरराज्यीय परिषद में इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाने चाहिए तथा उनका निस्तारण किया जाना चाहिए ताकि शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चलाया जा सके।
- संवैधानिक प्रावधानों में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा समयबद्धता के मानकों पर जनजागरूकता बढ़ाई जानी आवश्यक है। नागरिक, समाज, मीडिया, दबाव समूह इत्यादि नागरिकों को इन मानकों के प्रति जागरूक करें जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व संविधान के प्रति भी बढ़ सके।

भारत में मनी लांड्रिंग कानून में हालिया बदलाव और कुछ अन्य संशोधन की जरूरत

संदर्भः

हाल ही में केंद्र सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) में संशोधन करके अब वित्तीय लेनदेन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA), कंपनी सचिवों (CS) और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट (CWA) को मनी लांड्रिंग कानून के दायरे में सम्मिलित किया है।

क्या है मनी लांड्रिंग अथवा धनशोधन?

- मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को लीगल मनी के रूप में परिवर्तित करना है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जाँच करने वाली एजेंसियों को भी धन के मुख्य स्रोत का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जो व्यक्ति इस प्रकार के धन की हेरा-फेरी करता है, उसे 'लॉन्ड्रर' (The Launderer) कहा जाता है। विदित हो कि धन शोधन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होते हैं-
  - प्लेसमेंट (Placement)
  - लेयरिंग (Layering)
  - एकीकरण (Integration)

मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में कानूनी ढांचाः

- **मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002:** मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से लड़ने और इस अपराध से लाभान्वित होने वाले लोगों को दंडित करने के लिए इस अधिनियम को 2002 में प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार या किसी अधिकृत सार्वजनिक प्राधिकरण को अवैध लाभ और अवैध धन से अर्जित संपत्ति को जब्त करने में सक्षम बनाया। इस अधिनियम के तहत, वित्तीय खुफिया इकाई किसी भी संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के लिए सभी रिकॉर्ड की जांच करती है और फिर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जाती है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में हालिया संशोधनः

- सरकार ने मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) में बदलाव करके अब वित्तीय लेनदेन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA), कंपनी सचिवों (CS) और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट (CWA) को मनी लांड्रिंग कानून के दायरे में शामिल कर दिया है।
- इस संशोधन के अनुसार अब चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA), कंपनी सचिवों (CS) और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट (CWA) पर यह दायित्व आरोपित किया गया है कि वे वित्तीय लेखा जोखा के पूर्व अपने क्लाइंट के वास्तविक वित्तीय स्थिति तथा धन के स्रोत का पता लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- इस संशोधन के उपरांत अब पीएमएलए के दायरे में क्लाइंट के पैसे, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री, बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन, कंपनियों के निर्माण, संचालन या प्रबंधन हेतु अन्य सहयोगी कंपनियों या सीमित देयता भागीदारी या ट्रस्ट का निर्माण, व्यापारिक संस्थाओं की खरीद और बिक्री इत्यादि गतिविधियां भी सम्मिलित होंगी।
- इस संशोधन के उपरांत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA), कंपनी सचिवों (CS) और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट (CWA) को अपने क्लाइंट की केवाईसी करवानी होगी तथा उनका डाटा अपने पास सुरक्षित रखना होगा।

इस संशोधन से लाभः

- मनी लॉन्ड्रिंग उस समय एक बड़ी चुनौती बन जाती है, जब इसमें लेखाकार, वकील, कंपनी सचिव जैसे पेशेवर सेवा प्रदाता सम्मिलित होकर मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जामा पहनाते हैं। इस तरह के सेवा प्रदाता कॉर्पोरेट स्थिति के साथ संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के तंत्र को काफी सहयोग तथा समर्थन मिलता है।
- 'मनी लॉन्ड्रिंग' में दूसरा चरण 'लेयरिंग' अर्थात् धन छुपाने से सम्बन्धित होता है। इसमें बुक ऑफ अकाउन्ट में गड़बड़ी करके वास्तविक आय को छुपाया जाता है। इस चरण मे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA) की सलाह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। लेयरिंग के बाद धन उन गंतव्य स्थानों पर भेजा जाता है जिन देशों में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई कठिन कानून नहीं है।
- मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण एकीकरण (Integration) होता है। इस प्रक्रिया में विदेश भेजा गया धन अपने देश में लाकर अचल संपत्ति तथा लक्जरी वाहन इत्यादि में निवेश किया जाता है। इस चरण में भी पेशेवरों की सलाह अत्यंत आवश्यक है। अतः चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA) व कंपनी सचिवों (CS) को पीएमएलए के दायरे में लाकर मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक रोका जा सकता है।

अन्य संशोधनों की आवश्यकताः

वर्तमान समय में सरकार मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मार्च 2023 में हुए संशोधनों के द्वारा राजनैतिक रूप से सशक्त व्यक्तियों (PEP), एनजीओ इत्यादि को पीएमएलए के दायरे में लाया गया, वहीं हालिया संशोधन के द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA), कंपनी सचिवों (CS) और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट (CWA) को इसके दायरे में लाकर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास किया गया है। फिर भी कुछ अन्य संशोधनों की आवश्यकता है जिसका वर्णन निम्नवत है:

- कानूनी पेशेवरों तथा वकीलों को पीएमएलए के दायरे में लाने की आवश्यकता है।
- धनशोधन को रोकने के लिए आतंकवाद तथा संगठित अपराध के गठजोड़ को तोड़ने की आवश्यकता है।
- 'उच्च कार्यालयों में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रमुख सूत्रधार है'। अतः भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी पीएमएलए में आवश्यक प्रावधान किए जाने आवश्यक हैं।
- मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामलों के वार्षिक पंजीकरण की तुलना में पीएमएलए के तहत जांच के लिए बहुत कम मामले लिए जा

रहे हैं, अतः पीएमएलए के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग में भारत की स्थिति:

- सरकार के अनुसार, शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित पीएमएलए मामलों में अपराध की कुल आय 67,000 करोड़ रुपये है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए गए पीएमएलए मामलों की संख्या पांच वर्षों में क्रमशः 2015-16 और 2020-21 में 111 से बढ़कर 981 तक पहुंच गई।
- हालांकि यह यूके (7,900), यूएस (1,532), चीन (4,691), ऑस्ट्रिया (1,036), हांगकांग (1,823), बेल्जियम (1,862) और रूस (2,764) से बहुत कम हैं। इसके पीछे कारण यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामलों के वार्षिक पंजीकरण की तुलना में पीएमएलए के तहत जांच के लिए बहुत कम मामले लिए जा रहे हैं।
- पीएमएलए से संबंधित एक मामले में सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उच्च कार्यालयों में भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रमुख सूत्रधार है'। यह विकासशील देशों के लिए वास्तविक सच्चाई है। भ्रष्टाचार एक कपटी खिलाड़ी है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। धन शोधन संगठित अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
- सॉलिसिटर जनरल ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि इस अपराध में 2.1 ट्रिलियन डॉलर की राशि आंकी गई जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 5% के बीच होता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रमुख प्रावधान:

- धन शोधन निवारण अधिनियम को 2002 में अधिनियमित किया गया था जिसे 2005 में लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया (मनी लॉन्ड्रिंग) से लड़ना है।

मुख्य उद्देश्य:

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना।
- अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के उपयोग को रोकना।
- मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य प्रकार के संबंधित अपराधों को रोकने का प्रयास करना।

उत्तरदायी प्राधिकरण:

- धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण प्रवर्तन निदेशालय है।

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत दंड का प्रावधान:

- मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां शुरू की जा सकती हैं, जैसे-अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति और रिकॉर्ड आदि को जब्त करना।
- धन शोधन के अपराध हेतु कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ में जुर्माना भी। यदि धन शोधन के अपराध के साथ-साथ नारकोटिक ड्रग्स व साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 से जुड़े अपराध भी शामिल हैं तो जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा हो सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate):

- प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी है।
- इस निदेशालय की स्थापना 1 मई, 1956 को हुई जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने हेतु आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
  - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

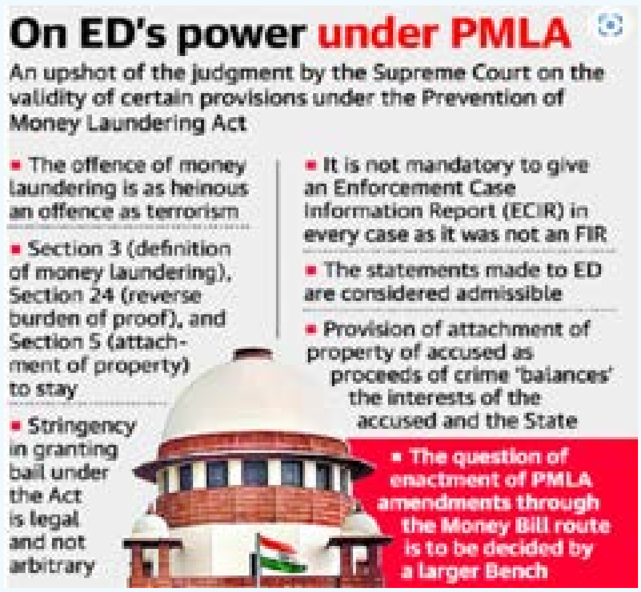

निष्कर्ष:

धनशोधन एक वैश्विक समस्या है जिसने भारत सहित सभी देशों की आर्थिक संप्रभुता को भी प्रभावित किया है। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि धनशोधन पर रोक लगाया जाये, इसी दिशा में सरकार आवश्यक प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ अन्य आवश्यक संशोधन यथा वकील तथा कानूनी पेशेवरों को पीएमएलए के दायरे मे सम्मिलित करना भी आज के समय में आवश्यक हैं। इस प्रकार के प्रयासों के द्वारा सरकार तथा जांच एजेंसियां निश्चित ही धनशोधन को प्रतिबंधित करने में सफल होंगी।

ईको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का महत्त्व

पर्यावरण संरक्षण, पारितंत्र की सुरक्षा, जैव विविधता की सुरक्षा, वन्यजीवों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी क्षेत्रों में मानव गतिविधियों को तार्किक रूप से नियंत्रित करना, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि संरक्षित क्षेत्रों जैसे वनों, राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य के बफर व ट्रांजिशन जोन में रहने वाले परंपरागत वनवासी या आदिवासी समुदाय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियां, उनकी आजीविका के मार्ग में कोई पर्यावरणीय नियम अवरोध न बनें। यद्यपि सतत विकास जरूरी है लेकिन वनवासी आदिवासियों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय भी एक संवैधानिक दायित्व है। इसलिए जब सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उसके किसी फैसले से विकास, सामाजिक न्याय और दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य के बीच कोई असंतुलन आ सकता है, तब सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों की समीक्षा करने के लिए भी तैयार रहता है। सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि यदि किसी संरक्षित क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा देने के कारण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका खतरे में पड़ रही है, इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है या कई राज्यों द्वारा ईको सेंसिटिव क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों के कारण उनके आर्थिक हितों पर किसी प्रतिबंध का नकारात्मक असर पड़ता है, तब वह ईको सेंसिटिव जोन से जुड़े अपने निर्णयों में समायोजन के लिए तैयार रहती है।

यही कारण है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर अपने इकोलॉजिकल प्रूडेंस का परिचय देते हुए नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों में मानव गतिविधियों, विकास गतिविधियों अथवा निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करने से जुड़े महत्त्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभी संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के पास उनकी चिन्हित बाउंड्री से आगे 1 किलोमीटर तक का क्षेत्र अनिवार्य रूप से पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के एक किलोमीटर के दायरे में फैले ईको-सेंसिटिव जोन में विकास गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है जिसका आशय है कि संरक्षित क्षेत्रों के एक किलोमीटर के दायरे में विकास या निर्माण कार्य हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध ईको-सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों तक भी लागू है। उल्लेखनीय है कि ईको सेंसिटिव जोन में कुछ निर्माण या विकास गतिविधियों को मंजूरी मिली हुई है और कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें पर्यावरण के नुकसान के नाम पर प्रतिबंधित करने का काम किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने जो हालिया निर्णय दिया है उसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 9 फरवरी, 2011 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में संबंधित संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े ईएसजेड अधिसूचनाओं का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने अपने जून 2022 के आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदनों पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए यह अवलोकन किया था।

अदालत ने पिछले वर्ष 3 जून को संरक्षित क्षेत्रों (प्रोटेक्टेड एरियाज) के आसपास एक किलोमीटर के भीतर सभी जगहों को ईएसजेड घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने आदेश में कहा था कि सेंसटिव जोन में स्थाई निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगे और नेशनल पार्क तथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खनन के कार्य पर भी रोक लगे। यह आदेश जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और अनिरुद्ध बोस की बेंच द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि मौजूदा ईको सेंसटिव जोन एक किलोमीटर बफर जोन से आगे जाता है या यदि कोई वैधानिक इकाई उच्च सीमा निर्धारित करती है तो ऐसी विस्तारित सीमा मान्य होगी। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य के मुख्य वन संरक्षक को ईको सेंसटिव जोन में विद्यमान संरचनाओं की एक सूची बनाने और तीन महीने की अवधि के भीतर अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास 1 किलोमीटर के पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र स्थापित करने का आदेश दिया था, तब इस आदेश का केरल के किसानों ने विरोध किया था क्योंकि इससे उन्हें विस्थापन का डर था।

ईको-सेंसिटिव जोन क्या हैं?

- ईको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को प्रतिबंधित, विनियमित कर संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक प्रकार के 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में कार्य करते हैं। ESZ अधिसूचना का उद्देश्य अनियंत्रित पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है और न ही किसी भी अभयारण्य सीमा के भीतर सभी प्रकार की विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ESZ की घोषणा वास्तव में अभयारण्य के आसपास की गतिविधियों को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए है। ईको सेंसिटिव जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं, जिन्हें संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्यजीव अभ्यारणों) के आस-पास के क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बफर जोन के रूप में निर्मित किया जाता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ईको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित किया जाता है। पूर्व में केंद्र सरकार ने ईको सेंसिटिव जोन पर दिशा-निर्देश जारी करते हुए इसकी सीमा संरक्षित क्षेत्रों से 10 किलोमीटर तक निर्धारित की थी।
- संवेदनशील गलियारों, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थानों के मामले में 10 किलोमीटर की सीमा से बाहर के क्षेत्रों को भी ईको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता

है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 की उप-धारा-(3) के तहत पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ी अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिए केंद्र सरकार इसी एक्ट के खंड-5 के तहत एक निगरानी समिति का गठन करती है।

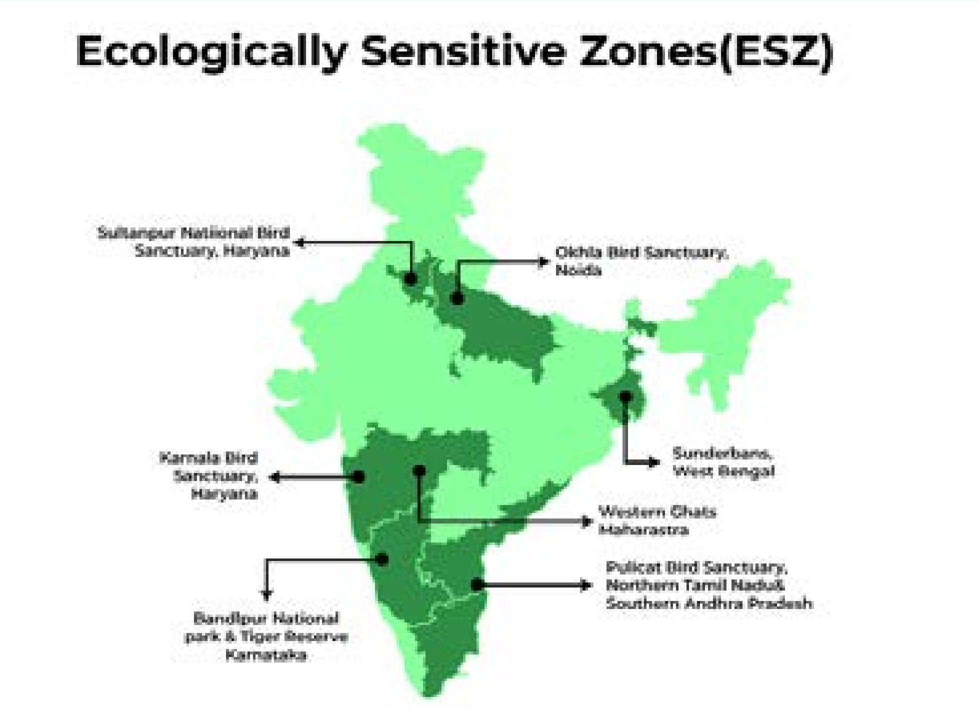

ईको-सेंसिटिव जोन की प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित गतिविधियाँ:

- ईको-सेंसिटिव जोन में जो गतिविधियाँ भारत के पर्यावरण मंत्रालय के गाइडलाइन के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं उनमें वाणिज्यिक खनन सॉ मिल्स (Saw Mills) जो धूल उत्पन्न करते हैं और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लकड़ी आदि का व्यावसायिक उपयोग, प्रदूषक उद्योगों की स्थापना, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना आदि शामिल हैं।
- पेड़ों की कटाई, होटल और रिसॉर्ट की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, विद्युत केबलों का निर्माण, कृषि प्रणाली में भारी बदलाव, भारी प्रौद्योगिकी को अपनाना, कीटनाशकों का उपयोग, सड़कों का चौड़ीकरण, जिन विकास या निर्माण कार्य गतिविधियों को ईको सेंसिटिव जोन में मंजूरी दी गई है, उनमें चल रही कृषि या बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती आदि शामिल हैं।

भारत में ईको सेंसिटिव जोन:

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा 23 मार्च, 2023 को भारत की राज्य सभा में इस बात की सूचना दी गई है कि वर्तमान में भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 13 राज्यों में 92 पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, 2 पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित हैं। केंद्र सरकार ने संसद को अवगत कराया है कि संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का प्रबंधन व संरक्षण करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संरक्षित क्षेत्रों के आसपास इको-सेंसिटिव जोन को अधिसूचित करता है। वन्यजीव संरक्षण रणनीति के हिस्से के रूप में वर्ष 2002 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्रों (PAs) के आसपास आगे की सुरक्षा के रूप में एक बफर बनाने के लिए पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने की आवश्यकता है। ESZ घोषित करने का मूल उद्देश्य विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किसी प्रकार का 'शॉक एब्जॉर्बर' बनाना है, जैसे कि संरक्षित क्षेत्र या अन्य प्राकृतिक स्थल, उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करने के लिए। इसके अलावा, पारिस्थितिक महत्त्व वाले क्षेत्रों में जैव विविधता की रक्षा हेतु मंत्रालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) को भी अधिसूचित करता है, जिसमें अद्वितीय जैविक संसाधन हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास संबंधित राज्यों में ईएसजेड की घोषणा के लिए केंद्र सरकार के विचारार्थ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षण व ईएसजेड की पहचान की जाती है। राज्य सरकार के प्रस्तावों और सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ESZs को अधिसूचित करता है। ESZ अधिसूचना की धारा-3 जोनल मास्टर प्लान (ZMP) तैयार करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। राज्य सरकार और संबंधित ESZ की वहन क्षमता अध्ययन के आधार पर जोनल मास्टर प्लान का हिस्सा बनने वाले पर्यटन मास्टर प्लान की तैयारी को अनिवार्य करती है। उल्लेखनीय है कि जोनल मास्टर प्लान वाटरशेड दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें वन और वन्य जीवन, वाटरशेड प्रबंधन, सिंचाई, ऊर्जा, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता, सड़क अवसंरचना आदि के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन शामिल हैं। भारत का पर्यावरण मंत्रालय मानता है कि जोनल मास्टर प्लान के अनुमोदन से संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण और पारिस्थितिकी को बढ़ावा मिलेगा जिसके तहत मंजूरी प्राप्त विकासात्मक गतिविधियों को भी शुरू किया जा सकेगा।

भारत के न्यूक्लियर लाईबिलिटी लॉ से जुड़े मूलभूत आयाम और भारत के नाभिकीय व्यापार की स्थिति

भारत जैसे किसी भी उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एक विकसित देश या सुपरपावर बनने के लिए जरूरी क्षमताएं हासिल करना होता है। ऐसे में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नाभिकीय व्यापार विभिन्न देशों के साथ अंतरिक्ष सहयोग, प्रौद्योगिकी सहयोग और साझेदारी व उच्च प्रौद्योगिकी के व्यापार पर बल देना जरूरी हो जाता है। भारत जैसे देश के लिए दूसरे देश के साथ नाभिकीय व्यापार करने के संदर्भ में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। किसी देश से भारत को नाभिकीय प्रौद्योगिकी, नाभिकीय ईंधन, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, उच्च संवर्धन प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर रिएक्टर मिलना अब कठिन काम नहीं रह गया है लेकिन अधिक जरूरी मुद्दा यह बन गया है कि भारत अपने नाभिकीय दायित्वों (न्यूक्लियर लाईबिलिटी) को किस रूप में पूरा करता है? भारत नाभिकीय दुर्घटनाओं से बचने के क्या प्रयास करता है? नाभिकीय दुर्घटना की स्थिति में भारत नाभिकीय क्षतिपूर्ति किस रूप में देगा? नाभिकीय क्षतिपूर्ति का वित्तपोषण कौन सी इकाई करेगी? क्या जिस देश से नाभिकीय रिएक्टर भारत ने लिया है वह भी इसमें जिम्मेदार होगा या अकेले भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर या प्लांट के ऑपरेटर के रूप में सारी भूमिका निभानी पड़ेगी? वर्तमान में महाराष्ट्र के जैतापुर जो विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक संयंत्र है, वहां 6 नए न्यूक्लियर पॉवर रिएक्टर लगाए जाने हैं जो भारत में न्यूक्लियर लाईबिलिटी कानून के चलते अभी भी लंबित स्थिति में चल रहे हैं। हाल ही में भारत का न्यूक्लियर लाईबिलिटी कानून और उसके आयाम इसी कारण से चर्चा में रहे हैं।

न्यूक्लियर लाईबिलिटी के संबंध में भारत का कानून:

- सिविल लाईबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट (सीएलएनडी) 2010 एक भारतीय कानून है जो न्यूक्लियर घटना के मामले में उत्पन्न लाभ के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इस कानून की जिम्मेदारी दोषियों के मुआवजे का निर्धारण करने और किसी भी नुकसान हेतु न्यूक्लियर सुविधा ऑपरेटर को जिम्मेदार बनाने के लिए है। भारत सरकार ने 12 जून, 2015 को एक भारतीय परमाणु बीमा पूल (आईएनआईपी) बनाया। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC-Re) ने कई अन्य भारतीय बीमा कंपनियों के साथ मिलकर परमाणु के लिए नागरिक देयता के तहत निर्धारित देयता को कवर करने हेतु बीमा प्रदान करने में रूपये 1500 करोड़ की क्षमता वाला भारतीय परमाणु बीमा पूल (INIP) लॉन्च किया। सिविल लाईबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 के प्रावधानों के तहत इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल बनाया गया है।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 में नाभिकीय दुर्घटना के पीड़ितों हेतु एक त्वरित मुआवजा (क्षतिपूर्ति) तंत्र गठित करने के उद्देश्य से इस कानून को संसद में अधिनियमित किया था। सिविल लाईबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 न्यूक्लियर ऑपरेटर (जो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को संचालित कर रहा है) पर कुछ लाईबिलिटी (देयता) निर्धारित करता है। यह कानून बताता है कि नाभिकीय संयंत्र के संचालक को नाभिकीय दुर्घटना न होने देने के लिए कुछ कठोर दायित्त्व का निर्वहन करना होगा। न्यूक्लियर एक्सीडेंट से जुड़ी त्रुटि या लापरवाही को दूर करने के लिहाज से ऐसा कानून बनाया जाना जरूरी भी था। यह एक्ट कहता है कि न्यूक्लियर ऑपरेटर किसी भी लापरवाही एवं नुकसान हेतु उत्तरदायी हैं। नाभिकीय दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के मामले में न्यूक्लियर पॉवर प्लांट या रिएक्टर अथवा नाभिकीय संयंत्रों के संचालकों को 1,500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना होगा।
- इसके लिये संचालकों को बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से लाईबिलिटी (देयता) को कवर करने की भी आवश्यकता होती है।
- यदि इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका को देखा जाये तो सिविल लाईबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में यह अपेक्षा की गई है कि यदि नुकसान का दावा 1,500 करोड़ रुपए से अधिक है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। इस कानून ने न्यूक्लियर एक्सीडेंट की स्थिति में गवर्नमेंट लाईबिलिटी (सरकारी देयता) राशि को 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights- SDR) के बराबर तक सीमित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की करेंसी है जो आमतौर पर डॉलर में ही चिन्हित की जाती है।
- यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय कलपुर्जे, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आदि की आपूर्ति करने वाली विदेशी कंपनियां नाभिकीय दुर्घटना की स्थिति में कहां तक जिम्मेदार होंगी? इस बात का भी निर्धारण किया जाना जरूरी है। इसलिए न्यूक्लियर ऑपरेटर के साथ-साथ न्यूक्लियर सप्लायर्स की लाईबिलिटी (देयता) के बारे में भी प्रावधान करना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हेतु दोषपूर्ण कलपुर्जे काफी हद तक जिम्मेदार थे। यही कारण है कि भारत सरकार ने सिविल लाईबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में न्यूक्लियर ऑपरेटर के साथ ही नाभिकीय आपूर्तिकर्त्ता कंपनी और उनके मालिकों की लाईबिलिटी (देयता) को शामिल करने हेतु 1997 के पूरक मुआवजा पर व्यापक अभिसमय (Convention on Supplementary Compensation- CSC) के प्रावधानों से परे जाकर प्रावधान किया। इस प्रावधान के तहत यदि कोई परमाणु घटना दोषपूर्ण उपकरण अथवा सामग्री, खराब सेवाओं या आपूर्तिकर्त्ता कर्मचारियों के आचरण के परिणामस्वरूप होती है, तो परमाणु संयंत्र का संचालक (ऑपरेटर) आपूर्तिकर्त्ता (सप्लायर्स) से संपर्क करके उचित क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता

है। पूरक मुआवजे पर कन्वेंशन (CSC) का उद्देश्य एक न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवजा राशि स्थापित करना है। भारत ने 2016 में इस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन किया था।

भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन की स्थिति:

- वर्तमान में भारत में कुल 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं। इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 2017 में 1,05,000 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 7,000 मेगा वाट की कुल क्षमता वाले 11 स्वदेशी दाब अनुकूलित भारी जल रिएक्टरों को स्थापित करने की स्वीकृति दी थी। सरकारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में वार्षिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन 3533.3 करोड़ यूनिट था जो वित्त वर्ष 2021-22 में 4711.2 करोड़ यूनिट हो गया।
- भारत सरकार ने देश के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ संयुक्त उद्यमों (ज्वाइंट वेंचर) को भी अनुमति दी है। 2015 में इस पर निर्णय के बाद, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के वर्तमान में दो संयुक्त उद्यम है जिसमें से एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और दूसरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) है।
- यूरेनियम -233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र 'भवानी' तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। यह पूरी तरह से स्वदेशी और अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा, जबकि प्रायोगिक थोरियम संयंत्र 'कामिनी' कलपक्कम में पहले से मौजूद है। हरियाणा के गोरखपुर में भी आगामी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निकट भविष्य में चालू होने की संभावना है।
- 5 अप्रैल, 2023 को केंद्र सरकार ने 10 अन्य न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी दी है जो पांच राज्यों में लगाए जाएंगे। कैगा, चुटका और गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रत्येक में दो परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे, वहीं राजस्थान के माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में चार परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को शामिल किया गया है। इन रिएक्टरों को 1,05,000 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2031 तक उत्तरोत्तर फ्लीट मोड में स्थापित करने की योजना है। फ्लीट मोड में न्यूक्लियर पॉवर प्लांट को 5 वर्षों के भीतर बनाने का लक्ष्य रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार ने 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किया था। वर्तमान में भारत में 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन एटॉमिक पावर प्लांट से हो रहा है और इस क्षमता को 22480 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका (91.5 GW), फ्रांस (61.3 GW), चीन (50.8 GW), जापान (31.7 GW) और रूस (29.6 GW) में एटॉमिक पावर प्लांट से बिजली पैदा की जा रही है।

भारत के न्यूक्लियर रिसर्च

- एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, मुंबई
- एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्स्प्लोरेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद
- भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, धनबाद
- इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद
- हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैब्रोरेट्री, गुलमर्ग
- इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम
- इंडियन रेयर अर्थस, मुंबई
- नेशनल केमिकल लैबोरेट्री, पुणे
- न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद
- नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुअनंतपुरम
- सेंट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर
- फिजिकल रीसर्च लैबोरेट्री, अहमदाबाद
- साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फीजिक्स, कोलकाता
- यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिंहभूम
- वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रान सेंटर, कोलकाता
- रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर, ऊटी
- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई

परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए सहयोग:

- भारत की विश्व स्तर पर उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों वाले राष्ट्र के रूप में पहचान है। भारत ने परमाणु ईंधन चक्र के सभी चरणों में व्यापक क्षमताएं विकसित कर ली हैं जैसे-खनन, यूरेनियम उत्पादन, ईंधन निर्माण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, खर्च किए गए ईंधन पुनर्संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन आदि।
- अब तक परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत ने अंतर सरकारी समझौते (IGA) पर निम्नलिखित अठारह (18) देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नामीबिया, कोरिया गणराज्य, रूस, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम और घाना। वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका, फ्रांस, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कनाडा के साथ सक्रिय भागीदारी है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा पर इजराइल के साथ कोई सहयोग नहीं है। सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा और गुजरात में छाया मिथिविर्डी में स्थलों को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी है। इससे हमारी बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी एवं उसके शान्तिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।

1. इंडियाहैंडमेड (Indiahandmade) पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद बिना बिचौलिए के सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु ई-कॉमर्स पोर्टल 'इंडियाहैंडमेड पोर्टल' लॉन्च किया।

इंडियाहैंडमेड पोर्टल के बारे में:

- यह पोर्टल कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है जो कपड़ों, गृह सज्जा, आभूषण, सहायक उपकरण सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इस वर्चुअल भारतीय स्टोर की मदद से कारीगरों को कीमतों में हेरफेर करने हेतु बिना किसी बिचौलियों के उचित पारिश्रमिक मिलेगा।
- इसमें सभी उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित हैं जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करके बनाए गए हैं। यह उन लोगों के लिए एक उपयुक्त विकल्प है जो पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूक हैं।
- यह भारत में हस्तनिर्मित सभी चीजों के लिए वन-स्टॉप-शॉप है जहां लगभग 62 लाख बुनकरों और कारीगरों को भविष्य के ई-उद्यमी बनने का अवसर मिलेगा। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं।

इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:

- एक प्रामाणिक भारतीय हथकरघा और हस्तकला आभासी स्टोर।
- परेशानी मुक्त खरीदारी के लिए वापसी विकल्पों के साथ मुफ्त शिपिंग।
- सुचारू लेनदेन अनुभव के लिए सुरक्षित और कई भुगतान गेटवे।
- इस पोर्टल पर विविध प्रकार के प्रामाणिक विक्रेता पंजीकृत हो सकते हैं, जैसे कारीगर, बुनकर, निर्माता कंपनियां, एसएचजी सहकारी समितियां आदि।
- सुचारू ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए कई लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ एकीकरण।
- 'व्यापार करने में आसानी' सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण से ऑर्डर पूरा होने तक विक्रेताओं की मुफ्त सहायता।
- कारीगरों/बुनकरों को एक साझा मंच के माध्यम से सीधे खरीदारों से जोड़ना।

हथकरघा और हस्तकला को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल:

- हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (HWCWS), राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP), व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (CHCDS), यार्न आपूर्ति योजना (YSS), एक जिला-एक उत्पाद (ODOP), वेवर मुद्रा योजना, अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना तथा प्रोडक्शन लिंक्ड योजना आदि।

आगे की राह:

इस क्षेत्र में लगभग 4 मिलियन लोग कार्यरत हैं। भारतीय शिल्प क्षेत्र में सही समर्थन और कारोबारी माहौल मिलने से अरबों डॉलर का बाजार बनने की संभावना है। वैश्वीकरण के दौर में भी हस्तशिल्प क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक बाजारों में व्यापक अवसर हैं। सरकार को कारीगरों की स्थिति में उत्थान के लिए सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि हस्तकला उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि यदि पति-पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह होने की गुंजाइश बची ही नहीं है, अर्थात विवाह अपरिवर्तनीय टूटने की स्थिति में है तो कोर्ट संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अदालत इस शक्ति के प्रयोग में हिंदू विवाह अधिनियम (HMA), 1955 के तहत तलाक के लिए अनिवार्य छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को माफ कर सकती है और यहां तक कि अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह के विघटन की अनुमति दे सकती है यदि कोई एक पक्ष तैयार न भी हो।

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की प्रक्रिया:

- HMA की धारा 13B 'आपसी सहमति से तलाक' को अनुमति देती है। तलाक के लिए दोनों पक्षों को एक साथ जिला अदालत में याचिका दायर करनी होती है।
- वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हों या एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं या परस्पर सहमत हैं कि विवाह भंग कर दिया जाये।
- अधिनियम की धारा-13बी(2) के तहत तलाक के लिये छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा करनी होती है जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों को अपनी याचिका वापस लेने का समय देना है जिसे कूलिंग पीरियड

कहते हैं।

- तत्पश्चात अदालत संतुष्ट होने पर पक्षों को सुनने के बाद और ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, विवाह-विच्छेद की डिक्री की तारीख से विवाह को भंग करने की घोषणा करता है।

संविधान के अनुच्छेद-142 के बारे में:

- अनुच्छेद-142 की उपधारा-1 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस तरह पारित कोई भी डिक्री या ऐसा किया गया आदेश पूरे भारत के क्षेत्र में लागू होगा।

विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने की स्थिति:

पहली और सबसे 'स्पष्ट' शर्त यह है कि अदालत को पूरी तरह से आश्वस्त व संतुष्ट होना चाहिए कि विवाह 'पूरी तरह से अव्यावहारिक, भावनात्मक रूप से मृत और मुक्ति से परे है। इसलिए विवाह का विघटन सही समाधान और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है।' इसके लिए अदालत निम्नलिखित कारकों पर विचार करती है:

- शादी के बाद दोनों पक्षों के सहवास की अवधि।
- पिछली बार कब सहवास हुआ?
- पार्टियों द्वारा एक दूसरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति।
- कानूनी कार्यवाही में समय-समय पर पारित आदेश।
- व्यक्तिगत संबंधों पर संचयी प्रभाव।
- क्या और कितने प्रयास न्यायालय द्वारा या मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए किए गए थे तथा आखिरी प्रयास कब किया गया था?
- अदालत ने यह भी कहा कि अलगाव की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए और छह साल या उससे अधिक कुछ भी एक प्रासंगिक कारक होगा।

आगे की राह:

अदालत के फैसले का कई कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह विवाह से संबंधित लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगा और विवाह में पीड़ित जोड़ों को राहत प्रदान करेगा। हालाँकि, कुछ आलोचकों ने अदालत द्वारा इस शक्ति के संभावित दुरुपयोग और एक संस्था के रूप में विवाह की पवित्रता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी चिंता जताई है।

3. स्मार्ट सिटी मिशन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा जून 2023 से बढ़ाकर जून 2024 कर दिया है।

स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में:

- भारत में स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट शहरों को विकसित करने, उन्हें नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक शहरी नवीनीकरण तथा रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों के सहयोग से मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

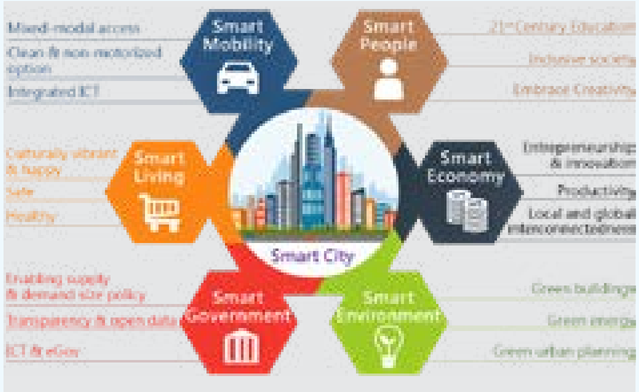

उद्देश्य:

- स्मार्ट सिटी पहल का उद्देश्य शहरों के सतत, स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है जो कुछ स्मार्ट समाधानों जैसे डेटा-संचालित यातायात प्रबंधन, एआई आधारित प्रकाश व्यवस्था आदि के माध्यम से जीवन की एक सभ्य गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण देने के लिए मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करना हैं।

कवरेज:

- इस मिशन ने 100 शहरों को कवर किया है जिन्हें समान मानदंडों के आधार पर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के बीच एक फार्मूले के तहत वितरित किया गया है। फार्मूला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की शहरी आबादी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में वैधानिक कस्बों (नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति के साथ एक शहर) की संख्या को समान भार (50:50) देता है। इस फॉर्मूले के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संभावित स्मार्ट शहरों की एक निश्चित संख्या होगी तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक स्मार्ट सिटी होगी।

प्रशासनिक संरचना:

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दिशानिर्देश तीन स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य और शहर) पर दिये जाते हैं:

- **राष्ट्रीय स्तर पर:** शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली और संबंधित मंत्रालयों व संगठनों के प्रतिनिधियों की एक शीर्ष समिति को प्रस्तावों को मंजूरी देने, प्रगति की निगरानी करने और धन जारी करने का अधिकार है।
- **राज्य स्तर पर:** एक उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (HPSC) की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, जो समग्र रूप से स्मार्ट सिटी मिशन को संचालित करते हैं।
- **शहर के स्तर पर:** सभी स्मार्ट शहरों में एक स्मार्ट सिटी सलाहकार फोरम होता है जिसकी भूमिका धन जारी करना, स्मार्ट सिटी की योजना को लागू करना, निगरानी और मूल्यांकन करना है।

भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का समर्थन करने वाले देश:

- स्पेन ने दिल्ली को स्मार्ट शहरों में विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग किया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) और अजमेर (राजस्थान) को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने में मदद किया है।
- जर्मनी ने भुवनेश्वर (ओडिशा), कोच्चि (केरल) और कोयम्बटूर (तमिलनाडु) को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है।
- जापान ने चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने में भारत की मदद करने कर रहा है।
- फ्रांस ने तीन भारतीय शहरों चंडीगढ़, लखनऊ और पुडुचेरी को विकसित करने में मदद दे रहा है।
- सिंगापुर ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में मदद करने की पेशकश की है।

आगे की राह:

स्मार्ट सिटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंसिंग की है। स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार को सफल कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करके भारत में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है।

4. राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को अधिसूचित किया। नई राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति का उद्देश्य अगले कुछ वर्षों में विदेशी निर्भरता को लगभग 30% तक कम करना और भारत को शीर्ष पांच वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाना है। यह नीति निर्यात-संचालित विनिर्माण को भी बढ़ावा देती है, चिकित्सा उपकरणों पर भारत के प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाती है और महंगे चिकित्सा उपकरणों को सुलभ व सस्ती बनाती है।

भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का आकार:

- भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जहां लगभग 80-85% उपकरणों का आयात किया जाता है।
- चिकित्सा उपकरणों की श्रेणी में भारत की वर्तमान बाजार हिस्सेदारी वैश्विक बाजार का 1.5% या 2020 में $11 बिलियन (90,000 करोड़ रुपये) रहा।
- इस नीति का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में 10-12% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है, जिसका तत्काल अल्पकालिक लक्ष्य 2030 तक $50 बिलियन तक पहुंचना है।
- अमेरिका 40% बाजार हिस्सेदारी के साथ वैश्विक बाजार पर हावी है जिसके बाद यूरोप और जापान क्रमशः 25% और 15% हैं।

इस नीति का फ्रेमवर्क:

- राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देगी, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, नवाचार केंद्रों को बढ़ावा देगी एवं स्टार्ट-अप का समर्थन करेगी।
- यह इस क्षेत्र में निजी निवेश, वेंचर कैपिटल फंडिंग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।
- यह नीति कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में कौशल, पुनर्कौशल और अपस्किलिंग पेशेवरों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
- यह कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भविष्य हेतु तैयार मेडटेक मानव संसाधनों का उत्पादन करने के लिए मौजूदा संस्थानों में समर्पित बहु-विषयक पाठ्यक्रमों का समर्थन करेगी।
- यह नीति मेड-टेक विकसित करने के लिए विदेशी शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग संगठनों के साथ साझेदारी करेगी।
- यह ब्रांड की स्थिति और जागरूकता में सुधार लाने, विनिर्माण की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को सीखने तथा भारत में विश्व स्तर पर सफल मॉडल को अपनाना है। यह अध्ययन व परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुए एक समर्पित निर्यात प्रोत्साहन परिषद का निर्माण करेगी।

भारत में चिकित्सा उपकरणों के बारे में:

- एक चिकित्सा उपकरण कोई भी उपकरण, कार्यान्वयन, मशीन, इम्प्लांट, इन विट्रो उपयोग के लिए अभिकर्मक, सॉफ्टवेयर, सामग्री या अन्य सामान हो सकता है, जिसका उपयोग अकेले या चिकित्सा उद्देश्य के लिए संयोजन में किया जा सकता है।
- भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 1940 के औषधि और प्रसाधन अधिनियम द्वारा विनियमित है जो चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने में अपर्याप्त रहा है।
- फरवरी 2020 में चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 में दवाओं के समान ही चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए परिवर्तनों को अधिसूचित किया गया था।

आगे की राह:

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति उन्नत चिकित्सा उपकरणों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने और सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह नीति चिकित्सा उपकरणों पर भारत के प्रति व्यक्ति खर्च को भी बढ़ाएगी और महंगे चिकित्सा उपकरणों को सुलभ तथा सस्ती बनाएगी।

5. मणिपुर में हिंसा

चर्चा में क्यों?

मणिपुर में एक आदिवासी छात्र संघ ने गैर-आदिवासी मैतई (Meitei) समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में एक मार्च का आयोजन किया। मार्च हिंसक हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने चुराचांदपुर जिले और राज्य के अन्य हिस्सों में मैतई लोगों के घरों व दुकानों में आग लगा दी। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स

यूनियन मणिपुर (ATSUM) द्वारा आयोजित एक विशाल रैली के हिंसक हो जाने के बाद मणिपुर सरकार ने अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया।

संघर्ष के पीछे का इतिहासः

- मैतई और आदिवासियों के बीच संघर्ष का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संघर्षो का एक लंबा इतिहास रहा है।
- इंफाल घाटी, जो मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा है, जहां मैतई की संख्या सर्वाधिक है। यह राज्य की आबादी का 64% से अधिक हिस्सा है और राज्य के 60 विधायकों में से 40 इसी क्षेत्र से हैं।
- मैतई, 2012 से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं।
- उनका तर्क है कि वे एक स्वदेशी जनजाति हैं जिन्होंने बाहरी लोगों के प्रवास और आत्मसात होने के कारण अपनी भूमि, संस्कृति व पहचान खो दी है।
- उनका यह भी दावा है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से उन्हें अपनी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
- आदिवासी, जो आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं और आबादी का 35% से अधिक हिस्सा है, एसटी दर्जे के लिए मैतई की मांग का विरोध कर रहे हैं।
- उन्हें डर है कि इससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण लाभ और भूमि अधिकारों में उनका हिस्सा कम हो जाएगा।
- वे मैतई लोगों पर उनकी पुश्तैनी जमीनों पर कब्जा करने और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का भी आरोप लगाते हैं।

मैतई समुदाय के बारे में:

- मैतई समुदाय मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है।
- **भाषाः** वे मैतई भाषा (आधिकारिक तौर पर मणिपुरी कहलाती है), भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक और मणिपुर राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा बोलते हैं।
- **वितरणः** मैतई समुदाय मुख्य रूप से आधुनिक मणिपुर में इंफाल घाटी क्षेत्र में बसे हुए हैं। हालांकि एक बड़ी आबादी अन्य भारतीय राज्यों असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में बस गई है।
- म्यांमार और बांग्लादेश के पड़ोसी देशों में भी मैतई समुदाय की उल्लेखनीय उपस्थिति है।
- **कुलः** वे कुलों में विभाजित होते हैं, जिनके सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं।
- **त्यौहारः** विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं जिनमें लाई हराओबा, चीरोबा, याओसांग शामिल है।
- मणिपुरी मार्शल आर्ट थांग-टा एक जुझारू खेल है जिसकी उत्पत्ति मैतई समुदाय शूरवीरों में हुई थी।

आगे की राहः

राज्य में बहुसंख्यक आबादी वाला मैतई समुदाय तकरीबन 10 वर्षों से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं करने पर मैतई ट्राइब यूनियन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को मैतई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए सिफारिश भेजने के निर्देश दिए थे। इससे राज्य में हिंसा और अशांति फैल गई, जिससे दोनों समुदायों का जीवन व आजीविका प्रभावित हुई।

6. तलाक-ए-हसन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक-ए-हसन की वैधता को चुनौती देने वाली मुस्लिम महिलाओं की याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जो एक पुरुष को मौखिक रूप से या लिखित रूप में एक महीने के अंतराल में तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को एकतरफा तलाक देने की अनुमति देता है। कई महिलाओं ने तलाक-ए-हसन की वैधता को चुनौती दी है और कहा है कि पुरुषों द्वारा महिलाओं को मझधार में छोड़ने के लिए काजियों की मिलीभगत से उनकी शादी को रद्द करने के लिए इसका एकतरफा उपयोग किया जाता है।

याचिकाकर्ता का तर्कः

- तलाक-ए-हसन भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह केवल पुरुषों को अपने पक्ष में इसका इस्तेमाल करने की अनुमति देता है जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है।
- तलाक-ए-हसन और एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के अन्य रूप न तो मानवाधिकारों या लैंगिक समानता के सिद्धांतों के अनुरूप हैं और न ही यह इस्लामी आस्था का अभिन्न अंग है।
- यह भी तर्क दिया गया कि कई इस्लामिक देशों ने इस तरह की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि भारत में यह अभी भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही तलाक के इन एकतरफा मनमाने फैसलों से कई बच्चों के साथ-साथ महिलाओं का जीवन भी प्रभावित होता रहा है।

तलाक-ए-हसन के बारे में:

- तलाक-ए-हसन तलाक की प्रथा है जिसका कुरान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
- तलाक-ए-हसन का उच्चारण कम से कम एक महीने या एक मासिक धर्म के अंतराल के साथ किया जाता है।
- तलाक-ए-हसन की पहली घोषणा के माध्यम से केवल एक ही प्रतिसंहरणीय तलाक (Revocable divorce) होता है और जोड़ों को इस घोषणा के बाद एक साथ रहना चाहिए जो उनके मेल-मिलाप का विकल्प देता हो।
- इस महीने के अंत में पति को दूसरी बार तलाक की घोषणा करनी होती है जो कि प्रतिसंहरणीय है और युगल अपने वैवाहिक संबंध को फिर से शुरू कर सकते हैं, जब भी वे चाहें।
- यदि कम से कम एक माहवारी के बाद तीसरा उच्चारण किया जाता है, तब अपरिवर्तनीय तलाक होता है।
- जब महिला अपने मासिक धर्म या गर्भावस्था से गुजर रही हो तो कोई तलाक नहीं दिया जा सकता है।

आगे की राहः

22 अगस्त, 2017 को शायरा बानो के फैसले में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तलाक-ए-बिद्दत, एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा तीन तलाक की घोषणा के माध्यम से दिए गए तत्काल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। तलाक-ए-हसन की वैधता तय करने के लिए अदालत को धर्म की स्वतंत्रता के साथ-साथ संवैधानिक नैतिकता पर विचार करने के बाद ही फैसला देना चाहिए।

7. आई-ड्रोन (i-Drone) पहल

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2023 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा आई-ड्रोन का उपयोग करके रक्त की थैलियों के परिवहन (Blood Bag Delivery) के लिए परीक्षण किया, जो सफल रहा।

मुख्य बिन्दु:

- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली तथा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा ने शुरूआती परीक्षण हेतु 10 यूनिट ब्लड सैम्पल लिया था।
- आई-ड्रोन पहल ने विभिन्न चिकित्सा आपूर्ति जैसे कि कोविड-19 टीके, नियमित टीकाकरण टीके, प्रसवपूर्व देखभाल टीके, मल्टी-विटामिन, सीरिंज और दस्ताने पहुँचाए।
- ड्रोन-आधारित लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया था जिसने टीके देने का पहला सफल उदाहरण बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।
- इस प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में चिकित्सा आपूर्ति के परिवहन और वितरण के बीच मौजूदा अंतराल को कम करने की क्षमता है।

आई-ड्रोन पहल के बारे में:

- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने इसे यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई है कि आवश्यक टीके सभी के लिए सुलभ हों, यहां तक कि भारत के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में भी।
- 'आई-ड्रोन' पहल ने भूमि, द्वीप, तटीय और पहाड़ी जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में टीकों व चिकित्सा उपकरणों के वितरण के लिए ड्रोन के उपयोग की व्यावहारिकता का मूल्यांकन किया।
- इस पहल ने टीके की वितरण प्रणाली में व्याप्त अंतराल को दूर करने में मदद की।

आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च):

- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन, भारत में चिकित्सा अनुसंधान के विकास, आयोजन और प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण है।
- इसका उद्देश्य चिकित्सा अनुसंधान को प्रयोग करने योग्य उत्पादों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके, उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करना व समाज को लाभ पहुंचाने वाले चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

ड्रोन से संबंधित अन्य परियोजनाएँ:

- तेलंगाना सरकार द्वारा मेडिसिन फ्रॉम स्काई।
- सेमी-एरिड ट्रापिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (1972 में स्थापित) को कृषि अनुसंधान गतिविधियों हेतु ड्रोन तैनात करने की अनुमति देना।

आगे की राह:

इस प्रयोग के परिणाम वैज्ञानिक प्रमाण देंगे कि ड्रोन परिवहन रक्त उत्पादों को कैसे प्रभावित करता है? इससे मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का निर्माण होगा जिसका अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इससे ड्रोन के उपयोग को ब्लड बैग को वितरित करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

1. इंडिजिनस (Indigenous) मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संपन्न हुए इंडिजिनस (Indigenous) मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच (UNPFII) के 22वें सत्र में इंडिजिनस लोगों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास और संस्कृति, भाषाओं के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को साकार करना मीटिंग का केंद्रबिंदु रहा। इस दौरान बुरुंडी के एक UNPFII सदस्य, वाइटल बम्बांजे ने 2022 में चिली में आयोजित 'Truth, Transitional Justice and Reconciliation Processes' विषय पर मीटिंग की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यूएनपीएफआईआई के बारे में:

- यह आर्थिक और सामाजिक परिषद (जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है) के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना 28 जुलाई, 2000 को हुई थी। इसकी पहली बैठक मई 2002 में हुई थी, तभी से यह प्रतिवर्ष न्यूयार्क में आयोजित होता रहा है।

यूएनपीएफआईआई का प्रमुख कार्य:

- आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों, निधियों तथा एजेंसियों को इंडिजिनस मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना।
- जागरूकता के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर इंडिजिनस मुद्दों से संबंधित गतिविधियों के एकीकरण और समन्वय को बढ़ावा देना।
- यह संयुक्त राष्ट्र के उन तीन निकायों में से एक है जिन्हें विशेष रूप से इंडिजिनस लोगों के मुद्दों से निपटने के लिए अधिकृत किया गया है।
- अन्य दो निकाय इंडिजिनस लोगों के अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र और इंडिजिनस लोगों के विशेष रैपोर्टेयर (Rapporteur) अधिकार हैं।

यूएनपीएफआईआई के सदस्य:

- इसमें सोलह स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं, जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम करते हैं। इनका सदस्यों के रूप में तीन साल का कार्यकाल होता है जो एक अतिरिक्त कार्यकाल हेतु फिर से नियुक्त किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों में से आठ सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि अन्य आठ को उनके क्षेत्रों में इंडिजिनस संगठनों द्वारा सीधे नामित किया जाता है। इंडिजिनस संगठनों द्वारा नामित विशेषज्ञ आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

इंडिजिनस लोगों के बारे में:

- इन लोगों का उपनिवेशीकरण से पहले अपने मातृभूमि के साथ एक ऐतिहासिक जुड़ाव है। उनकी विशिष्ट भाषाएँ, संस्कृतियाँ, मान्यताएँ और ज्ञान प्रणालियाँ हैं। वे अपनी स्वयं की पहचान और विशिष्ट संस्थानों को बनाए रखने तथा विकसित करने के लिए दृढ़ होते हैं जिससे समाज के एक गैर-प्रमुख क्षेत्र का निर्माण करते हैं।

आगे की राह:

पर्यावरण संतुलन और मानवता को बनाये रखने हेतु इंडिजिनस लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, हम सभी का सामूहिक कर्त्तव्य है। उनकी सांस्कृतिक विविधता, भाषाई पहचान और पर्यावरण के प्रति लगाव को मान्यता देने से ही सच्चे अर्थों में सामाजिक सौहार्द की स्थापना हो सकती है।

2. जापान की नई महासागर नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान ने एक नई पंचवर्षीय महासागर नीति अपनाई है, जिसमें मजबूत समुद्री सुरक्षा की मांग की गई है। इसमें तट रक्षक की क्षमता बढ़ाने और सेना के साथ सहयोग को मजबूत करना शामिल है, क्योंकि चीन क्षेत्रीय सागरों में तेजी से अपनी पहुंच बना रहा है।

इस नीति के बारे में:

- महासागर नीति पर नई मूल योजना कहती है कि जापान को अपनी निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए स्वायत्त पानी (Autonomous Water) के नीचे के वाहनों और दूर से संचालित रोबोटों के विकास में तेजी लानी चाहिए।
- महासागर नीति यह भी कहती है कि जापान के तट रक्षक, जो सीमा विवादों की अग्रिम पंक्ति पर रहते है, की क्षमता में सुधार की आवश्यकता है।
- महासागर नीति पर मूल योजना जापान से कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए समुद्री संसाधनों का बेहतर उपयोग पर भी जोर देती है। इसमें अपतटीय पवन-ऊर्जा जनरेटर बनाने के लिए क्षेत्रीय जल के बाहर विशेष आर्थिक क्षेत्र का अधिक उपयोग शामिल है।
- नई महासागर नीति समुद्र के नीचे के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और इसके ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने की दिशा में अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करती है।

इस नीति में निम्न खतरों का उल्लेख है:

- चीनी तट रक्षक जहाजों का जापानी क्षेत्रीय जल में बार-बार घुसपैठ करना।
- जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर 'विदेशी सर्वेक्षण नौकाओं' द्वारा अनधिकृत समुद्री गतिविधि में वृद्धि होना।
- चीन और रूस द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाना और उत्तर कोरिया द्वारा बार-बार मिसाइल लॉन्च करना।

जापान के साथ समस्या:

- जापान का तट रक्षक अक्सर पूर्वी चीन सागर में जापानी-नियंत्रित विवादित द्वीपों की ओर आने वाले चीनी तट रक्षक जहाजों, उत्तरी कोरियाई शिकारियों और संदिग्ध जासूसी नौकाओं तथा विवादित उत्तरी द्वीपों के पास रूसी तट रक्षक जहाजों का सामना करते रहते हैं जिसके चलते नीति को बदलना आवश्यक हो गया था।
- जापान ने समुद्र के नीचे जमा और अन्य समुद्री संसाधनों के स्पष्ट सर्वेक्षण के लिए जापानी जल या उसके ठीक बाहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी शोध जहाजों के प्रवेश का बार-बार विरोध किया है। फिर भी ऐसी गतिविधियाँ लगातार बनी हुई हैं जिसके चलते भी नयी नीति लानी पड़ी।

आगे की राह:

नई महासागर नीति जापान की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जापान की सैन्य शक्ति को मारक क्षमता के साथ मजबूत करने और पांच साल के भीतर अपने रक्षा बजट को दोगुना करने का प्रावधान करती है। रणनीति ताइवान या अन्य संभावित संघर्षों पर किसी भी आपात स्थिति में सेना और तट रक्षक के बीच घनिष्ठ सहयोग की भी मांग करती है।

3. कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि भारत 2027 से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) और लॉन्ग-टर्म एस्पिरेशनल गोल्स (LTAG) में भाग लेना शुरू करेगा।

समाचार से संबंधित मुख्य बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने कई प्रमुख महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को अपनाया है, जिसमें 2050 तक दो प्रतिशत वार्षिक ईंधन दक्षता सुधार, कार्बन तटस्थ विकास और 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य शामिल हैं।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 2027 से CORSIA में शामिल होने से भारत की एयरलाइनों को अधिक विकास हासिल करने और प्रतिकूल वित्तीय परिणामों से बचने में मदद मिलेगी।
- ऑफसेटिंग के कारण होने वाला वित्तीय प्रभाव अलग-अलग एयरलाइनों द्वारा उनके अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के आधार पर वहन किया जाएगा। CORSIA एक देश से दूसरे देश के लिए शुरू होने वाली उड़ानों पर लागू होता है।

कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA):

- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित एक वैश्विक योजना है। इसका उद्देश्य योग्य परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट की खरीद के माध्यम से उत्सर्जन में किसी भी वृद्धि को ऑफसेट करके अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु कार्बन-तटस्थ विकास हासिल करना है। इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध होगा जिसमें पहला चरण (2021-2023), दूसरा चरण (2024-2026) और तीसरा चरण (2027-2035) है। इसमें कम विकसित देशों, छोटे द्वीपीय विकासशील देशों और लैंडलॉक्ड विकासशील देशों को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में:

- यह 193 देशों द्वारा शिकागो कन्वेंशन (1944) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में हवाई परिवहन में उनकी कूटनीति और सहयोग का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विमानन उद्योग के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है। यह सदस्य राज्यों के साथ हवाई नेविगेशन और हवाई परिवहन से संबंधित विनियमों को विकसित तथा उसे कार्यान्वित करने का काम करता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल (कनाडा) में स्थित है।

आगे की राह:

बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। बाधारहित हवाई सेवाओं के परिचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव शुरू करना निश्चित रूप से स्वागतयोग्य कदम है जिसे प्रत्येक देश को सहयोग करना चाहिए।

4. भारत-आसियान समुद्री अभ्यास

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना ने पहले आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2023) में भाग लिया, जो सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया था जहां चीन प्रमुख खतरा बन रहा है। INS दिल्ली (भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक) और INS सतपुड़ा (एक स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट) ने अभ्यास में भाग लिया।

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2023) के बारे में:

- एआईएमई-2023 के तहत पहली बार भारत, आसियान के साथ समुद्री अभ्यास में शामिल हुआ। हालांकि आसियान देशों के साथ अलग-अलग अभ्यास होते रहे हैं।
- इसका उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतरसंक्रियता और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- AIME-2023 के साथ भारत, रूस, चीन और अमेरिका के बाद ASEAN+1 समुद्री अभ्यास आयोजित करने वाला चौथा ASEAN संवाद भागीदार बन गया है।

एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के बारे में:

- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ या आसियान की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को बैंकाक (थाईलैंड) में आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर आसियान के संस्थापक देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- ब्रुनेई दारुस्सलाम 7 जनवरी 1984 को आसियान में शामिल हुआ, जिसके बाद 28 जुलाई 1995 को वियतनाम, 1997 को लाओ पीडीआर और म्यांमार तथा 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया आसियान का दसवां सदस्य देश बना।
- इसका उद्देश्य अपने सदस्यों और अन्य एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक व सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- **सदस्य:** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम।

भारत-आसियान संबंध के बारे में:

- भारत और आसियान ने कंबोडिया में 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है।
- आसियान और भारत के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए भारत द्वारा 2014 में एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा हुई थी।
- वर्ष 2022 को भारत और आसियान के बीच 30 वर्षों के संबंधों को चिह्नित करने के लिए मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया।
- आसियान भारत का अमेरिका, यूरोपीय यूनियन तथा चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- आसियान के साथ भारत का व्यापार 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है।
- पीएम मोदी ने 2019 में इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) की घोषणा की, जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी के साथ एक सुरक्षित, स्थिर, समृद्ध और टिकाऊ समुद्री डोमेन बनाने के लिए साझेदारी करना है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, समुद्री संसाधन व क्षमता निर्माण करना भी शामिल है।
- भारत ने जून 2022 में विशेष आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक (SAIFMM) की मेजबानी की थी।

आगे की राह:

भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी पीएलए नौसेना के जहाजों की बढ़ती आवाजाही और पाकिस्तान के बंदरगाहों पर चीनी जहाजों की डॉकिंग पर कड़ी नजर रख रही है। हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य के क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरों के बीच आसियान क्षेत्र के साथ अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है।

5. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

चर्चा में क्यों?

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (3 मई) के अवसर पर वैश्विक मीडिया निगरानी संगठन 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर' ने अपना वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित किया। फ्रांस स्थित यह एनजीओ हर साल दुनिया भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

रैंकिंग के बारे में:

- रैंकिंग में शीर्ष तीन देश नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क हैं, जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया अंतिम 3 देश हैं।
- रिपोर्ट के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के स्थान पर चिंता जताई गई है। 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 11 पायदान गिरकर 161वें स्थान पर आ गया।
- पिछले साल 180 देशों के सर्वेक्षण में भारत को 150वां स्थान दिया गया था।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन देशों ताजिकिस्तान (एक पायदान नीचे 153वें स्थान पर), भारत (11 स्थान नीचे 161वें स्थान पर) और तुर्की (16 स्थान नीचे 165वें स्थान पर) में स्थिति 'समस्याग्रस्त' से 'बहुत खराब' हो गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सूचना के मुक्त प्रवाह को खतरनाक रूप से प्रतिबंधित करती है जिसमें कुलीन वर्गों द्वारा मीडिया संस्थानों का अधिग्रहण शामिल है जिसके राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं।

रैंकिंग में गिरावट की वजह:

- जनता की राय में हेरफेर करने और पत्रकारिता में विश्वास को कम करने के लिए दुष्प्रचार का बढ़ता उपयोग।
- राजद्रोह, आतंकवाद, मानहानि और अदालत की अवमानना जैसे विभिन्न आरोपों पर पत्रकारों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेना तथा उन पर मुकदमा चलाना।
- ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग, साइबर हमले, निगरानी, सेंसरशिप से डिजिटल स्पेस और लोकतंत्र की खतरनाक स्थिति होना।
- पत्रकारों के खिलाफ हिंसा में पिछले साल कम से कम 10 मौतें हुई हैं, जिससे भारत मीडिया कर्मियों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बन गया है।

सूचकांक के बारे में:

- यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (पेरिस में स्थित एक स्वतंत्र एनजीओ) द्वारा 2002 से हर साल प्रकाशित किया जाता है।
- प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन पाँच प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है:
  - » राजनीतिक संदर्भ
  - » कानूनी ढांचा
  - » आर्थिक संदर्भ
  - » सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ
  - » सुरक्षा
- 100 प्रेस की स्वतंत्रता का उच्चतम संभव स्तर है, जबकि 0 सबसे खराब स्तर है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में:

- 1991 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी।
- यह दिन 1991 के विंडहोक घोषणा (यूनेस्को द्वारा अपनाया गया) को याद करता है।
- इसका उद्देश्य 'एक स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस का विकास' करना था। इस वर्ष इस दिवस की 30वीं वर्षगांठ है।
- इस वर्ष की थीम 'शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स: फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स' है।

प्रेस की स्वतंत्रता हेतु दिये गये सुझाव:

- पत्रकारों सहित सभी नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करना।
- देशद्रोह, मानहानि तथा अदालत की अवमानना जैसे पत्रकारों को परेशान करने और चुप कराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कानूनों को निरस्त या संशोधित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि पत्रकार किसी भी ओर से खतरे या हमले का सामना किए बिना सुरक्षित रूप से काम कर सकें।

आगे की राह:

स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो नागरिकों को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने, अपनी राय व्यक्त करने और सार्वजनिक बहस में भाग लेने में सक्षम बनाता है। मुक्त और स्वतंत्र मीडिया भी विकास का उत्प्रेरक है क्योंकि यह भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के उल्लंघन, सामाजिक अन्याय और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उजागर करता है। इसलिए प्रेस की आजादी को बनाए रखना जरूरी है।

6. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क (FSIN) ने 2023 के लिए खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (GRFC) जारी की, जिसे ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य मानवीय विकास पहलों को सूचित करने के लिए स्वतंत्र और सर्वसम्मति-आधारित साक्ष्य तथा विश्लेषण प्रदान करना है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- रिपोर्ट के अनुसार, 39 देशों में लगभग 35 मिलियन लोगों को तीव्र भूख का सामना करना पड़ा, जिनमें से आधे से अधिक सिर्फ चार देशों अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सूडान और यमन में रहते थे।
- भुखमरी के कगार पर खड़े लोगों में आधे से ज्यादा सोमालिया (57 फीसदी) में थे, जबकि अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, हैती (देश के इतिहास में पहली बार), नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन में भी ऐसी चरम परिस्थितियां सामने आईं।
- भुखमरी को समाप्त करना और 2030 तक खाद्य सुरक्षा तथा पोषण में सुधार करना सतत विकास (SDG-2) का लक्ष्य है। यह रिपोर्ट 2030 तक भुखमरी को खत्म करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार के एसडीजी 2 लक्ष्य की दिशा में प्रगति करने में दुनिया की मदद करेगी।
- आर्थिक झटके, संघर्ष/असुरक्षा और चरम मौसम/जलवायु इस आपदा के प्रमुख जिम्मेदार कारक थे। कुछ महत्त्वपूर्ण खाद्य संकटों में आर्थिक झटके (कोविड-19 के सामाजिक आर्थिक प्रभाव और यूक्रेनी युद्ध के प्रभाव) गंभीर भोजन की कमी और कुपोषण आदि इसके प्रमुख स्रोत के रूप में हैं।
- रिपोर्ट के आंकलन के अनुसार, तीव्र भूख का सामना करने, तत्काल भोजन, पोषण और आजीविका सहायता की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या 2022 में 2021 के 193 मिलियन से बढ़कर 258 मिलियन हो गई, जो केवल एक वर्ष में 34% की वृद्धि दिखाता है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान:

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) की स्थापना 1975 में हुई थी। यह भूख और कुपोषण को कम करने के लिए

अनुसंधान-आधारित नीति समाधान प्रदान करता है।

- मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी।
- इसका अनुसंधान पाँच मुख्य अध्ययन क्षेत्रों पर फोकस करता है:
  1. जलवायु-लचीलापन और सतत खाद्य आपूर्ति का विकास करना।
  2. सभी के लिए स्वस्थ भोजन और पोषण प्रदान करना।
  3. समावेशी और कुशल बाजार, व्यापार प्रणाली तथा खाद्य उद्योग का निर्माण करना।
  4. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं में बदलाव करना।
  5. संस्थागत शासन का सुदृढ़ीकरण करना।

खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क:

- ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस (GNAFC) एक मानवतावादी गठबंधन है जो खाद्य संकट के मूल कारणों को दूर करने, साझा विश्लेषण करने और ज्ञान के माध्यम से दीर्घकालिक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह साक्ष्य-आधारित प्रतिक्रियाओं में समन्वय करके सहयोगात्मक प्रयास करता है।
- इसकी स्थापना 2016 में यूरोपीय संघ, FAO और WFP द्वारा की गई थी।
- यह खाद्य संकटों को रोकने, तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने के साथ-साथ SDG 2 का समर्थन करने के लिए मानवतावादी और विकासवादी गठबंधन है।

आगे की राह:

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहले से ही तीव्र खाद्य असुरक्षा से पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के एनजीओ व सरकरों की मदद से समय पर कार्यवाही करके ही ऐसी आपदा से बचा जा सकता है।

7. भारत में धार्मिक स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों:

हाल ही में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, अमेरिकी विदेश विभाग से कई अन्य देशों के साथ-साथ धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर भारत को 'विशेष चिंता वाले देश' के रूप में नामित करने का उल्लेख किया। USCIRF वर्ष 2020 से विदेश विभाग को इसी तरह की सिफारिशें कर रहा है, जिन्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

आयोग की मुख्य सिफारिशें:

- आयोग ने बाइडेन प्रशासन से देश में धार्मिक स्वतंत्रता के 'गंभीर उल्लंघन' के लिए जिम्मेदार भारत सरकार की एजेंसियों और अधिकारियों की संपत्तियों को फ्रीज करके उन पर लक्षित प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया।
- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने कांग्रेस को भी अमेरिका-भारत द्विपक्षीय बैठकों के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को उठाने और इस पर सुनवाई करने की सिफारिश की।
- USCIRF ने आरोप लगाया कि 2022 में, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब होती गई। पूरे वर्ष के दौरान राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर भारत सरकार ने धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को लागू किया, जिसमें धार्मिक रूपांतरण, अंतर-विश्वास संबंधों, हिजाब पहनने और गोहत्या को लक्षित करने वाले कानून शामिल हैं। ये कानून मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलित और आदिवासी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- USCIRF ने आरोप लगाया कि सरकार ने भी आलोचनात्मक आवाजों को दबाना जारी रखा-विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को निगरानी, उत्पीड़न, संपत्ति को विध्वंस करना आदि। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) व गैर सरकारी संगठनों को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत भी कार्यवाही हुई है।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में:

- संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
- संविधान के भाग-3 (मौलिक अधिकार) के अनुच्छेद-25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
- संविधान का अनुच्छेद-25(1) अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। हालाँकि सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राष्ट्रीय हितों के आधार पर अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है।
- अनुच्छेद-26 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है।
- अनुच्छेद-27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद-28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता के बारे में बात करता है।

आगे की राह:

यह रिपोर्ट की सिफारिशें बहुत हद तक राज्य विभाग की विशेष चिंता वाले देशों की सूची के साथ ओवरलैप करती हैं जो पूरी तरह से निर्णायक नहीं है। अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संगठन, फाउंडेशन ऑफ इंडियन एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) ने USCIRF की 'पक्षपाती' रिपोर्ट के लिए भी आलोचना की। इसके अलावा यह रिपोर्ट भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक और आर्थिक महत्त्व को स्वीकार करने में विफल रही है। यह रिपोर्ट इस तथ्य को नजरअंदाज कर देती है कि बुलडोजर चलने वाले घर अवैध निर्मित थे। भारत की 1.4 अरब लोगों की विविध आबादी की जटिलताओं पर विचार किए बिना अलग-अलग घटनाओं को सामान्य बनाने वाला USCIRF का यह एक पक्षपाती एजेंडा प्रतीत होता है जिस पर भारत और अमेरिकी प्रशासन को संवेदनशील रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय मुद्दे

1. दूसरा उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन के दौरान 9 यूरोपीय देशों ने उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने के उद्देश्य से एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया।

इस घोषणापत्र के बारे में:

- इस घोषणापत्र पर ऑस्टेंड (बेल्जियम) में दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए।
- यह घोषणा 2030 तक उत्तरी सागर में अपतटीय पवन ऊर्जा के कम से कम 120 गीगावाट (GW) के उत्पादन सहित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है।
- हस्ताक्षरकर्ता देशों का लक्ष्य 2050 तक अपनी कुल अपतटीय पवन क्षमता को कम से कम 300 GW तक दोगुना करना है।
- यह अपतटीय पवन और नवीकरणीय हाइड्रोजन इंटरकनेक्शन व राष्ट्रीय परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- यह उन देशों द्वारा सह-वित्तपोषण की संभावना को भी इंगित करता है जिनकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है।
- नौ हस्ताक्षरकर्ता देश अक्षय ऊर्जा, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के संतुलित सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और मजबूती में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन:

- इसका पहला शिखर सम्मेलन 2022 में डेनमार्क में हुआ था।
- पहले संस्करण के परिणामस्वरूप चार देशों (बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड) की संयुक्त अपतटीय बिजली उत्पादन क्षमता को 2050 तक 150 GW तक चौगुना करने की महत्त्वाकांक्षा को औपचारिक रूप देने की घोषणा हुई।
- नॉर्थ सी समिट के इस दूसरे संस्करण में बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, फ्रांस, आइसलैंड, नॉर्वे व यूके के प्रमुखों और ऊर्जा मंत्रियों के साथ-साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए।

उत्तरी सागर के बारे में:

- उत्तरी समुद्र के आसपास के देश क्रमशः ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस हैं।
- उत्तरी सागर दक्षिण में इंग्लिश चैनल और उत्तर में नार्वेजियन सागर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है।

आगे की राह:

इस घोषणा ने एक बार फिर हरित ऊर्जा चर्चाओं पर जोर दिया है। इस पहल का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा शामिल समुद्री क्षेत्र के भीतर अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी में तेजी लाना है।

2. लाल पांडा का सीमा पार संरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक जूलॉजिकल अध्ययन से पता चला है कि लाल पांडा पूर्वी हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में पाए गए हैं। यद्यपि अपने छोटे रहने योग्य क्षेत्र और अन्य मानवजनित गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव के कारण, लाल पांडा का अस्तित्व खतरे में हैं। इसलिए मानक संरक्षण उपायों के साथ-साथ उनके सीमा पार संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

लाल पांडा:

- लाल पांडा शर्मीले, एकान्त और वन में पाए जाने वाले जानवर होते हैं जिन्हें पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लाल पांडा की दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है- हिमालयन लाल पांडा और चीनी लाल पांडा।

पर्यावास:

- लाल पांडा आमतौर पर 2,200-5,000 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय के ठंडे पहाड़ी, मिश्रित पर्णपाती और शंकुधारी जंगलों में रहते हैं। इनके लिए उपयुक्त तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस है।

वितरण:

- हिमालयी लाल पांडा सिक्किम (राजकीय पशु), पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग-कालिम्पोंग जिलों, नेपाल, भूटान और दक्षिणी तिब्बत में पाए जाते हैं। भारत में सबसे उपयुक्त निवास स्थान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (सिक्किम), सिंगालीला और नेओरा घाटी राष्ट्रीय

उद्यान, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) हैं।

- जबकि चीनी लाल पांडा दक्षिणपूर्वी तिब्बत, उत्तरी म्यांमार और चीन के सिचुआन व युआन प्रांतों में पाए जाते हैं। अध्ययन ने इन दो प्रजातियों के वितरण के बीच वास्तविक भौगोलिक बाधा के रूप में यारलंग जंगबो नदी (ऊपरी ब्रह्मपुत्र धारा) की पुष्टि की है। ये स्तनपायी पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (पीएनएचजेडपी) के पूर्व स्थान पर भी पाए जा सकते हैं।

संरक्षण की स्थिति:

- वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-I
- सीआईटीईएस का परिशिष्ट-I
- आईयूसीएन की सूची के तहत संकटग्रस्त

चुनौतियां:

- जलवायु परिवर्तन और हिमालय की बदलती पारिस्थितिकी के कारण लाल पांडा कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके संरक्षण के उपाय सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकांश आवास और कनेक्टिविटी कॉरिडोर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (पैन) के दायरे से बाहर हो रहे हैं। इससे वे चल रही विकासात्मक गतिविधियों के कारण आवास विखंडन, विनाश और अवैध शिकार के जोखिमों का सामना करते हैं। उनकी लाल आकर्षक त्वचा, मांस या पालतू जानवरों के लिए अवैध तस्करी भी एक गंभीर समस्या है।

महत्त्व:

- लाल पांडा एक महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रजाति हैं क्योंकि पूर्वी हिमालय में पुष्प विविधता के प्राकृतिक पुनर्जनन में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ये परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये अपने मल के माध्यम से बीजों, परागणों को फैलाते हैं।
- ये मिट्टी में खाद और कार्बनिक पदार्थ भी मिलाते हैं और पूर्वी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड या खाद्य श्रृंखला में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- ये पर्यावरण-पर्यटक के केंद्र भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वी हिमालयी समुदायों की जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।

आगे की राह:

लाल पांडा तिब्बत के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संरक्षणवादी कदम के साथ-साथ अंतर-सरकारी कदमों की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही कॉरिडोर मैपिंग और बांस प्रजातियों के संवर्धन के साथ प्रबंधन, निवास स्थान संरक्षण व सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है।

3. मेलानिस्टिक टाइगर की मौत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में एक नर मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया। एसटीआर के वन्यजीव अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण बाघों का आपसी संघर्ष प्रतीत हो रहा है।

मेलानिस्टिक टाइगर:

- सामान्य तौर पर मेलेनिज्म का तात्पर्य उस परिवर्तन से है जिसमें त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। इस स्थिति को स्यूडोमेलानिज्म के रूप में जाना जाता है और यह ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू जीन में एक उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये धारियाँ आपस में सटी हुई होती हैं, जो बाघ को काला रूप प्रदान करती हैं।
- सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व का एक अलग परिदृश्य होने के कारण, बाघों को पड़ोसी रिजर्व की बड़ी बिल्लियों के साथ मिलन करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इसका परिणाम इन-ब्रीडिंग (आपस में संभोग) और इस प्रकार विकसित मेलेनिज्म (डार्क पिग्मेंटेशन) के रूप में हुआ है।

Similipal Tiger Reserve

सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व:

- सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व आदिवासी जिला मयूरभंज में स्थित है। इस अभ्यारण्य का नाम 'सिमुल' (रेशम कपास) वृक्ष से लिया गया है। यह भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है। इसे 1956 में टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था, जिसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था।
- इस टाइगर रिजर्व को 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था जो 2009 से यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है।
- एसटीआर ने पहली बार 2007 में मेलानिस्टिक बाघों की उपस्थिति की सूचना दी थी। 2016 की बाघ आरक्षित जनगणना में, इस रिजर्व में 6 मेलानिस्टिक बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई थी।
- मेलानिस्टिक बाघों के अलावा एसटीआर हाथियों, पक्षियों की 304 प्रजातियों, उभयचरों की 20 प्रजातियों और 1,076 फूलों की प्रजातियों सहित वनस्पतियों व जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का निवास है। इसमें उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन और विशाल घास के मैदान भी हैं।

संघर्ष का मामला:

- सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व में बाघों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसके कारण दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ की मौत हो गई। इस घटना की राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम द्वारा जांच की जा रही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) ने 2022 में बिग कैट काउंट का आयोजन किया था, जिसका परिणाम जुलाई 2023 में आने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण:

- एनटीसीए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी।

आगे की राह:

प्रोजेक्ट टाइगर, संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आवास में वृद्धि और एनटीसीए की स्थापना जैसे विभिन्न प्रयासों के कारण भारत में बाघों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन मानव-पशु संघर्ष, कॉरिडोर को जोड़ने पर तनाव और आपसी संघर्ष भारत के राष्ट्रीय पशु की आबादी के लिए खतरा बन रहे हैं। इसलिए इस दिशा में समुदाय के नेतृत्व वाली भागीदारी और प्रभावी समन्वय की आवश्यकता है।

4. समुद्री जीवन के अध्ययन में तकनीक की भूमिका

चर्चा में क्यों?

काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के शोधकर्ताओं द्वारा जर्नल ऑफ अकॉस्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में प्रकाशित अध्ययन ने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन और मानवजनित गतिविधियों के प्रभावों का विश्लेषण करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

अध्ययन के मुख्य बिन्दु:

- यह शोध हाइड्रोफोन और कृत्रिम तकनीक के उपयोग पर आधारित है। हाइड्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जिसे पानी के नीचे की ध्वनि को रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रजातियों की निगरानी के लिए कम लागत वाला साधन है।
- शोधकर्ताओं ने उनके व्यवहार को समझने के लिए दक्षिण गोवा के तट पर प्रवाल भित्तियों में समुद्री जीवों की हलचल की आवाज रिकॉर्ड की है। एकत्रित ध्वनि डेटा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है।

यह निम्न समुद्री जलीय पारिस्थितिक अवधारणा पर आधारित है:

- स्वस्थ मूंगा चट्टान प्रणाली में, सोनिफेरस (ध्वनि उत्पन्न करने वाली) मछलियाँ असंख्य संख्या में पाई जाती हैं। ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं जिसे हाइड्रोफोन संसर द्वारा आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है।
- प्लैंक्टिवोरस (प्लैंकटन) भोजन करते समय ध्वनि उत्पन्न करते हैं और सोनिफेरस मछलियाँ (मुखर कशेरुकियों का समूह) सामाजिक-बातचीत के दौरान ध्वनि उत्पन्न करती हैं।
- ध्वनि आधारित प्रौद्योगिकी जीवों की प्रचुरता, विविधता और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायता करेगी।
- अध्ययन से यह भी पता चल सकता है कि समुद्री/जलीय जीवन जलवायु परिवर्तन और मानवजनित गड़बड़ी पर कैसे प्रतिक्रिया करता है?

शोध के परिणाम:

- शोधकर्ताओं ने क्रमशः 84, 69, 28 और 22 फिश कॉल्स की पहचान की है, जो कि स्काइन्डे (रे-फिन्ड फिश का एक परिवार), टेरापॉन थेरेप्स (एक सर्वाहारी प्रजाति), प्लेंक्टिवोरस और टाइप ए (अज्ञात मछली) से संबंधित हैं।
- अध्ययनों में पाया गया है कि समुद्री/मछली संचार और गतिविधियां दैनिक प्रभाव से जुड़ी हुई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ मछली समुदाय दिन के समय सक्रिय होते हैं और कुछ रात में सक्रिय होते हैं।
- यह भी निष्कर्ष निकला कि मॉनसून के बाद के मौसम की तुलना में प्री-मानसून में मछली संचार अधिक सक्रिय है। प्री-मानसून अवधि में मछलियों की संभोग गतिविधियां प्रमुख होती हैं।
- मछली का बड़ा समूह एक्टोथर्मिक है, जिसका अर्थ है कि उनकी गतिविधियों को तापमान द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

समुद्री जीवन और जलवायु परिवर्तन:

- समुद्री जीवन के लिए जलवायु जोखिम सूचकांक, जो लगभग 25,000 समुद्री प्रजातियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र के लिए जलवायु जोखिम को दर्शाता है, ने निष्कर्ष निकाला कि महासागरों का गर्म होना प्रजातियों को गहरे और ठंडे स्थानों की ओर ले जा रहा है, जिससे उनका व्यवहार बदल रहा है।

आगे की राह:

हाइड्रोफोन आधारित अध्ययन का समुद्री तापमान में वृद्धि और समुद्री जीवन पर बढ़ती जलवायु चरम सीमाओं के विश्लेषण हेतु दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। चूंकि गहरे समुद्र में खनन मिशन क्रियान्वित होते रहते हैं, इसलिए तकनीकी सहायता से अनुसंधान समय की मांग है।

5. सीवेज के कीचड़ का उपयोग खाद के रूप में सम्भव- अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आईआईटी रुड़की ने भारत में सीवेज उपचार सुविधाओं (STP) में पाए जाने वाले कीचड़ की जांच की, जो गंगा नदी के गंदे पानी के उपचार के लिए बनाए गए थे। इस अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश कीचड़ को उर्वरक के रूप में उपयोग करने की उच्च संभावना है, लेकिन खेतों में बिना किसी सीमा के या संभावित जैव ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने से पहले इसे संसाधित किया जाना चाहिए।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएं:

- इस अध्ययन का उद्देश्य सीवेज के कीचड़ को खाद और ईंट जैसी उपयोगी वस्तुओं में बदलना है।
- संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार, उपचारित कीचड़ को ए या बी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ग ए कीचड़ खुले निपटान के लिए उपयुक्त है जिसे जैविक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि वर्ग बी सीवेज का उपयोग कृषि संबंधी उपयोग में 'प्रतिबंधित' है।
- इस अध्ययन के अनुसार, सुखाने के बाद विश्लेषण किए गए अधिकांश कीचड़ वर्ग बी समूह में रखे गए।
- गाद में नाइट्रोजन और फॉस्फेट का स्तर भारत के उर्वरक विनियमों द्वारा अनुशंसित स्तर से अधिक था, लेकिन कुछ नमूनों में पोटेशियम का स्तर कम था।
- कीचड़ की कुल जैविक कार्बन सामग्री 16% से अधिक थी, जबकि रोगजनकों और भारी धातु संदूषण का स्तर सुझाए गए मानदंड से अधिक था।
- चूंकि भारत में वर्तमान में ए या बी के रूप में कीचड़ को वर्गीकृत करने के लिए मानदंड नहीं है, इसलिए उपयुक्त उपचार और सुरक्षित निपटान प्रथाओं की पहचान करने के लिए कीचड़ के रासायनिक गुणों के बारे में अधिक जानकारी आवश्यक है।

कीचड़ क्या है?

- कीचड़ सीवेज उपचार संयंत्रों में पाया जाने वाला एक ठोस/द्रव अवशेष है, जिसे गंदे पानी को साफ करने के लिए डिजाइन किया जाता है।
- ये कार्बनिक यौगिकों से समृद्ध होने के साथ-साथ भारी धातुओं, औद्योगिक अपशिष्टों और जीवाणु प्रदूषकों का भी भंडार हैं।

अर्थ गंगा प्रोजेक्ट के बारे में:

इस अवधारणा को पहली बार 2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया गया था, जहां उन्होंने नमामि गंगे से अर्थ गंगा मॉडल में बदलाव का आग्रह किया था। अर्थ गंगा के अंतर्गत छह कार्यक्षेत्रों पर काम किया जा रहा है:-

- जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।
- कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुन: उपयोग।
- आजीविका उत्पादन अवसर।
- सार्वजनिक भागीदारी।
- सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन।
- संस्थागत इमारत।

नमामि गंगे परियोजना:

- नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप प्रोग्राम' के रूप में नामित किया गया था ताकि प्रभावी प्रदूषण उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण व बहाली के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
- इसका जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा प्रबंधन किया जाता है।
- राष्ट्रीय गंगा परिषद को 2016 में स्थापित किया गया था जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (NGRBA) का स्थान लिया।

आगे की राह:

अध्ययन के अनुसार, रोगजनकों को खत्म करने के लिए कीचड़ को कम से कम तीन महीने तक रखा जाना चाहिए और भारी धातुओं को कम करने के लिए गोजातीय गोबर, भूसी या स्थानीय मिट्टी के साथ मिलाया जाना चाहिए।

6. भारत में 70% बाढ़ का कारण मानसूनी नदियां

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया अध्ययन जो कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल के नवीनतम अंक में प्रकाशित हुआ, कहा गया कि 1985-2020 की अवधि के दौरान गर्मियों के मौसम में भारत की लगभग 70% प्रमुख बाढ़ की घटनाएं सीधे मानसूनी नदियों (Atmospheric Rivers) से जुड़ी थीं।

अध्ययन के मुख्य बिन्दु:

- भारत में गर्मियों के मौसम में मानसूनी नदियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, शोध दल ने भारत के मौसम विज्ञान विभाग और कोलोराडो विश्वविद्यालय (यूएसए) की डार्टमाउथ बाढ़ वेधशाला से एक ऐतिहासिक बाढ़ डेटाबेस के साथ-साथ यूरोपीय रिएनालिसिस संस्करण से उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले वायुमंडलीय क्षेत्रों का उपयोग किया।
- डार्टमाउथ फ्लड ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दशक

के प्रत्येक वर्ष के दौरान, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% से अधिक बाढ़ से प्रभावित रहा।

- एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 से 2020 के बीच भारत में आई बाढ़ से 50 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

रिपोर्ट का महत्त्व:

- 1985-2020 के बीच उच्चतम मृत्यु दर वाली 10 बाढ़ों में से सात एटमोस्फियरिक रिवर्स से जुड़ी थीं।
- 2013 उत्तराखंड बाढ़, जिसने 6000 लोगों की जान ले ली, 2007 में भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में बाढ़ से 2000 लोगों की जान गई, 1988 में पंजाब में बाढ़, 2018 में केरल में बाढ़ जिसमें 400 लोगों की जान गई, 2006 में गुजरात में बाढ़, असम में 1993 की बाढ़ और 2004 की बाढ़, जिसने पूर्वी भारत और बांग्लादेश में व्यापक क्षति पहुँचाई, सभी गंभीर एटमोस्फियरिक रिवर्स के कारण थे।
- गर्म जलवायु वायुमंडलीय नदियों की नमी-धारण क्षमता को बढ़ा रही है, जिससे भविष्य में और अधिक विनाशकारी बाढ़ की चिंता उत्पन्न होने की संभावना है।
- दक्षिण-मध्य हिंद महासागर में गर्म समुद्री सतह का तापमान एटमोस्फियरिक रिवर्स के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वाष्प दबाव घाटा (VPD) में वृद्धि के कारण हाल के दशकों में हिंद महासागर से वाष्पीकरण में काफी वृद्धि हुई है।

मानसूनी नदियाँ:

- हालाँकि वायुमंडलीय नदियाँ कई आकृतियों और आकारों में आती हैं, जिनमें जल वाष्प की सबसे बड़ी मात्रा होती है तथा तेज हवाएँ अत्यधिक वर्षा व बाढ़ पैदा कर सकती हैं, जो अक्सर बाढ़ की चपेट में आने वाले वाटरशेड पर रुक जाती हैं।
- वायुमंडलीय नदियाँ बड़ी मात्रा में वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं जो बाढ़ पैदा कर सकती हैं। ये स्नोपैक (धीमी गति से पिघलने वाली बर्फ) के वृद्धि में भी योगदान देती हैं।

आगे की राह:

यह पहली बार है कि भारत में एटमोस्फियरिक रिवर्स और बाढ़ के बीच संबंध को समझने के लिए अध्ययन किया गया है। एआर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। एआर भारत में मौजूदा बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, जो अनुकूलन और शमन में मदद कर सकता है।

7. समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में धूल की भूमिका का परीक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नए अध्ययन ने पता लगाया है कि भूमि आधारित स्रोतों से धूल के कण किस हद तक वैश्विक महासागर पारिस्थितिक तंत्र को पोषण देने और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं?

महासागरीय पारिस्थितिकी में वायुमंडलीय धूल की भूमिका:

- मिट्टी से धूल के कण जो हवा में उड़ते हैं और पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं, समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर उनके प्रभाव के संदर्भ में अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है।
- साइंस जर्नल में प्रकाशित नए शोध में, वैज्ञानिकों ने कार्बन के वैश्विक वार्षिक निर्यात उत्पादन या सिंक के 4.5% का समर्थन करने के लिए धूल जमा करने के योगदान का अनुमान लगाया, इस योगदान में क्षेत्रीय भिन्नता 20% से 40% तक पहुंच गई।
- निचले अक्षांशों पर फाइटोप्लांकटन विकास और शिकार अधिक संतुलित थे, इसलिए जब धूल ने विकास दर में सुधार किया, तो नया उत्पादन तेजी से खपत हो गया और खाद्य शृंखला को स्थानांतरित किया गया।
- उच्च अक्षांशों पर लगातार बदलती पर्यावरणीय स्थितियों ने फाइटोप्लांकटन और उनके शिकारियों के बीच की कड़ी को कमजोर कर दिया, इसलिए फाइटोप्लांकटन की आबादी के स्वास्थ्य में सुधार और बहुतायत में वृद्धि दोनों दिखाई दी।

कार्बन चक्र में धूल का महत्त्व:

- जैविक पंप के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से समुद्र कार्बन चक्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सतह के पानी में घुल जाता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन फाइटोप्लांकटन द्वारा कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है।
- इस कार्बनिक पदार्थ में से कुछ सतही महासागर से गहरे समुद्र में डूब जाता है।

अध्ययन का महत्त्व:

- अध्ययन इस बात की बेहतर समझ प्रदान करता है कि समुद्र के जैविक पंप में धूल कैसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और इसे गहरे समुद्र में रखने में मदद करती है।
- शोधकर्ताओं ने वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड पर एक प्रमुख नियंत्रण के रूप में जैविक पंप के महत्त्व पर जोर दिया जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को चलाने वाला एक प्रमुख कारक है।
- अध्ययन के निष्कर्ष नीति निर्माताओं को समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर धूल के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने और इन नाजुक प्रणालियों की रक्षा व संरक्षण के लिए अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।

आगे की राह:

वर्तमान विश्लेषण वायुमंडलीय आदान-प्रदान में एक विशाल गतिशील सीमा के लिए औसत दर्जे की महासागर जैविक प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि जैसे-जैसे ग्रह गर्म होता रहेगा वायुमंडल और महासागरों के बीच यह संबंध बदल जाएगा। अनुसंधान इस संबंध में बेहतर नीति निर्माण और सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा जो भविष्य में अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. साइकेडेलिक (Psychedelic) उपचार

चर्चा में क्यों?

दवा प्रतिरोधी अवसाद तथा अन्य मानसिक विकारों के लिए साइकेडेलिक पदार्थों की उपचार उपयोगिता पर आधारित कई पत्रिकाएँ और वैज्ञानिक अध्ययन सकारात्मक परिणाम दर्शाते हैं। नवंबर 2022 में प्रकाशित यूएस-आधारित मेडिकल जर्नल इस चिकित्सा सिद्धांत की पुष्टि करता है।

साइकेडेलिक पदार्थ क्या है?

- साइकेडेलिक्स दवाओं का गैर-नशे की लत और गैर-विषैले समूह हैं जो मनोदशा और विचार प्रसंस्करण (Thought Processing) को बदलते हैं, जबकि वह व्यक्ति अभी भी स्पष्ट रूप से सचेत है। दो सबसे लोकप्रिय साइकेडेलिक्स डी-लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (LSD) और साइलोसाइबिन हैं। कम लोकप्रिय साइकेडेलिक्स में उत्तर अमेरिकी पियोट कैक्टस और एन-डाइमिथाइलट्रिप्टामाइन में पाया जाने वाला मेसकलाइन शामिल है, जो दक्षिण अमेरिकी औपचारिक संस्कार अयाहुस्का का प्रमुख घटक है।
- साइकेडेलिक या साइकोएक्टिव घटक अवसाद के इलाज में मुश्किल लक्षणों को काफी कम कर सकता है।

यह कैसे काम करता है?

- यह तंत्रिका तंत्र को नकारात्मक अभ्यस्त पैटर्न से मुक्त होने की अनुमति देता है। यह अस्थायी रूप से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क (मस्तिष्क का वह हिस्सा जो किसी विशेष कार्य में शामिल नहीं होने पर सक्रिय होता है) में रक्त प्रवाह को कम करता है, अचेतन मन तक पहुंच प्रदान करता है जिससे मनुष्य आघात को संसाधित कर सकता है और समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- यह हमें सभी चीजों की कनेक्टिविटी का अनुभव करने की भी अनुमति देता है। साइकेडेलिक पदार्थ अवैध दवाओं की तुलना में कम हानिकारक होते हैं।

शोध की खोज:

- न्यूयॉर्क इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित कार्य ने मूल्यांकन किया कि 25 मिलीग्राम साइलोसाइबिन की एक खुराक ने उन लोगों में अवसाद के लक्षणों को कम कर दिया है जिनके लिए कई पारंपरिक उपचार विफल हो गए हैं।

भारत में स्थिति:

- भारत में, साइकेडेलिक पदार्थों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। केटामाइन, साइकेडेलिक गुणों के साथ एक डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है। एनेस्थीसिया के लिए सख्त चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत यह उपचार प्रतिरोधी अवसाद का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है।

एनडीपीएस अधिनियम-1985:

- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में अधिनियमित किया गया था जो देश में ड्रग्स और तस्करी से संबंधित है। यह अधिनियम भांग, हेरोइन, अफीम आदि सहित कई मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, खरीद, परिवहन व उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एनडीपीएस प्रावधान के प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह गृह मंत्रालय के दायरे में काम करता है।

OBJECTIVES OF NDPS ACT:

1. To consolidate and amend the law relating to narcotic drugs.
2. To make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to narcotic drugs and psychotropic substances.
3. To provide for the seizure of property derived from or used in illicit traffic in narcotic drugs.
4. To implement the recommendations of the International Conventions on narcotic drugs and psychotropic substances.

भारत में मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, भारत में लगभग 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ के शोध अध्ययन में कहा गया है कि महामारी के पहले वर्ष में अवसाद और चिंता के मामलों में 25% की वृद्धि हुई है। यह मुद्दा भारत की कामकाजी उम्र की आबादी से संबंधित है, जिसके दुनिया में सबसे बड़े होने का अनुमान है। इसलिए इस क्षेत्र में चिकित्सा आविष्कारों की आवश्यकता है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण, किरण हेल्पलाइन और मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 जैसी पहलें इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार के गंभीर प्रयास की और इशारा करती हैं।

आगे की राह:

मानसिक स्वास्थ्य सेवा आधुनिक समय में अधिक सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है, लेकिन अवसाद से संबंधित चिकित्सा उपचार का कवरेज अपर्याप्त है। इसलिए चिकित्सा के इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनुसंधान और प्रभावी उपचार संरचना के विकास की आवश्यकता है।

2. पंजाब के लुधियाना में गैस रिसाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब के लुधियाना में गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम द्वारा इस्तेमाल किए गए वायु गुणवत्ता सेंसर में उच्च स्तर के हाइड्रोजन सल्फाइड गैस

(एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन) का पता लगाया गया है।

हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में:

यह एक रंगहीन तथा ज्वलनशील गैस होती है जिसमें कम सांद्रता पर सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है। यह न्यूरोटॉक्सिन की तरह है जिसकी 50 पीपीएम से ऊपर की सघनता जानलेवा हो सकती है। इसकी तीव्रता को तीन स्तर पर मापा जाता है:

- कम स्तर पर आंख, नाक और गले में जलन होना।
- मध्यम स्तर पर सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, खांसी और सांस लेने में कठिनाई।
- उच्च स्तर पर सदमा लगना, कोमा और यहां तक कि मौत का कारण होना।
- यह गैस सीवर में होती है, अपशिष्ट जल से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों को हटाने के लिए रासायनिक ऑक्सीकरण किया जाता है, जहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ऑक्सीडेंट अपशिष्ट जल में मिलाए जाते हैं।
- इसका उपयोग उद्योगों में माइनिंग, टैनिंग, रेयान निर्माण, तेल और गैस शोधन तथा लुगदी व कागज प्रसंस्करण किया जाता है।

न्यूरोटॉक्सिन क्या है?

- न्यूरोटॉक्सिन जहरीले पदार्थ होते हैं जो सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी तब होती है जब प्राकृतिक या मानव निर्मित विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से तंत्रिका तंत्र की सामान्य गतिविधि बदल जाती है। यह सीधे शरीर के श्वसन पथ पर हमला करती है जिससे शरीर की ऑक्सीजन एकाग्रता और फिर तंत्रिका तंत्र पर भी असर पड़ता है।

न्यूरोटॉक्सिक गैसें क्या हैं?

- मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन न्यूरोटॉक्सिक गैसें हैं। मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गंधहीन गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में तीखी गंध होती है तथा उच्च सांद्रता में यह मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है।

आगे की राह:

इस प्रकार की गैस लीक दुर्घटना वहां कार्यरत श्रमिकों के असामयिक मृत्यु का कारण बनता है जिसका निजात होना आवश्यक है। फैक्ट्रियों में इससे बचाव हेतु व्यापक स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि आसपास की वायु गुणवत्ता बनी रहे और जनधन की हानि कम से कम हो।

3. सुप्रीम (SUPREME) पहल

चर्चा में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं (AIF) के उन्नयन और रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपकरणों के उन्नयन निवारक मरम्मत व रखरखाव (SUPREME) पहल शुरू किया है।

सुप्रीम (SUPREME) पहल के बारे में:

- इस पहल के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बनाए गए विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं के उन्नयन व रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- यह सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो मौजूदा एआईएफ की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मरम्मत, उन्नयन, रखरखाव, रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में ऐसी सुविधाएं सुप्रीम के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- इसके समर्थन की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- सभी निजी और सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों के लिए योजना में वित्त पोषण पैटर्न 75:25 (राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को छोड़कर) होगा।
- नोडल मंत्रालय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

चयन के लिए मानदंड:

- चयन करते समय संगठनों की शैक्षणिक और अनुसंधान योग्यता के अलावा, प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान सुविधा के पुनरुद्धार से वैज्ञानिक समुदाय व एमएसएमई/स्टार्टअप को कैसे लाभ होगा? इसका विवरण ध्यान में रखा जाएगा।
- विश्लेषण किए गए नमूनों, प्रकाशनों, पेटेंट, विभिन्न लाभार्थियों, सुविधा से जुड़े हितधारकों और वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व या औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास घटकों जैसे अन्य मापदंडों के रिकॉर्ड प्रस्तावों की जांच के लिए विचार किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया एक सहकर्मी समीक्षा तंत्र और यदि आवश्यक हो तो संगठनों के दौरे के माध्यम से होगी।
- विशेषज्ञ समिति प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और अंतिम चयन करने में डीएसटी की सहायता करेगी।

आगे की राह:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाएं (SAIF) की स्थापना की है ताकि शोध कर्मियों को सामान्य रूप से और विशेष रूप से संस्थानों से परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों की सुविधाएं प्रदान की जा सकें। ऐसे संस्थान जिनके पास ऐसी सुविधाए नहीं है, उन्हें ये संस्थान, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने और विश्व स्तर पर हो रहे विकास के साथ तालमेल रखने में सक्षम बनाते हैं।

4. पीआरईटी पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने COVID-19 महामारी के समान पैमाने और तबाही के भविष्य में प्रकोपों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने हेतु 'उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन (PRET) पहल' शुरू की है। इस पहल की घोषणा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में

आयोजित ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन महामारी में की गई थी।

पीआरईटी पहल के बारे में:

- यह पहल रोग महामारी की तैयारी में सुधार के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है।
- इस पहल के तहत समान प्रणालियों, क्षमताओं व ज्ञान का लाभ उठाया जा सकता है। यह रोगजनकों के समूहों के लिए उनके संचरण के तरीके (श्वसन, वेक्टर-जनित, खाद्य जनित आदि) के आधार पर लागू किया जा सकता है।
- PRET में COVID-19 महामारी और अन्य हाल की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान स्थापित साझा सीखने और सामूहिक कार्यवाही के लिए नवीनतम उपकरण व दृष्टिकोण शामिल हैं।
- यह इक्विटी, समावेशिता और सुसंगतता के सिद्धांतों को सबसे आगे रखता है।
- PRET तैयारियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारकों हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- PRET पहल त्रि-आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है-
    - तैयारी योजनाओं को अद्यतन करना (Updating preparedness plans)
    - महामारी की तैयारी योजना में हितधारकों के बीच संपर्क बढ़ाना (Increasing connectivity among stakeholders in pandemic preparedness planning)
    - निरंतर निवेश, वित्तपोषण और महामारी की तैयारियों की निगरानी को समर्पित करना (Dedicating sustained investments, financing and monitoring of pandemic preparedness)

विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है।
- यह विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा शासित होता है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- नीतियां तय करने, बजट मंजूर करने और महानिदेशक का चुनाव करने के लिए विधानसभा की सालाना बैठक होती है।
- इसका काम स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी करने व प्रतिक्रिया देने, स्वास्थ्य सेवाओं तथा दवाओं तक पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित है।
- यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र सहित कई भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है।
- यह मुख्य रूप से इसके सदस्य देशों के योगदान से वित्त पोषित है।
- यह परोपकारी संगठनों और अन्य स्रोतों से भी धन प्राप्त करता है।

आगे की राह:

PRET पहल एक सामयिक और प्रासंगिक पहल है जो देशों को किसी भी उभरते खतरे के लिए अपनी तैयारी व प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती है। PRET पहल स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारियों को मजबूत करने पर विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्तावों के साथ संरेखित है। यह पहल 2024 तक अपनी श्वसन रोगजनक महामारी योजनाओं को विकसित करने या अद्यतन करने के लिए वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों का समर्थन करेगा।

5. लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स की आशंका से कैडबरी चॉकलेट पर ब्रिटेन में रोक

चर्चा में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम में लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स की आशंका से कैडबरी चॉकलेट के प्रयोग पर रोक लगाई गई। यह एक बैक्टीरिया है जो फ्लू जैसे लक्षणों के साथ संक्रमण का कारण बनता है।

लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स क्या है?

- लिस्टेरिया संक्रमण आमतौर पर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक खाद्य जनित बीमारी है।
- ये जीवाणु पर्यावरण में मौजूद होते हैं जो पानी, मिट्टी और कुछ जानवरों की आंतों में भी पाया जाता है।
- यूके के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के अनुसार, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स एक गंभीर संदूषण है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इसे दुनिया के देशों और क्षेत्रों के आधार पर प्रति मिलियन लोगों पर 0.1-10 मामलों के साथ एक गंभीर रोके जाने योग्य बीमारी के रूप में चिह्नित करता है। इस संक्रमण से जुड़ी मृत्यु की उच्च दर इसे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का संकेत देती है।

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- बीमारी की गंभीरता के आधार पर इस जीव के कारण होने वाले लक्षण उच्च तापमान, मांसपेशियों में दर्द या ठंड लगना, बीमार होने की संभावना और दस्त सहित फ्लू के समान लक्षण हो सकते हैं।

- एफडीए के अनुसार, दूषित भोजन खाने के बाद संक्रमित लोगों में कुछ घंटों या दो से तीन दिनों तक लक्षण दिखना शुरू हो जाता है।
- आम तौर पर यह बीमारी आबादी के एक निश्चित समूह के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जैसे-गर्भवती महिला, नवजात शिशु, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले या मधुमेह से पीड़ित रहने वाले लोग।

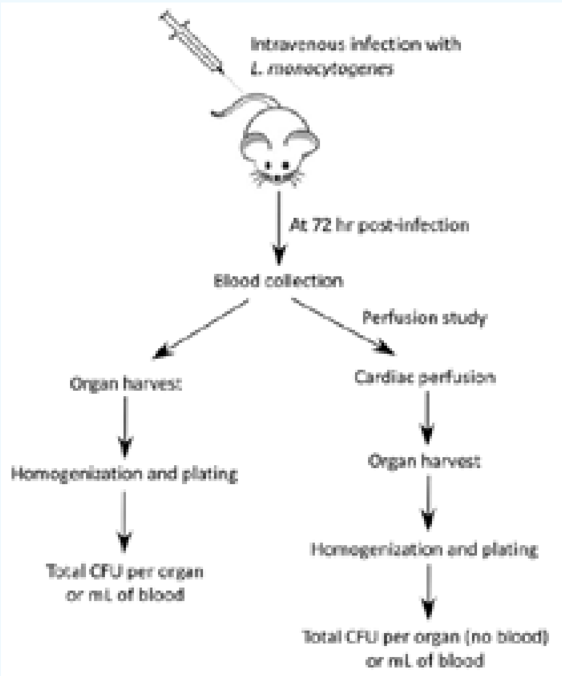

संदूषण का माध्यम:

- यह एक सूचीबद्ध संक्रमण हैं, जो संक्रमित मनुष्यों और खेत के पशुओं के निकट संपर्क से भी फैलने के लिए जाना जाता है।
- ये जीवाणु आम तौर पर ठंडे हुए खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ जैसे पका हुआ मांस, स्मोक्ड मछली, पहले से तैयार सैंडविच और सलाद आदि के माध्यम से मनुष्यों के अंदर प्रवेश करते हैं।

आगे की राह :

कैडबरी द्वारा चॉकलेट वापस लेना कंपनी द्वारा एक जिम्मेदार व्यवहार को दर्शाता है। हालांकि, उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने से पहले दुष्प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित होने से बचाया जा सके।

6. डोनानेमाब (Donanemab)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक दवा कंपनी, एली लिली ने अल्जाइमर रोग के उपचार में एक बड़ी सफलता हासिल की है। डोनानेमाब, एली लिली द्वारा विकसित एक दवा है, जिसने चरण 3 के अध्ययन में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं।

अल्जाइमर और डोनानेमाब:

- अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क विकार है जिसके कारण मस्तिष्क सिकुड़ जाता है और अंततः मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसका सबसे आम रूप डिमेंशिया, स्मृति, सोच, व्यवहार और सामाजिक कौशल में धीरे-धीरे गिरावट होना है। ये परिवर्तन व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है।
- ऐसा माना जाता है कि यह रोग मस्तिष्क की कोशिकाओं में और उसके आसपास प्रोटीन के असामान्य निर्माण के कारण होता है।
- एली लिली कंपनी ने महीनों के शोध और प्रयोग के बाद कहा है कि डोनानेमाब ने चरण 3 के परीक्षणों में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं।
- यह न्यूज अल्जाइमर रोग की दवा के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि पांच महीने पहले यूएसएफडीए (यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) ने बायोजेन और ईसासी फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा विकसित लेकानेमाब (Lecanemab) नामक दवा के लिए 'त्वरित' अनुमोदन प्रदान किया था।

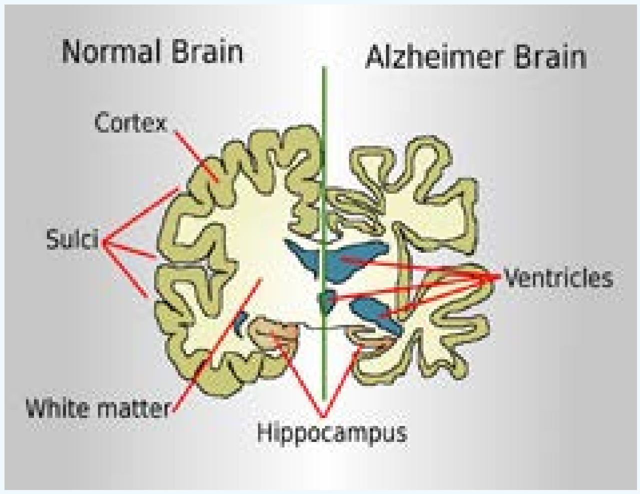

डोनानेमाब और लेकानेमाब:

- डोनानेमाब अल्जाइमर का इलाज नहीं है, बल्कि एक एंटीबॉडी-आधारित थेरेपी है, जो एमिलॉयड-बीटा प्रोटीन के विभिन्न रूपों को लक्षित करती है। ये लोगों के मस्तिष्क में एमिलॉयड सजीले टुकड़े बनाने के लिए एक साथ चिपक सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संज्ञानात्मक गिरावट शुरू हो जाती है। इस दवा का उद्देश्य मस्तिष्क से सजीले टुकड़े को हटाना और रोग की धीमी गति से बढ़ना है। यह शरीर के अंदर सतह पर एक छोटा उठा हुआ क्षेत्र है, जो अक्सर सामग्री के निर्माण के कारण होता है। डोनानेमाब अब तक फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित नहीं है जबकि लेकानेमाब एफडीए द्वारा अनुमोदित है और यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी के मूल्यांकन चरण के अंतर्गत है।
- रिपोर्ट के अनुसार, डोनानेमाब संज्ञानात्मक गिरावट को 35% तक धीमा कर देता है, जबकि परीक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि

लेकानेमाब संज्ञानात्मक गिरावट को 27% धीमा करता है।

- दोनों दवाओं का परीक्षण अल्जाइमर के शुरुआती चरण वाले लोगों पर किया गया।

अल्जाइमर के उपचार से जुड़ी चुनौतियाँ:

- डिमेंशिया का इलाज करना बहुत कठिन स्थिति माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दवा कंपनियों का इस पर ध्यान तुलनात्मक रूप से कम होता है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अल्जाइमर रोग दुनिया भर में कम से कम 55 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है जिसका सबसे आम रूप डिमेंशिया, मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण है। यह विश्व स्तर पर वृद्ध लोगों में अक्षमता और निर्भरता के प्रमुख कारणों में से एक है।
- बढ़ती जीवन अवधि, विकलांगता और मोटापा आदि जैसी बीमारियों के बहुत अधिक बोझ से भारत में डिमेंशिया के प्रसार में वृद्धि होने की उम्मीद है। 2020 में भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 53 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित थे। उम्मीद है कि यह आंकड़ा 2050 तक बढ़कर 14 मिलियन हो जाएगा।

आगे की राह:

'नेचर' पत्रिका के अनुसार, दोनों अनुशंसित उपचारों में नकारात्मक प्रभाव पड़ने की काफी संभावना है। वर्तमान में रोग का बोझ तेजी से बढ़ रहा है और उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, इसलिए अल्जाइमर के इलाज हेतु गहन शोध और प्रोत्साहन-आधारित विकास की तत्काल आवश्यकता है।

7. IIT मद्रास तथा DRDO ने अंडर वाटर सेंसर तकनीक विकसित की

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे संचार हेतु एक अत्याधुनिक सेंसर तकनीक 'PIEZOELECTRIC MEMS' (माइक्रो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सिस्टम) विकसित की है जिसका उपयोग नौसेना द्वारा किया जा सकता है।

पीजोइलेक्ट्रिक एमईएमएस के बारे में:

- पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव एक घटना है जहां एक तत्व को निचोड़ने पर विद्युत प्रवाह विकसित होता है।
- रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव में एक क्रिस्टल यांत्रिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है जब इसके विपरीत वोल्टेज लगाया जाता है।
- पीजोइलेक्ट्रिक तत्वों में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और इसके विपरीत परिवर्तित किया जाता है।
- सामग्री जो इस घटना को प्रदर्शित करती है उनमें प्राकृतिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अर्ध-क्रिस्टलीय पॉलीविनाइलिडीन बहुलक, पॉलीक्रिस्टलाइन पीजोसेरामिक, हड्डी और यहां तक कि लकड़ी भी शामिल है।
- स्वदेशी तकनीक अंतर्राष्ट्रीय फाउंड्री की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत पर उपकरणों के निर्माण को सक्षम करेगी, जहां न केवल निर्माण की लागत अधिक है बल्कि फाउंड्री की संख्या भी सीमित है।
- शोधकर्ताओं ने पीजोइलेक्ट्रिक एमईएमएस (माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम) तकनीक विकसित की, जहां उन्होंने 100 मिमी व्यास वाली पीजोइलेक्ट्रिक पतली फिल्म (Thin Film) बनाई।

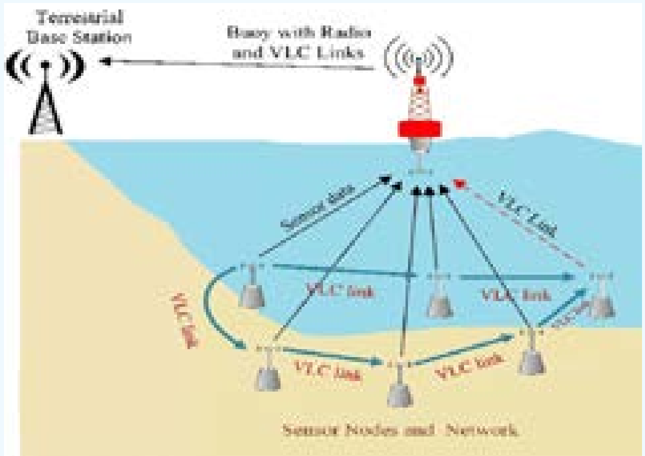

प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोग:

- पीजोइलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी में पिकअप, माइक्रोफोन, ईयरफोन, बीपर आदि के रूप में किया जाता है।
- इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के सेंसर और एक्चुएटर्स बनाने के लिए किया जाता है।
- वे आमतौर पर अल्ट्रासोनिक अनुप्रयोगों में भी कार्यरत हैं, जैसे घुसपैठ डिटेक्टर और अलार्म।
- पीजोइलेक्ट्रिक उपकरण वायरलेस अनुप्रयोगों में उपयोगी होते हैं क्योंकि वे क्रिस्टल और सिरेमिक को ऑसिलेटर के रूप में उपयोग करना संभव बनाते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अनुमानित व स्थिर संकेत उत्पन्न करते हैं।
- उपकरण को उच्च-प्रदर्शन वाली पतली फिल्मों को विकसित करने और 'पीजो पतली फिल्म' को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जो पीजो एमईएमएस उपकरणों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है तथा ध्वनिकी और कंपन-संवेदन अनुप्रयोगों के लिए माना जाता है।
- नौसेना कम लागत पर उच्च प्रदर्शन वाले पीजो एमईएमएस ध्वनिक उपकरण बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर सकती है।

आगे की राह:

पीजो एमईएमएस प्रौद्योगिकी में प्रमुख चुनौती कठोर पानी के नीचे के वातावरण, उच्च दबाव और समुद्री जल की प्रकृति में उच्च विश्वसनीयता व स्थायित्व की आवश्यकता है। इस तकनीकी के व्यापक प्रयोग से रक्षा बलों को किसी भी चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी।

1. अर्थव्यवस्थाओं का डी-डॉलरीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'डी-डॉलरीकरण' नामक एक पहल ने गति पकड़ी है, क्योंकि सभी विकासशील देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और अधिक आर्थिक संप्रभुता को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति अमेरिकी प्रतिबंधों या प्रभाव के तहत कई देशों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक व भू-राजनीतिक चुनौतियों से प्रेरित है। चीन, रूस, ब्राजील, भारत, आसियान देशों, केन्या, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देश सक्रिय रूप से डी-डॉलरीकरण का अनुसरण कर रहे हैं।

डी-डॉलरीकरण के बारे में:

- डी-डॉलरीकरण वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अन्य मुद्राओं द्वारा अमेरिकी डॉलर के प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है। एक आरक्षित मुद्रा किसी भी मुद्रा को संदर्भित करती है जो व्यापक रूप से सीमा पार लेनदेन में उपयोग की जाती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार के रूप में रखी जाती है।

डी-डॉलरीकरण के कारक:

- यू.एस.ए ने कई देशों पर प्रतिबंध लगाया है जो रूस से तेल और अन्य सामान खरीदने के लिए यू.एस. डॉलर के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- एक आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरियों और असंतुलन को जन्म दिया है, जो अमेरिकी मौद्रिक नीति में उतार-चढ़ाव के लिए अतिसंवेदनशील बनी हुई है।
- उभरते बाजारों की बढ़ती आर्थिक शक्ति का उद्देश्य विविधीकृत और लचीला वित्तीय ढांचे को प्रेरित करना।
- दुनिया के बढ़ते अंतर्संबंधों के कारण एक स्थिर और न्यायसंगत वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता ने भी इसे बढ़ावा दिया है।

आरक्षित मुद्राओं की भूमिका:

- आरक्षित मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने, विनिमय दरों को स्थिर करने और वित्तीय विश्वास को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंकों व अन्य मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्राएं हैं।
- वे आमतौर पर स्थिर तथा तरल होते हैं और वैश्विक बाजारों में उनकी व्यापक स्वीकृति होती है।
- यह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन करने के लिए आकर्षक बनाता है।

आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर के लाभ:

- यह निवेशकों के बीच बहुत लोकप्रिय है।
- यू.एस.ए का व्यापार घाटा बाकी दुनिया के लिए यू.एस.ए डॉलर में निवेश करने हेतु एक बड़ा रिजर्व प्रदान करता है।
- यह वैश्विक व्यापार, वित्त और निवेश में सर्वव्यापी है।
- इसकी लेन-देन लागत कम है, विनिमय दर जोखिम कम है और अपेक्षाकृत कम लागत पर घाटे को वित्तपोषित करने की क्षमता है।
- मजबूत और स्थिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कारण इसमें उच्च स्थिरता है।

चुनौतियां:

- भारत और रूस द्वारा दोनों देशों के बीच अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपये में व्यापार करने के हालिया प्रयास में बाधा उत्पन्न हुई है क्योंकि रूस से भारत के आयात का मूल्य देश में इसके निर्यात से कहीं अधिक हो गया है।
- इसलिए रूस (जो भारत का पुराना मित्र और संयुक्त राज्य अमेरिका का लंबे समय से दुश्मन रहा है) ने अमेरिकी डॉलर का उपयोग करके भारत के साथ अपना व्यापार करना पसंद किया क्योंकि डॉलर भारतीय रुपये की तुलना में कहीं अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य है।

आगे की राह:

डी-डॉलरीकरण के लिए एक वैकल्पिक मुद्रा को कुछ स्थिरता, तरलता, एक स्थिर अर्थव्यवस्था द्वारा मजबूत वित्तीय बाजारों, मौद्रिक और राजकोषीय नीति ढांचे के आधार पर स्वीकार्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है। वर्तमान में कोई भी मुद्रा पूरी तरह से इन मानदंडों को पूरा नहीं करती है। चीन में कानून के शासन की अनुपस्थिति ने युआन को भी बाहर कर दिया। हालांकि, डॉलर को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं- उदाहरण के लिए- भारत ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति का अनावरण किया, जो डॉलर की कमी या मुद्रा संकट का सामना कर रहे देशों के साथ व्यापार में रुपए के उपयोग की अनुमति देता है। भारत पहले से ही रूस, मॉरीशस, ईरान और श्रीलंका के साथ रुपये में व्यापार कर रहा है।

2. भारत तथा ईएफटीए देशों ने व्यापार समझौते की बहाली पर की चर्चा

चर्चा में क्यों?

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के चार देशों के ब्लॉक ने एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) पर बातचीत फिर से शुरू करने व आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम करने के तरीकों पर चर्चा की।

ईएफटीए क्या है?

- यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्टॉकहोम घोषणा द्वारा 1960 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- यह उन राज्यों के लिए एक विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे।
- ईएफटीए में इसके सदस्यों के रूप में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।
- ईएफटीए देशों ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक विकसित किया है, जो यूरोपीय संघ सहित 60

से अधिक देशों और क्षेत्रों में फैला हुआ है।

- ईएफटीए यूरोपीय संघ से इस अर्थ में भिन्न है कि यह एक सीमा शुल्क संघ नहीं है। ईएफटीए सदस्य अपने स्वयं के सीमा शुल्क टैरिफ निर्धारित करने और गैर-ईएफटीए राज्यों की तुलना में अन्य विदेशी व्यापार उपायों की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं।

- ईएफटीए का सर्वोच्च शासी निकाय ईएफटीए परिषद है जो आम तौर पर साल में 8 बार राजदूत स्तर पर और साल में दो बार मंत्री स्तर पर मिलता है।
- ईएफटीए सचिवालय का मुख्यालय- जिनेवा में स्थित है।
- यह 4 EFTA सदस्यों के बीच संबंधों के प्रबंधन में EFTA परिषद की सहायता करता है जो EFTA के FTA की बातचीत और संचालन से संबंधित है।
- **EFTA निगरानी प्राधिकरण ESA**- यह आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे में यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) के नियमों के अनुपालन की निगरानी करता है।
- **ईएफटीए कोर्ट**- लक्समबर्ग में स्थित, इसके पास ईईए समझौते के कार्यान्वयन, आवेदन या व्याख्या के संबंध में आंतरिक और बाहरी विवादों को निपटाने का अधिकार है।

यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA):

- इसमें यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (स्विट्जरलैंड को छोड़कर) के तीन देश शामिल हैं।
- ईईए सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है।

व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के बारे में:

- टीईपीए का उद्देश्य विवाद समाधान के लिए प्रभावी तंत्र के साथ-साथ व्यापार प्रक्रियाओं और सीमा शुल्क सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।
- **उद्देश्य:** सेवा प्रदाताओं और निवेशकों के लिए निष्पक्ष व पारदर्शी बाजार पहुंच की स्थिति सुनिश्चित करना, बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्तन पर सहयोग बढ़ाना।
- **कवरेज:** वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, प्रतियोगिता, सरकारी खरीद, व्यापार सुविधा, विवाद निपटान और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में व्यापार।

आगे की राह:

टीईपीए पर विचार-विमर्श की बहाली सभी लंबित मुद्दों को हल करेगी और एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यापार प्रणाली में योगदान करते हुए आर्थिक साझेदारी को गहरा और मजबूत करने की दिशा में सुविधा प्रदान करेगी।

3. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खाता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) खाता खोला है।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) योजना के बारे में:

- महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा 2023 के बजट में शुरू की गई एक नई लघु बचत योजना है जिसे विशेष रूप से भारत में महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है।

- इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के बीच निवेश को बढ़ावा देना है। इस योजना की घोषणा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए की गई थी।
- महिला सम्मान बचत योजना में एक बार 2 वर्ष हेतु धनराशि जमा की जाती है।
- यह योजना 7.5% की वार्षिक ब्याज दर के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपये तक की जमा सुरक्षा प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत खोले गए खाते एकल-धारक खाते होंगे जिन्हें किसी भी पंजीकृत बैंक में खोला जा सकता है।
- रिटर्न बैंक एफडी से अधिक है और आंशिक निकासी से तरलता बनी रहती है।
- **निवेश की सीमाएं:** इसके तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम राशि 1,000 रुपये है और 100 के गुणक में कोई भी राशि निवेश की जा सकती है। इसमें निवेश की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है।
- यह योजना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80सी के तहत कर-बचत लाभ भी प्रदान करती है।
- **परिपक्वता पर भुगतान:** खाता खोलने की तारीख से दो साल के बाद जमाकर्ता को योग्य शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
- खाताधारक खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष बाद लेकिन खाता

परिपक्व होने से पहले शेष राशि का 40% तक निकाल सकता है।

महिला सम्मान बचत खाता कौन खोल सकता है?

- महिला सम्मान बचत खाता महिला अपने लिए या अभिभावक द्वारा नाबालिग लड़की की ओर से खोला जा सकता है।
- महिला निवेशकों को 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले फॉर्म -I भरना होगा।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के लाभ:

- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है, जो इसे एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनाती है।
- इस योजना के तहत आंशिक निकासी का विकल्प उपलब्ध है।
- खाते को समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, कुछ शर्तों के तहत समय से पहले बंद करने की सुविधा उपलब्ध है।
- कुछ अपवाद हैं जिनमें आप परिपक्वता से पहले खाते को बंद कर सकते हैं जैसे कि खाताधारक की मृत्यु या खाताधारक की जानलेवा बीमारी, अभिभावक की मृत्यु आदि।

महिला सम्मान बचत खाते के लिए आवश्यक दस्तावेज:

महिला सम्मान बचत योजना खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

- MSSC खाता खोलने का फॉर्म।
- केवाईसी दस्तावेज-पता प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या चालक का लाइसेंस) और पैन कार्ड।
- पहली बार निवेश करने वालों के लिए केवाईसी फॉर्म।
- पे-इन स्लिप।

आगे की राह:

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) योजना महिलाओं को अधिक औपचारिक वित्तीय बचत साधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

4. राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22

चर्चा में क्यों?

नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे (NMIS) 2021-22 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 27 अप्रैल, 2023 को जारी किया गया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग व संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा आयोजित संयुक्त अध्ययन है। इसका उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना है।

इस सर्वेक्षण के बारे में:

भारत में विनिर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। पहला एनएमआईएस 2011 में आयोजित किया गया था। यह अध्ययन दो चरणों में आयोजित किया गया है। सर्वेक्षण के दो विशिष्ट घटकों में शामिल हैं:

- **फर्म स्तरीय सर्वेक्षण:** नवाचारों की प्रक्रिया, वित्त तक पहुंच, संसाधनों व नवाचार के लिए सूचना सहित फर्मों द्वारा किए गए नवाचारों और अभिनव उपायों से संबंधित डेटा की खोज करना।
- **नवाचार सर्वेक्षण की क्षेत्रीय प्रणाली:** विनिर्माण नवाचार प्रणाली और फर्मों में नवाचार प्राप्त करने में इसकी सक्षम भूमिका की मैपिंग करना।
- यह सर्वेक्षण ट्रिपल-हेलिक्स मॉडल पर केंद्रित है। यह विश्वविद्यालयों, ज्ञान-आधार संस्थानों (केबीआई), फर्मों, सरकारों और संगठनों के बीच संबंधों को संदर्भित करता है।

सर्वेक्षण का महत्त्व:

- यह माना जाता है कि एनएमआईएस निष्कर्ष कुछ क्षमताओं और क्षमताओं के अवसरों तथा विनिर्माण मूल्य-श्रृंखलाओं में चुनौतियों के आधार को मजबूत करने में योगदान देंगे। इनके लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। यह मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य, विशेष रूप से पीएलआई योजनाओं (जो विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जाती हैं) में महत्त्वपूर्ण मूल्य जोड़ सकता है।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष:

- फर्म स्तर के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 4 में से 1 फर्म ने अवलोकन अवधि में एक नवाचार को सफलतापूर्वक लागू किया है। इनमें से 80% से अधिक फर्मों ने बाजारों और उत्पादन के विस्तार व लागत को कम करने में महत्त्वपूर्ण रूप से लाभान्वित किया है।
- एनएमआईएस 2021-22 के सर्वेक्षण से पता चलता है कि विनिर्माण में नवाचार अभी आम नहीं है लेकिन फर्मों के लिए लाभदायक साबित हुआ है। उत्पादन का विस्तार करने के लिए विनिर्माण नवाचार पर जोर देने की आवश्यकता है।
- 45% से अधिक फर्मों ने बताया कि फर्म या समूह के भीतर धन की कमी सबसे अधिक बाधा थी जिसके बाद उच्च नवाचार लागत (40.30%) और बाहरी स्रोतों से वित्त की कमी थी।
- फर्म स्तर के सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022 में बदल दिया गया है। सभी 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को उनके आईएमआईआई स्कोर के आधार पर रैंक दिया गया था। कर्नाटक राज्य आईएमआईआई 2022 पर सर्वोच्च स्थान पर रहा, जबकि सबसे कम असम को छोड़कर अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों का था।

आगे की राह:

इस सर्वेक्षण ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार स्तर के मानक और इस तरह की बाधाओं की स्पष्ट तस्वीर प्रदान की है। इसलिए सरकारी एजेंसियों और निजी अनुसंधान फर्मों के सहयोगात्मक प्रयास से स्थिति को भारतीय पक्ष में बदला जा सकता है। राज्य में नवाचार केन्द्रों की स्थापना, सस्ती वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और निवेश इस संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

5. सीजीटीएमएसई योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट लॉन्च किया, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये ऋण की गारंटी प्रदान करेगा। यह कदम केंद्रीय बजट 2023-24 में योजना में सुधार के लिए 9,000 करोड़ रुपये के आवंटन के मद्देनजर है।

इस योजना के बारे में:

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु सरकार का क्रेडिट गारंटी फंड (CGTMSE) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए की गई सबसे बड़ी पहलों में से एक है। जुलाई 2000 में सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) से 2,500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ शुरू की गई। इस योजना को बाद में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये के साथ सहयोग किया गया।

सीजीटीएमएसई के तहत कौन क्रेडिट ले सकता है?

- कृषि और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को छोड़कर विनिर्माण या सेवा गतिविधि में सभी नए तथा मौजूदा एमएसई सीजीटीएमएसई कवर के साथ ऋण प्राप्त कर सकते हैं। एकल एमएसई को 5 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है।
- एक से अधिक बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग 5 करोड़ रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है, जो व्यक्तिगत ऋणदाता की अधिकतम राशि के अधीन होगा।

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत लिए गए ऋणों पर गारंटी कवर की सीमा:

- संशोधित योजना में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 50% की कमी शामिल है। गारंटी के लिए सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया गया और कानूनी कार्यवाही शुरू किए बिना दावा निपटान के लिए सीमा को 10 लाख रुपये तक बढाया गया।
- 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, सूक्ष्म उद्यमों के लिए उपलब्ध गारंटी कवर 85 प्रतिशत तक है। 5 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच के ऋण के लिए, कवर 75 प्रतिशत तक है। महिला उद्यमियों/एससी-एसटी उद्यमियों/आकांक्षी जिलों/जेडईडी-प्रमाणित एमएसई आदि में स्थित एमएसई के लिए 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 85 प्रतिशत तक गारंटी कवर उपलब्ध है। MSE आधारित पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए कवर सीमा 50 लाख रुपये तक 80 प्रतिशत और 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये के ऋण के लिए 75 प्रतिशत तक है।
- इस योजना के तहत पिछले साल ऋण देने वाले संस्थानों (MLI) की सूची में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) को जोड़ा गया था।
- संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट के लिए सीजीटीएमएसई के तहत गारंटी कवर चाहने वाले एमएसई को अपना उद्यम पंजीकरण नंबर देना होगा जिसे 16 जनवरी, 2023 से अनिवार्य कर दिया गया था।

आगे की राह:

इस कदम से एमएसई को ऋण देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, सदस्य वित्तीय संस्थानों और विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। अंततः इससे हमारे एमएसई और युवाओं को लाभ होगा जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।

6. विश्व बैंक की बिजनेस रेडी (B-READY) रैंकिंग

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक ने बिजनेस रेडी रैंकिंग की शुरूआत की जो 180 देशों में व्यापार के माहौल का आंकलन करने के लिए एक नई पद्धति है। यह सितंबर 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग को रद्द करने के बाद किया गया है।

बिजनेस रेडी (B-READY) रैंकिंग के बारे में:

- यह सालाना दुनिया भर में व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करेगा।
- यह डूइंग बिजनेस में सुधार करके, उसको अपडेट करता है।
- **उद्देश्य:** विकास में तेजी लाने के लिए देशों को निवेश आकर्षित करने, नौकरियों और उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद करना।

- इसे विश्व बैंक के विशेषज्ञों, सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज समूहों की सिफारिशों पर लाया गया।
- इसे 2024 में प्रकाशित किया जाएगा।
- यह एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, मध्य-पूर्व और उप-सहारा अफ्रीका में 54 अर्थव्यवस्थाओं के प्रारंभिक समूह को कवर करेगा।
- अगले दो वर्षों में अन्य देशों को जोड़ा जाएगा।
- इसमें पहली बार कामगारों के अधिकार शामिल होंगे।
- यह किसी देश के व्यापार और निवेश के माहौल के मूल्यांकन की दिशा में अधिक संतुलित तथा पारदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाएगा।

बी-रेडी में डेटा पारदर्शिता:

- पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विश्व बैंक सभी एकत्रित डेटा और स्कोर प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना प्रकाशित करेगा।
- विश्व बैंक डेटा आंकलन के परिणामों को दोहराने के लिए बाहरी लोगों द्वारा आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराएगा।

विश्व बैंक के अन्य सूचकांक:

- विश्व विकास रिपोर्ट
- वैश्विक आर्थिक संभावना (जीईपी) रिपोर्ट
- प्रेषण रिपोर्ट
- जीवन सुगमता सूचकांक
- भारत विकास अद्यतन
- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स
- सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक

आगे की राह:

डेटा अनियमितताओं के कारण डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया था। हालांकि नई रैंकिंग में पारदर्शिता और सटीकता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि इसका आंतरिक तंत्र प्रभावित न हो सके। नई परियोजना एक फर्म के जीवनचक्र को कवर करने वाले 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें व्यापार प्रविष्टि, उपयोगिता सेवाएं, श्रम, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा, कराधान और दिवालियापन शामिल हैं।

7. अन्य कैशलेस मोड्स की तुलना में CBDC अधिक पर्यावरण अनुकूल: RBI रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या ई-रुपया, यदि पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाये, तो यह अन्य करेंसी की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल हो सकता है। थोक और खुदरा दोनों उपयोगों के लिए सीबीडीसी या डिजिटल रुपये का पायलट चरण 2022 में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था।

CBDC अधिक पर्यावरण-अनुकूल कैसे है?

- सीबीडीसी वर्तमान क्रेडिट कार्ड प्रसंस्करण केंद्रों की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा कुशल हैं।
- सीबीडीसी मुद्रण, भंडारण, परिवहन और भौतिक मुद्रा के प्रतिस्थापन जैसे कार्यों को निष्प्रभावी करके उत्सर्जन को रोकने में मदद करता है।
- CBDC के माध्यम से किया गया भुगतान तत्काल और अंतिम होगा। यह समाशोधन निगमों और अन्य निपटान बुनियादी ढांचे पर निर्भरता कम करने से ऊर्जा की खपत में कमी कर सकती है।

मुद्रा और वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट (2022-23):

- रिपोर्ट का विषय: 'एक हरित स्वच्छ भारत की ओर'
- **जलवायु तनाव-** परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक असुरक्षित हो सकते हैं।
- **जलवायु-** जलवायु संबंधी जोखिमों के कारण वित्तीय प्रणाली/संस्थाओं को होने वाले नुकसान का आंकलन करना जो कि जलवायु संबंधी आकस्मिकताओं के लिए पारंपरिक तनाव परीक्षणों की पद्धति को अपनाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का व्यापक आर्थिक प्रभाव-** भारत को वर्ष 2100 तक सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3-10% इससे नुकसान हो सकता है।
- **नौकरी का नुकसान-** 2030 तक गर्मी के तनाव से 34 मिलियन लोगों की नौकरी जा सकती है।
- **वित्त आवश्यकताएं-** जलवायु परिवर्तन के कारण बुनियादी ढांचे के अंतर को भरने के लिए 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.5 प्रतिशत के अतिरिक्त वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) क्या है?

- आरबीआई परिभाषित करता है कि सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है।
- इन्हें ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके लेन-देन किया जा सकता है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।

सीबीडीसी की विशेषताएं:

- केंद्रीय बैंक द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा।
- केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र पर देयता।
- भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकृत, कानूनी निविदा।
- वाणिज्यिक बैंक धन और नकदी के विरुद्ध मुक्त रूप से परिवर्तनीय।
- धारकों के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है।
- पैसा जारी करने और लेन-देन की लागत कम करता है।

आगे की राह:

भारत की अत्याधुनिक भुगतान प्रणालियों द्वारा समर्थित जो सस्ती, सुलभ, सुविधाजनक, कुशल और सुरक्षित हैं। डिजिटल रुपया प्रणाली भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी, मौद्रिक और भुगतान प्रणाली को अधिक कुशल बनाएगी तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी।

विविध मुद्दे

1. थिरुनेली मंदिर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) ने सरकार से केरल के थिरुनेली में श्री महाविष्णु मंदिर में 600 साल पुराने 'विलक्कुमाडोम' के संरक्षण का आग्रह किया है।

विलक्कुमाडोम (Vilakkumadom) के बारे में:

- केरल के वायनाड जिले के थिरुनेली में श्री महाविष्णु मंदिर में माना जाता है कि विलक्कुमाडोम एक उत्कृष्ट ग्रेनाइट संरचना है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था।
- ऐसा कहा जाता है कि कूर्ग के राजा ने मंदिर के संरक्षक कोट्टायम राजा की अनुमति के बिना विलक्कुमाडोम का काम शुरू किया था। बाद में कोट्टायम राजा ने निर्माण कार्य का आदेश दिया था।

थिरुनेली मंदिर के बारे में:

- थिरुनेली मंदिर, जिसे अमलका या सिद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, केरल के वायनाड जिले में एक विष्णु मंदिर है।
- मंदिर का नाम एक घाटी में आंवले के पेड़ पर आराम कर रहे भगवान विष्णु की मूर्ति से मिलता है, जिसकी खोज भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए की थी।
- थिरुनेली मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक केरल शैली का अनुसरण करती है। मंदिर में एक आंतरिक गर्भगृह है, जो टाइल की छत की संरचना से घिरा हुआ है जिसके चारों ओर एक खुला प्रांगण है।
- मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार को एक ग्रेनाइट लैम्पपोस्ट से सजाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवार ग्रेनाइट के खंभों से बंधी है तथा कक्ष शैली में काटे गए हैं जो आमतौर पर केरल में नहीं देखे जाते हैं।
- इस बात के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं कि चेरा राजा भास्कर रवि वर्मा I (962-1019 CE) के समय थिरुनेली दक्षिण भारत का एक महत्त्वपूर्ण शहर और तीर्थस्थल था।

इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के बारे में:

- इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) की स्थापना 1984 में नई दिल्ली (भारत) में विरासत जागरूकता और संरक्षण को आगे बढ़ाने की दृष्टि से की गई थी।
- INTACH को देश भर में 190 से अधिक शाखाओं के साथ दुनिया के सबसे बड़े विरासत संगठनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह विभिन्न डिवीजनों के माध्यम से संचालित होता है।
- इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी धर्मार्थ संगठन है।
- 2007 में, संयुक्त राष्ट्र ने INTACH को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ एक विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया था।

आगे की राह:

विरासत भवनों का संरक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए तेजी से बदलती दुनिया में पहचान और निरंतरता की भावना प्रदान करता है। विरासत भवन मूल रूप से किसी राष्ट्र के पिछले इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक साथ एक क्षेत्र की स्थापत्य विरासत का निर्माण करते हैं। भारत सरकार भारत में सांस्कृतिक विरासत स्थलों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार ने भारतीय विरासत को संरक्षित करने हेतु एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम, प्रोजेक्ट मौसम, प्रसाद योजना शुरू की है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद-49 के तहत संवैधानिक संरक्षण भी उपलब्ध है।

2. प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री शिलाभट्टारिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (जिसमें दक्षिण एशिया की पांडुलिपियों और दुर्लभ ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह है) के शोधकर्ताओं ने एक साहसिक खोज कार्य में प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री शिलाभट्टारिका के बारे में नया प्रकाश डाला है। इस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा तांबे की प्लेटों के डिकोडिंग के माध्यम से कवयित्री शिलाभट्टारिका को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की बेटी होने का दावा किया गया।

नए शोध के मुख्य बिंदु:

- इस नए शोध में बादामी चालुक्य शासक विजयादित्य (696-733 CE) के शासनकाल से सम्बंधित 5 ताम्रपत्रों से युक्त एक ताम्रपत्र चार्टर का विश्लेषण किया गया। इसे एक वराह (सूअर) मुहर वाली तांबे की अंगूठी द्वारा एक साथ रखा गया था। यह वराह मुहर बादामी चालुक्यों का ट्रेडमार्क था।
- इस चार्टर से पता चलता है कि राजा विजयादित्य चालुक्य ने शिलाभट्टारिका के पुत्र महेंद्रवर्मा की सिफारिश पर विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान को चिगतेरी गाँव दान में दिया था। इस चार्टर में ब्राह्मी लिपि में कुल 65 पंक्तियों का एक संस्कृत पाठ अंकित था।
- बादामी चालुक्य शासकों ने अपने नाम के साथ 'सत्यश्रय-सत्य का संरक्षक' की उपाधि धारण की। शिलाभट्टारिका के ससुर मोक्करा या मुश्करा और उनके पिता दुर्विनीता (पश्चिमी गंग वंश के सबसे महत्त्वपूर्ण शासक- 529-579 सीई) के नाम भी प्लेटों में दिए गए हैं।

कवयित्री शिलाभट्टारिका के बारे में:

- शिलाभट्टारिका भारत में 9वीं शताब्दी ई. के आसपास संस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्री थी जो नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत के पास रहती थी। इनके काव्य कौशलों की प्रशंसा मध्ययुगीन संस्कृत साहित्यिक आलोचकों द्वारा भी की गई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि वह 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की रानी शिलामहादेवी के समान हो सकती हैं।

पुलकेशिन द्वितीय के बारे में:

- वह बादामी चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने 610-642 CE तक शासन किया। इसके समय में चालुक्य वंश का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश दक्कन क्षेत्र में हुआ।
- पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण में बनवासी के कदंबों को पराजित किया था, साथ ही कोंकण के मौर्य शासक, दक्षिण कोसल और कलिंग को भी अपने अधीन कर लिया था।
- चीनी तीर्थयात्री जुआनजैंग ने उल्लेख किया है कि इसने 618 ई. में नर्मदा नदी के किनारे कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को हराया था।
- ऐहोल शिलालेख में लताओं, मालवों और गुर्जरों को पुलकेशिन द्वितीय द्वारा अधीन करने का उल्लेख है। वह एक वैष्णव थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे।

आगे की राह:

प्राचीन विश्व के इतिहास की खोज करना बहुत दुर्लभ कार्य है क्योंकि इसमें प्रामाणिक स्त्रोत की कमी होती है। फिर भी शोधकर्ताओं द्वारा बिना थके किया जा रहा कार्य प्रसंशनीय है। इसमें सरकार को सभी प्रकार से शोधकर्ताओं की मदद करनी चाहिए।

3. जीरो शैडो डे (Zero Shadow Day)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बेंगलुरू ने 'जीरो शैडो डे' का अनुभव किया। इस दिन प्रत्येक वर्टिकल वस्तुओं की कोई छाया नहीं बनती है।

जीरो शैडो डे के बारे में:

- कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु के लिए, वर्ष में दो शून्य छाया दिवस होते हैं।
- पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा के तल से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, यहीं कारण है कि मौसम जैसी घटनाये होती हैं।
- जीरो शैडो डे के दौरान स्थानीय दोपहर के समय, जब सूर्य वस्तु के ठीक ऊपर अपने चरम पर होता है, तब लंबवत वस्तुओं की कोई छाया नहीं पड़ती है।
- यह तब होता है जब सूर्य का स्थान पृथ्वी के भूमध्य रेखा के 23.5°N से 23.5°S तक होता है, जिससे स्थानीय दोपहर में वस्तुओं के नीचे छाया गायब हो जाती है।
- वे सभी स्थान जिनका अक्षांश उस दिन सूर्य के स्थान और भूमध्य रेखा के बीच के कोण के बराबर होता है। दोपहर में किसी वस्तु की छाया के साथ शून्य छाया दिवस का अनुभव होता है।

संक्रांति (Solistics) के बारे में:

- 21 जून को उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य की ओर झुका होता है जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में अधिक गर्मी प्राप्त होती है।
- चूँकि उत्तरी गोलार्द्ध के एक बड़े हिस्से को सूर्य से प्रकाश मिल रहा होता है, इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में गर्मी का मौसम होता है। इन स्थानों पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है।

इस समय दक्षिणी गोलार्द्ध में ये सभी स्थितियाँ उलट जाती हैं, क्योंकि वहां सर्दी का मौसम होता है। रातें दिनों की तुलना में लंबी होती हैं, पृथ्वी की इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं।

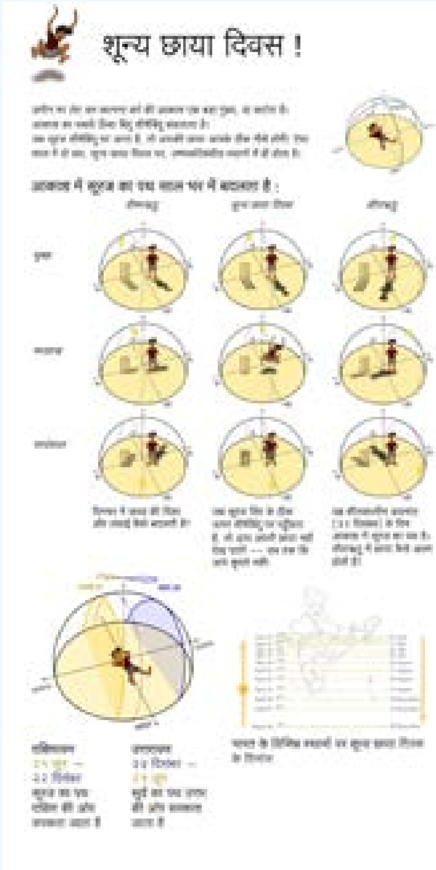

22 दिसंबर को, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं क्योंकि दक्षिणी ध्रुव उसकी ओर झुका होता है। जैसे ही सूर्य की किरणें मकर रेखा (23½° s) पर लंबवत पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध के एक बड़े हिस्से को प्रकाश मिलता है। इसलिए, दक्षिणी गोलार्द्ध में ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसका ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस स्थिति को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है।

4. बिहान मेला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोंध जनजाति (ओडिशा) के सदस्यों ने अपने त्यौहार के वार्षिक कैलेंडर में बिहान मेला नामक एक त्यौहार जोड़ा। इस पर्व को बीज उत्सव के नाम से भी जाना जाता है।

बिहान मेले के बारे में:

- इस आयोजन में स्वदेशी बीजों का संग्रह और संरक्षण शामिल है। इसमें दशपल्ला ब्लॉक के 40 गांवों के किसान भाग लेते हैं।
- इसमें खरीफ फसल की कटाई के बाद महिलाएं देशी किस्मों के बीज एकत्र करती हैं और उन्हें मिट्टी के बर्तनों में जमा करती हैं।
- दिसंबर में निर्धारित दिन पर वे बर्तनों को लाल और सफेद रूपांकनों से सजाते हैं, उन्हें एक बांस की टोकरी में रखते हैं और उन्हें अपने सिर पर उस गाँव में ले जाते हैं, जहाँ मेले का आयोजन किया जा रहा होता है।
- उनके साथ पुरुष ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाते हैं।

यह त्यौहार क्यों शुरू हुआ?

- हरित क्रांति के बाद से इस क्षेत्र के किसानों ने स्थानीय फसलों और किस्मों को छोड़ दिया है जो कीटों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी है और पर्यावरण के लिए बेहतर व अनुकूल थीं।
- क्षेत्र के किसान बड़े पैमाने पर निर्वाह किसान हैं जो मानसून की वर्षा पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में कई मौकों पर फसल खराब हुई है या तो अप्रत्याशित वर्षा या कीट संक्रमण के परिणामस्वरूप नष्ट हो गयी।
- इससे न केवल उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसने भूमि को भी खराब कर दिया है और किसानों को फसल की विफलता के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है।
- इस प्रकार बीज उत्सव की शुरूआत किसानों को मिश्रित-फसल जैसे प्राचीन पारंपरिक तरीकों की ओर लौटने में सहायता करने के लिए की गई थी ताकि उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके।

कोंध जनजाति के बारे में:

- कोंध ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, साहसी मार्शल परंपराओं और स्वदेशी मूल्यों के लिए जाने जाते हैं जो प्रकृति के साथ सद्भाव पर केंद्रित हैं।
- उनकी विभिन्न उप-जनजातियां हैं जिनमें डोंगरिया, कोवी, कुटिया, लांगुली, पेंगा और झरनिया शामिल हैं।
- कोंध कुई भाषा बोलते हैं जिसे उड़िया लिपि में लिखा जाता है।
- ओडिशा के कंधमाल जिले में पचपन प्रतिशत कोंध आबादी रहती है।

आगे की राह:

बीज संरक्षण को बढ़ावा देने के अलावा, बिहान मेला सामुदायिक लचीलापन बनाने और स्थानीय खाद्य प्रणालियों का समर्थन करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीज और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करके ये त्यौहार अधिक विकेंद्रीकृत और विविध खाद्य प्रणाली बनाने में मदद करते हैं जो औद्योगिक कृषि और बहुराष्ट्रीय निगमों पर कम निर्भर है।

5. ब्लूबगिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की पुलिस अधीक्षक ने लोगों से ब्लूबगिंग के बारे में सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने यह भी आगाह किया कि चोरी किए गए डेटा का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा सकता है। उन्होंने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया, जिस पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति 1930 डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

ब्लूबगिंग के बारे में:

- यह हैकिंग का एक रूप है जो हमलावरों को ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस तक पहुंचने की अनुमति देता है।
- ब्लूबगिंग हमले को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए एक हमलावर, उन्हें लक्ष्य डिवाइस के करीब सीमा के भीतर होना चाहिए जो आमतौर पर 10 मीटर के भीतर होता है।
- इसमें हैकर कमजोर ब्लूटूथ उपकरणों को स्कैन करने और पहचानने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग करता है।
- एक हैकर ब्लूबगिंग के माध्यम से इन ऐप्स और उपकरणों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर सकता है तथा अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें नियंत्रित कर सकता है।
- कोई भी ब्लूटूथ-सक्षम डिवाइस जिसमें ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) डिवाइस या ईयरबड शामिल हैं, ब्लूबगिंग के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।
- एक बार किसी उपकरण या फोन के ब्लूबग हो जाने पर एक हैकर कॉल सुन सकता है, पढ़ सकता है, संदेश भेज सकता है, संपर्क चुरा सकता है और संशोधित कर सकता है।
- यहां तक कि सबसे सुरक्षित स्मार्टफोन जैसे आईफोन भी ऐसे हमलों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

ब्लूबगिंग के लिए निवारक उपाय:

- ब्लूटूथ को बंद करना और जोड़े गए ब्लूटूथ उपकरणों को ब्लूटूथ सेटिंग से डिस्कनेक्ट करना।
- डिवाइस के सिस्टम सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करण में अपडेट करना।
- सार्वजनिक वाई-फाई के उपयोग को सीमित करना।
- एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में वीपीएन का उपयोग करना।
- डिवाइस को उसकी फैक्टरी सेटिंग पर रीसेट करें या ऐसे किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करें जिसे आप नहीं पहचानते हैं।
- डेटा उपयोग में अचानक आई बढ़ोतरी पर नजर रखें।
- आधुनिक एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर भी इस तरह के हमलों को रोकने में मदद कर सकता है। उपयोगकर्ताओं को फिल्टर करने, अवरुद्ध करने और लोगों को सतर्क रहने के लिए लगातार याद दिलाते स्पैम जैसी सामग्री का पता लगाने में मदद करता है।

साइबर सुरक्षा के लिए सरकारी पहलें:

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020

- साइबर सुरक्षित भारत पहल।
- ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

आगे की राह:

ब्लूबगिंग एक गंभीर सुरक्षा जोखिम है, लेकिन एहतियाती उपायों का पालन करके जोखिम को कम कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आपकी ब्लूटूथ सेटिंग्स हमेशा सुरक्षित और अपडेट रहती हैं। सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करते समय एक वीपीएन का उपयोग करें और किसी भी युग्मित डिवाइस को हटा दें जिसकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। इन सावधानियों को अपनाकर ब्लूबगिंग और अन्य ब्लूटूथ हमलों से सुरक्षित रहा जा सकता है।

6. इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

नील्सन इंडिया (Nielsen's India) इंटरनेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार, दिसंबर 2022 तक भारत में 2 वर्ष और उससे अधिक आयु के 700 मिलियन से अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- ग्रामीण भारत में 425 मिलियन उपयोगकर्ता थे, जो शहरी क्षेत्रों में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या से लगभग 44% अधिक थे।
- शहरी क्षेत्रों में 295 मिलियन उपयोगकर्ता थे।
- सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अभी भी काफी संभावना है, क्योंकि आधे से अधिक ग्रामीण आबादी नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं।
- वर्ष दर वर्ष (YoY), 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता की जनसंख्या 2022 में 20% से बढ़कर 595 मिलियन हो गई।
- महिला सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में 27% की वृद्धि हुई, जबकि पुरुष उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 18% बढ़ी।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश में 450 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं जिनमें 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में वीडियो स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग शीर्ष दो इंटरनेट गतिविधियां देखी गईं। डिजिटल समाचार में भी काफी वृद्धि हुई है, लगभग हर पांच में से एक भारतीय अब डिजिटल समाचार देख रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 759 मिलियन 'सक्रिय' इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट का उपयोग करते हैं। 2025 तक यह संख्या 900 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। यह पहली बार है कि अधिकांश भारतीय सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता बन गए हैं।

डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में:

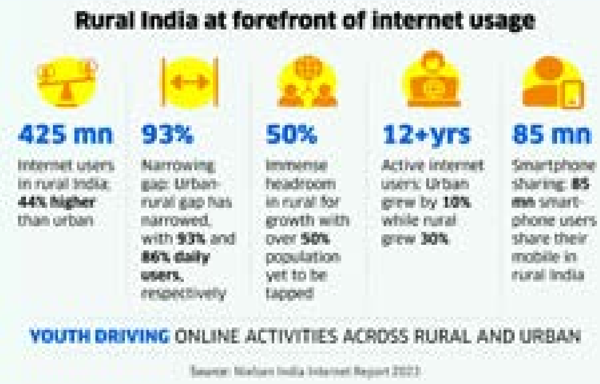

- भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई, 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारतनेट और स्टैंडअप इंडिया जैसे अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थी के रूप में डिजिटल इंडिया मिशन को शुरू किया था। डिजिटल इंडिया मिशन मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों से संबंधित है:
  - सभी नागरिकों के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करना।
  - प्रशासन और मांग पर सेवाएं देना।
  - प्रत्येक नागरिक के डिजिटल सशक्तिकरण की निगरानी करना आदि।

ट्राई (TRAI) के बारे में:

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा-3 के तहत भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की।
- यह भारत का दूरसंचार क्षेत्र नियामक है।
- यह एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक और दो अंशकालिक सदस्यों से बना है।
- ट्राई अधिनियम को वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था जिससे विवाद कार्यों को जल्द निपटाने के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी।

आगे की राह:

रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पैठ न केवल प्रसार के संदर्भ में बल्कि गहराई के संदर्भ में भी बेहतर हुई है। 2025 तक, यह उम्मीद की जाती है कि भारत में सभी नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 56% हिस्सा ग्रामीण भारत का होगा।

7. उभौली पर्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में किराट समुदाय द्वारा बैशाख मास की पूर्णिमा के दिन उभौली त्यौहार मनाया गया। इस समुदाय के लिए यह त्यौहार बहुत महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि यह खेती की शुरुआत और गर्मी का मौसम शुरू होने

पर पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन का उत्सव होता है।

उभौली पर्व के बारे में:

- किराट समुदाय का यह सबसे महत्त्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है।
- यह त्यौहार ज्यादातर नेपाल के कोशी प्रांत और काठमांडू जिलों में मनाया जाता है।
- उभौली त्यौहार हर साल चंद्र कैलेंडर में बैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
- इस आयोजन के दौरान किराटी लोग त्यौहार मनाने और शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एकत्रित होते हैं।
- किराट के धार्मिक ग्रंथ मुंढुम के अनुसार समय को दो भागों उधौली और उभौली में बांटा गया है। किराट समुदाय का मानना है कि ये दोनों काल खेती के आधार पर बंटे हुए हैं। उभौली एक त्यौहार है जो खेती की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।
- किराटी लोग नेपाल, भारत और दुनिया के अन्य क्षेत्रों की सुनुवार, राय, लिम्बु और याक्खा आबादी के साथ छुट्टी मनाते हैं।
- किराटी समुदाय के सदस्य इस आयोजन को मनाने के लिए एक संगठित तरीके से इकट्ठा होते हैं और उत्सव के दौरान सुखद विचार साझा करते हैं।

किराटी समुदाय:

- किराट या किराटी एक प्राचीन लोग हैं जो हजारों वर्षों से नेपाल के इतिहास से जुड़े हुए हैं।
- किराट का अर्थ होता है सिंह हृदय वाले या सिंह स्वभाव के लोग। इसका अर्थ पहाड़ के लोग भी होता है। यह शब्द पूर्वी नेपाल और पूर्वोत्तर भारत में लोगों के समूह के नाम के लिए किराटी या किरंटी से लिया गया है।
- किराटी लोग, जिन्हें किरंट या किरंटी के नाम से भी जाना जाता है, एक चीन-तिब्बती जातीय समूह हैं।
- किराट का मृत्यु और पूर्वजों तथा प्रकृति में दृढ़ विश्वास है। उनका मानना है कि अगर सही तरीके से उनकी पूजा नहीं की गई तो पूर्वज नाराज हो जाएंगे।

नेपाल के महत्त्वपूर्ण त्यौहार:

बिसकेट जात्रा (Bisket Jatra):

- नेपाली नव वर्ष के रूप में प्रसिद्ध यह नेपाल का एक प्रमुख त्यौहार है।
- यह समारोह नागों के अंत का प्रतीक है, इसलिए इसे बिसयु जात्रा या नागों की हत्या के रूप में भी जाना जाता है।
- बिस्केट जात्रा के दिन देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच, दरबार स्क्वायर में एक विशाल रस्साकशी का आयोजन किया जाता है।

दशाईन (Dashain):

- 15 दिनों तक मनाया जाने वाला दशाईन त्यौहार नेपाल में सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्यौहारों में से एक है।
- राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत दशाईन के दौरान पूजा, दावत, मेले और पारिवारिक समारोहों के माध्यम से मनाई जाती है।
- नेपाली लोग भूमि की उर्वरता और अच्छी फसल के लिए दशाईन पर्व भी मनाते हैं।

आगे की राह:

किराट सभ्यता सातवीं या आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व विकसित हुई थी। वर्तमान में काठमांडू घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह त्यौहार मनाया जाता है। किराट राजाओं ने लगभग 650 ई.पू. से 290 ई. तक वहां शासन किया था। नेपाली सभ्यता और संस्कृति किराट काल में विकसित हुई थी।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. यांग्त्जी जायंट सॉफ्टशेल कछुआ

- हाल ही में यांग्त्जी जायंट सॉफ्टशेल कछुआ प्रजाति की अंतिम ज्ञात शेष मादा वियतनाम के हनोई सोंटे जिले में डोंग मो झील के किनारे मृत पाई गई।
- यांग्त्जी जायंट सॉफ्टशेल कछुआ (राफेटस स्विंहोई) दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का कछुआ है और पृथ्वी पर सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है।
- इसकी लंबाई 1.5 मीटर (5 फीट) तक है जिसका वजन 200 पाउंड (90 किलोग्राम) से अधिक हो सकता है।
- इसकी चपटी, मुलायम खोल, लंबी गर्दन और सूअर जैसा मुंह होता है।
- ऊपरी परत आमतौर पर जैतून या भूरे रंग का होता है।

2. कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP)

- कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जलमार्ग स्वीकृत होने के 15 साल बाद चालू होने की सम्भावना है।

- इस परियोजना का उद्देश्य भारत और म्यांमार के बीच व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा देना और अन्य दक्षिण एशियाई देशों तक पहुंच को आसान बनाना है।
- यह लैंडलॉक वाले पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने और मौजूदा संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम करने के लिए एक रणनीतिक वैकल्पिक लिंक भी प्रदान करेगा।
- बंदरगाह बल्क कार्गो जैसे सीमेंट, दालें और खाद्यान्न का परिवहन करेगा।
- KMTTP कोलकाता को सितवे बंदरगाह से जोड़ता है, जो कलादान नदी के साथ एक जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार के पलेटवा से जुड़ा हुआ है।
- भारत-म्यांमार सीमा पर मिजोरम में पलेटवा से जोरिनपुई तक 110 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है।
- जोरिनपुई 100 किमी सड़क के माध्यम से लॉन्गतलाई से जुड़ा हुआ है और एक मौजूदा राजमार्ग इसे आइजोल से जोड़ता है, जो गुवाहाटी सहित अन्य पूर्वोत्तर शहरों से जुड़ा हुआ है।

3. प्रादेशिक सेना में महिला अधिकारियों के लिए कैडर प्रबंधन प्रावधानों में संशोधन

- हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने प्रादेशिक सेना में महिला अधिकारियों के लिए कैडर प्रबंधन प्रावधानों में संशोधन किया है।
- संशोधन महिला अधिकारियों को नियंत्रण रेखा (LOC) पर तैनात करने की अनुमति देता है और संगठन के भीतर उनके करियर के अवसरों का विस्तार करता है।
- प्रादेशिक सेना (टीए) की स्थापना 1948 में भारतीय रक्षा बल और भारतीय प्रादेशिक बल के प्रतिस्थापन के रूप में की गई थी।
- प्रादेशिक सेना (टीए) का नेतृत्व एक लेफ्टिनेंट जनरल-रैंकिंग अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की देखरेख में आता है। इसमें दो ईकाइयां शामिल हैं: एक विभागीय ईकाई जिसमें भूतपूर्व सैनिक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं तथा एक गैर-विभागीय ईकाई जिसमें निजी तौर पर कार्यरत नागरिक शामिल हैं।
- प्रादेशिक सेना (टीए) की प्राथमिक भूमिका नियमित सेना को नीरस कर्त्तव्यों से मुक्त करना, प्राकृतिक आपदाओं और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के दौरान नागरिक प्रशासन की सहायता करना है।
- यह जरूरत पड़ने पर नियमित सेना को ईकाइयाँ भी प्रदान करता है जो विभिन्न युद्धों और अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। महिला अधिकारियों को पहली बार 2019 में प्रादेशिक सेना में शामिल किया गया था और शुरुआत में पारिस्थितिक कार्य बल इकाइयों, टीए तेल क्षेत्र इकाइयों और टीए रेलवे इंजीनियर रेजिमेंटों को सौंपा गया था।
- यह संशोधन सेना में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो प्रादेशिक सेना में महिला अधिकारियों के करियर की संभावनाओं को बढ़ाता है।

4. ओरिनोको क्रोकोडाइल

- वेनेजुएला का ओरिनोको मगरमच्छ विलुप्त होने के कगार पर है।
- क्रोकोडायलस इंटरमीडियस के रूप में जाने जाने वाले वैज्ञानिक, विशाल सरीसृप ओरिनोको बेसिन के मूल निवासी हैं जो वेनेजुएला कोलंबिया के साथ साझा करता है।
- यह छह मीटर (19.7 फीट) से अधिक लंबाई और 400 किलोग्राम (882 पाउंड) से अधिक तक बढ़ सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक बनाता है।
- प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार, यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। 1900 की शुरुआत और मध्य में केवल 3-पीढ़ियों में 80% जनसंख्या में कमी का सामना करना पड़ा है।

5. प्रोजेक्ट 15बी

- हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट-15बी वर्ग के तीसरे स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल ने पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

प्रोजेक्ट 15बी के बारे में:

- प्रोजेक्ट 15बी, प्रोजेक्ट 15ए श्रेणी का अनुवर्ती है जो 2011 में चार निर्देशित स्वदेशी स्टील्थ मिसाइल विध्वंसक बनाने के लिए शुरू किया गया था।
- ये पोत 163 मीटर लंबे, 17 मीटर चौड़े हैं जो 30 समुद्री मील की अधिकतम गति के साथ पूरी तरह से लोड होने पर 7400 टन का विस्थापन करते हैं।
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस, इनके पास कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां जैसे-मध्यम दूरी के एसएएम, स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट भी हैं।

6. हेमिस मठ

- हाल ही में G20 के तहत Y20 प्री-समिट मीटिंग लद्दाख के लेह में शुरू हुई। इस प्री-समिट में 30 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हेमिस और थिकसे मठों का दौरा किया।

हेमिस मठ:

- हेमिस मठ द्रुक्पा वंश का एक हिमालयी बौद्ध मठ (गोम्पा) है, जो हेमिस (लद्दाख) भारत में स्थित है। इसे 1672 में लेह से 45 किमी दूर स्थित लद्दाखी राजा सेंगगे नामग्याल द्वारा फिर से स्थापित किया गया था।
- यहाँ जून की शुरुआत में पद्मसंभव को सम्मानित करने वाला वार्षिक हेमिस उत्सव आयोजित किया जाता है।

हेमिस मठ का इतिहास:

- हेमिस मठ का इतिहास 11वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में माना जाता है।
- हेमिस का मठ योगी तिलोपा के शिष्य और अनुवादक मारपा के शिक्षक नरोपा से जुड़ा हुआ है।
- ऐसा माना जाता है कि नरोपा और योगी तिलोपा हेमिस में मिले थे और यहां से वे मगध के प्राचीन साम्राज्य की ओर गए।
- नरोपा हिमालयी गूढ़ बौद्ध धर्म के काग्यू-वंश के संस्थापक पिता थे। इसलिए, हेमिस मठ बौद्ध धर्म के काग्यू वंश का मुख्य स्थान है।

7. चलने का अधिकार

- देश में पैदल और साइकिल चालक की मौतों में लगातार वृद्धि के बीच, पंजाब ने 'चलने के अधिकार' को लागू करके राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में अग्रणी भूमिका निभाई है।

मुख्य विशेषताएं:

- राज्य सरकार ने ये निर्देश पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद जारी किए हैं।
- एनएचएआई सहित सभी सड़क-स्वामित्व वाली एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे भविष्य में सड़कों के विस्तार और नई सड़कों के निर्माण के साथ फुटपाथ व साइकिल ट्रैक भी उपलब्ध कराएं।

8. मालचा महल

- हाल ही में दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा बहुप्रतीक्षित 'हॉन्टेड वॉक' का शुभारंभ किया गया। यह पहली हेरिटेज वॉक तुगलक-युग के स्मारक 'मालचा महल' से शुरू होगी।

मुख्य विशेषताएं:

- मालचा महल (जिसे मालचा कोठी के नाम से भी जाना जाता है) भारत के दिल्ली शहर में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है।
- यह इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है जो अक्सर साजिश और रहस्य में डूबा रहता था।
- यह रिज जंगल के अंदर स्थित है जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था।
- इस महल परिसर में एक मुख्य इमारत, आंगनों और उद्यानों सहित कई संरचनाएं हैं।
- 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महल अवध के शाही परिवार के स्वामित्व में आ गया।
- 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप को स्वतंत्रता मिलने के बाद और रियासतों को समाप्त कर दिया गया परन्तु मालचा महल के अंतिम निवासी (राजकुमारी विलायत महल और उनके वंशज) ने वहाँ रहते रहे।

9. वाशिंगटन घोषणा

- हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर वाशिंगटन घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य विशेषताएं:

- यह समझौता विरोध की दिशा में सहयोग की रूपरेखा है।

घोषणा के अनुसार:

- एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात की जाएगी।
- संयुक्त प्रतिक्रिया रणनीति के सिद्धांतों को तैयार करने के लिए एक परमाणु सलाहकार समूह का गठन किया जाएगा।
- परमाणु प्रगति के संबंध में दक्षिण कोरिया को अमेरिका से इंटेल प्राप्त होगा।
- अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एक वार्षिक अंतर-सरकारी अनुकरण के माध्यम से दक्षिण कोरिया की परमाणु निवारक क्षमताओं को मजबूत करेगा।
- इस घोषणा ने अप्रसार संधि की पुष्टि की, जिसका अर्थ है कि दक्षिण कोरिया अपनी स्वतंत्र परमाणु क्षमताओं के निर्माण में उद्यम नहीं करेगा। इसके बजाय गठबंधन-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह अमेरिकी राष्ट्रपति को परमाणु टकराव की स्थिति में अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार का उपयोग करने के लिए 'एकमात्र प्राधिकरण' के रूप में भी अनिवार्य करता है।
- इस समझौते का अस्तित्व दक्षिण कोरिया की सुरक्षा आवश्यकताओं पर आधारित है। यह नीति शक्ति की राजनीति को दर्शाती है जहां बड़ी शक्ति (यू.एस.) के हितों को प्राथमिकता दी जाती है।

10. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान

- पुरातत्वविदों ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 1,500 साल पुरानी रॉक पेंटिंग और 1,800- 2,000 साल पुराने मानव निर्मित जल निकाय खोजे हैं।

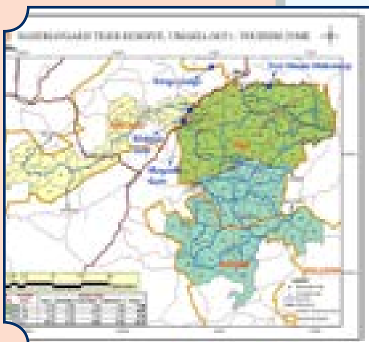

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश (भारत) के उमरिया जिले में स्थित एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है।
- यह लगभग 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो घने जंगलों, घास के मैदानों और वन्यजीवों की बहुतायत सहित अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर सहित विभिन्न प्रजातियों का घर है, जो उद्यान का मुख्य आकर्षण है। अन्य जानवर जिन्हें यहाँ देखा जा सकता है उनमें तेंदुए, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे, भारतीय बाइसन, सांभर हिरण, चित्तीदार हिरण और बार्किंग डियर शामिल हैं। यह उद्यान पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियों का घर भी है।

11. चन्नापटना (Channapatna) खिलौने

- कर्नाटक के चन्नापटना में खिलौना निर्माताओं ने चीन से खिलौनों के आयात पर रोक लगाने के सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का यह कदम उनके रोजगार में लाभ बढ़ाने में योगदान देगा।

चन्नापटना खिलौने:

- यह खिलौने लकड़ी की गुड़िया का एक विशेष रूप है जो कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले (चन्नापटना शहर) में निर्मित होते हैं।
- कर्नाटक सरकार द्वारा प्रशासित विश्व व्यापार संगठन के तहत इस पारंपरिक शिल्प को भौगोलिक संकेत (जीआई) के रूप में संरक्षित किया गया है।
- इन खिलौनों की लोकप्रियता के परिणामस्वरूप, चन्नापटना को कर्नाटक के गोम्बेगला ऊरु (खिलौनों का शहर) के रूप में जाना जाता है।
- परंपरागत रूप से इस काम में राइटिया टिंक्टोरिया पेड़ की लकड़ी को चमकाना शामिल था, जिसे बोलचाल की भाषा में आले मारा (हाथीदांत की लकड़ी) कहा जाता है। चन्नपटना खिलौनों की अधिक प्रमुखता टीपू सुल्तान के संरक्षण में देखी जा सकती है।
- पिछले कुछ वर्षों में इस कला में बदलाव आया है।
- बावस मियां नाम के एक व्यक्ति ने जापानी गुड़िया बनाने की तकनीक पेश करने की जिम्मेदारी ली ताकि उत्पादन में सुधार हो सके और खिलौने के प्रत्येक हिस्से को बनाने में लगने वाले समय को कम किया जा सके।
- लगभग दो शताब्दियों के लिए हाथीदांत की लकड़ी इन खिलौनों को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य लकड़ी थी। हालांकि कभी-कभी शीशम और चंदन की लकड़ी का भी उपयोग किया जाता था।
- इन्हें सब्जियों और पौधों से निकाले गए जैविक रंगों और प्राकृतिक रंगों से भी रंगा जाता है, जिससे चन्नापटना खिलौने 100% रसायन मुक्त हो जाते हैं।

12. कृषि मैपर

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि मैपर नामक एक एकीकृत ऐप लॉन्च किया, जो कृषि में भू-स्थानिक डेटा को शामिल करता है।
- भू-स्थानिक डेटा उस जानकारी को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट किसी विशिष्ट स्थान के साथ वस्तुओं या घटनाओं की पहचान करती है।
- ऐप से बेहतर संसाधन प्रबंधन, फसल परिणाम की भविष्यवाणी, बढ़ी हुई पैदावार और बेहतर कृषि पद्धतियों जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करने की उम्मीद है।

13. रॉयल रैंसमवेयर

- हाल ही में भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने 'रॉयल रैंसमवेयर' वायरस के खिलाफ चेतावनी जारी की।
- यह वायास महत्त्वपूर्ण डेटा पर हमला करता है और सार्वजनिक डोमेन में व्यक्तिगत डेटा लीक न करने के लिए बिटकॉइन में भुगतान की मांग करता है। इसका पहली बार जनवरी 2022 में पता चला था।

रैंसमवेयर के बारे में:

- रैंसमवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा फाइलों को एन्क्रिप्ट करके संग्रहीत डेटा तक पहुंच को अवरुद्ध करके कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट करने के लिए किया जाता है।
- इसके बाद रिस्टोर करने के एवज में फिरौती मांगी जाती है।
- आमतौर पर ईमेल या अन्य माध्यमों से भेजे गए सुरक्षित वेब लिंक, जिसमें हैकिंग लिंक भी शामिल होता है, पर क्लिक करके उपयोगकर्ता को धोखे से मैलवेयर को दूरस्थ रूप से इंजेक्ट किया जा सकता है।
- यह मौजूदा सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाकर पूरे नेटवर्क में फैल सकता है।
- रैंसमवेयर हमलों के साथ अन्य सामरिक उद्देश्यों के लिए भी संवेदनशील डेटा की चोरी की जा सकती है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. अमेरिकी सीनेट ने विदेश विभाग में वैश्विक महिला मुद्दों के राजदूत के पद हेतु एक भारतीय-अमेरिकी डॉ. गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया है।
2. भारतीय जोड़ी दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता।
3. जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे समय का पाबंद (Punctual) एयरपोर्ट बन गया है।
4. भारत के 50% गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण II के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया।
5. डीकार्बोनाइजेशन के लिए ऊर्जा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित की जाएगी।
6. 12 से 13 मई को ढाका में छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का छठा संस्करण इंडिया फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहयोग से आयोजित हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया।
7. बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।
8. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा दिया गया।
9. लेह में पांच दिवसीय उत्सव 'मोनलम चेनमो' शुरू हुआ। यह विश्व शांति और खुशहाली के लिए बौद्ध भिक्षुओं व भिक्षुणियों द्वारा पांच दिवसीय विशेष वार्षिक प्रार्थना महोत्सव है। कोविड के कारण पिछले तीन वर्ष से सामूहिक प्रार्थना का आयोजन नहीं हो सका था। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑल लद्दाख गोन्पा एसोसिएशन द्वारा किया गया है।
10. संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार, भारत उन 10 देशों की सूची में शीर्ष पर है, जो वैश्विक मातृ मृत्यु के 60 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं।
11. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 'पोषण भी, पढाई भी' योजना की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 से 6 साल तक के बच्चों को अब पोषण के साथ-साथ पढ़ाई भी कराई जाएगी।
12. शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हरित पत्तन दिशानिर्देश 2023 'हरित सागर' लॉन्च किया गया।
13. विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों दीपक कुमार, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशांत देव ने ऐतिहासिक तीन कांस्य पदक जीते।
14. गलत क्रेडिट कार्ड डेटा के लिए आरबीआई ने एचएसबीसी पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
15. पंजाब 'चलने के अधिकार' को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना।
16. 1 अगस्त से सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी होगी।
17. 42वां आसियान शिखर सम्मेलन औपचारिक रूप से 10-11 मई 2023 को इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में सम्पन्न हुआ।
18. सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों में भू-शासन के लिए एक टास्क फोर्स बनाएगी।
19. अमिताभ कांत की नई किताब 'मेड इन इंडिया: 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज' का विमोचन किया गया। अमिताभ कांत ने मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, Production Linked Incentive Scheme, आकांक्षी जिले, ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन आदि जैसी कई प्रमुख पहलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
20. पुलित्जर पुरस्कार 2023 यूक्रेन में युद्धकालीन कवरेज के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस को प्रदान किया गया। पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत हंगरी-अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर ने की थी। पुरस्कार पहली बार 1917 में प्रदान किए गए थे।
21. तेलंगाना सरकार द्वारा एक रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया गया है। इस पहल के तहत फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर (TRIC) स्थापित किया जाएगा। इसे राज्य में रोबोटिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु पेश किया गया है। यह देश में अपनी तरह की पहली नीति है।

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों?

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 को 8 अगस्त, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करता है। सरकार ने विधेयक को आगे की चर्चा के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया है।

विधेयक के उद्देश्य

- इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में विद्युत क्षेत्र को विनियमित करना है।
- यह क्रमशः अंतर-राज्यीय और अंत:राज्यीय विद्युत मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी और एसईआरसी) की स्थापना करता है।

मुख्य विशेषताएं

- एक ही क्षेत्र में कई डिस्कॉम।
- विद्युत खरीद और टैरिफ।
- क्रॉस-सब्सिडी बैलेंसिंग फंड।
- कई राज्यों में वितरण के लिए लाइसेंस।
- भुगतान सुरक्षा।
- आपूर्ति की विवेकपूर्ण लागत की वसूली।
- अनुबंध प्रवर्तन।
- अक्षय खरीद दायित्व।
- आयोगों और एपीटीईएल की संरचना।

विधेयक का विरोध

- कुछ विपक्षी दल बिल के खिलाफ हैं क्योंकि यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ जाता है और केंद्र के हाथों में अधिक शक्तियां देता है।
- प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के प्रावधान से अधिक संस्थाएं लाभप्रद शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती हैं, जबकि घाटे में चल रहे क्षेत्रों जैसे कि छोटे शहरों, कस्बों और गांवों की अनदेखी जारी रह सकती है।
- किसान चिंतित हैं कि इससे अंतत: विद्युत सब्सिडी समाप्त हो जाएगी।
- विद्युत क्षेत्र के कर्मचारी चिंतित हैं कि इससे वितरण क्षेत्र का निजीकरण होगा और कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- इस बात की भी चिंता है कि संशोधनों से केंद्र को नियामक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने पर अधिक शक्ति मिलेगी, जिससे राज्य की भूमिका कम हो जाएगी।
- यदि केंद्र राज्यों के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व का न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है, तो राज्यों की शक्तियां कम हो जाती हैं।

संशोधनों के लाभ

- बिल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देता है।
- संशोधनों का उद्देश्य विद्युत व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अत्यधिक विलंब को कम करना है।
- यह विद्युत क्षेत्र में अनुपालन तंत्र में और सुधार करता है।
- संशोधन नियामकों के कामकाज में सुधार और टैरिफ संशोधन को सुव्यवस्थित करने का भी प्रयास करते हैं।

लम्पी स्किन डिजीज

चर्चा में क्यों?

लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) का वर्तमान प्रकोप गुजरात और राजस्थान में जुलाई, 2022 में शुरू हुआ। इसके बाद यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और झारखंड तक फैल गया है।

क्या प्रसार को रोका जा सकता है?

- एलएसडी का सफल नियंत्रण और उन्मूलन शीघ्र पता लगाने पर निर्भर करता है, इसके बाद तेजी से और व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जाना चाहिए।
- पशु-शेडों को कीटाणु रहित करने के लिए कीटनाशकों और कीटाणुनाशक रसायनों का छिड़काव किया जाना चाहिए।
- संक्रमित मवेशियों को स्वस्थ पशुओ के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए तथा इलाज के लिए निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।
- राज्य सरकार को इस प्रकोप से निपटानें में तेजी लानी चाहिए ताकि बकरी पॉक्स के टीके का उपयोग करके बाकी स्वस्थ मवेशियों को टीका लगाया जा सके।

चुनौतियां

- मृत पशुओं का निपटान एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि शवों का अनुचित निराकरण स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है।
- शवों के उचित निपटान में परिसर का कीटाणुशोधन एवं उच्च तापमान पर शवों का अंतिम संस्कार भी शामिल हो सकता है।

मनुष्य को खतरा

- यह रोग जूनोटिक नहीं है अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है और मनुष्य इससे संक्रमित नहीं हो सकते हैं।
- संक्रमित जानवर द्वारा उत्पादित दूध उबालने या पाश्चुरीकरण के बाद मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में दूध में उपस्थित कोई भी वायरस नष्ट हो जाता है।

लम्पी स्किन डिजीज

- लम्पी स्किन डिजीज कैप्रीपॉक्स नामक वायरस के कारण होता है और यह वैश्विक-पशुधन के लिए एक उभरता हुआ खतरा है।
- यह आनुवंशिक रूप से गोटपॉक्स और शीपपॉक्स वायरस परिवार से जुड़ा है।
- यह पशुधन को रक्त पर निर्भर रहने वाले कीड़ों जैसे रोगवाहकों के माध्यम से संक्रमित करता है।

लक्षण

- प्रमुख लक्षणों में जानवर की त्वचा पर गांठ जैसी दिखने वाली गोलाकार, सख्त गांठों का पड़ना शामिल है।
- संक्रमित जानवर का वजन कम होने लगता है, दूध कम हो जाता है और बुखार और मुंह में घाव भी हो सकते हैं।
- अत्यधिक नाक और लार का स्राव अन्य लक्षण हैं।
- गर्भवती गायों और भैंसों को इस बीमारी के कारण गर्भपात हो सकता है और उनकी मृत्यु हो सकती है।

लम्पी स्किन डिजीज के प्रकोप का इतिहास

- यह रोग अधिकांश अफ्रीकी देशों में स्थानिक है। 2012 से मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व यूरोप और पश्चिम और मध्य एशिया में प्रकोप अधिक तेजी से हुआ है।
- 2019 से, एशिया में एलएसडी के कई प्रकोपों की सूचना मिली है।
- सितंबर 2020 में, महाराष्ट्र में वायरस का एक स्ट्रेन पाया गया। गुजरात में भी पिछले कुछ वर्षों में छिटपुट रूप से मामले सामने आए हैं।
- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के अनुसार, जिसका भारत एक सदस्य है, मृत्यु दर 1 से 5 प्रतिशत सामान्य मानी जाती है।

पीएम श्री स्कूल

चर्चा में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के लिए देश भर से लगभग 9,000 स्कूलों को चुना है। संस्थानों को 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में से चुना गया है।

पीएम श्री स्कूलों के बारे में

- यह देश भर के 14500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित करने के लिए एक नई योजना है।
- पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेंगे।
- पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे।
- इन स्कूल का उद्देश्य 21 वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण-विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करना है।
- पीएम श्री स्कूलों की योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
- परियोजना की कुल लागत 27360 करोड़ रुपये है, जिसमें वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 18128 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

लाभार्थी

इस योजना से 18 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा पीएम श्री स्कूलों के आसपास के स्कूलों पर भी मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से प्रभाव पड़ेगा।

प्रमुख विशेषताएं

- पीएम श्री स्कूल एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे।
- यह विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों और बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखेगी।
- यह एनईपी 2020 के विजन के अनुरूप उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएगी।
- निम्नलिखित पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं को शामिल करते हुए पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा:
  - सौर पैनल और एलईडी लाइट।
  - प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान।
  - अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त।
  - जल संरक्षण और जल संचयन।
  - पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं/ प्रथाओं का अध्ययन।
  - जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैकथॉन।
  - सतत जीवन शैली को अपनाने के लिए जागरूकता।
- इन स्कूलों में अपनाए गए शिक्षाशास्त्र की विशेषता होगी:
  - अधिक प्रयोगात्मक, समग्र
  - एकीकृत, खेल/खिलौना आधारित (विशेषकर, प्राथमिक वर्षों में)
  - उत्सुकता आधारित, खोज-उन्मुख,
  - शिक्षार्थी-केंद्रित, चर्चा-आधारित
  - लचीला और मनोरंजक

पीएम श्री स्कूल द्वारा गुणवत्ता आश्वासन

- एनईपी 2020 का प्रदर्शन।
- नामांकन और सीखने की प्रक्रिया में प्रगति पर निगरानी के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्री।
- प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर में सुधार करके राज्य और राष्ट्रीय औसत से ऊपर के स्तर को प्राप्त करना।
- मध्यम श्रेणी के प्रत्येक छात्र, अत्याधुनिक और 21वीं सदी के कौशल से अवगत/उन्मुख।
- माध्यमिक कक्षा का प्रत्येक छात्र कम से कम एक कौशल के साथ उत्तीर्ण हो।
- हर बच्चे के लिए खेल, कला, आईसीटी।
- इन स्कूलों को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवंत स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- गुणवत्ता और नवाचार।
- आरटीई अधिनियम के तहत लाभार्थी उन्मुख पात्रता वाले 100% पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान और गणित के किट मिलेंगे।
- वार्षिक स्कूल अनुदान।
- छात्रों के लिए प्रस्तावित विषयों के चयन में लचीले रुख को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा की बाधाओं को पाटने में मदद करने के लिए तकनीकी उपायों का उपयोग करते हुए मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करना।
- मौजूदा अवसंरचना को मजबूत करना।
- ग्रीन स्कूल पहल।

लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स 2023

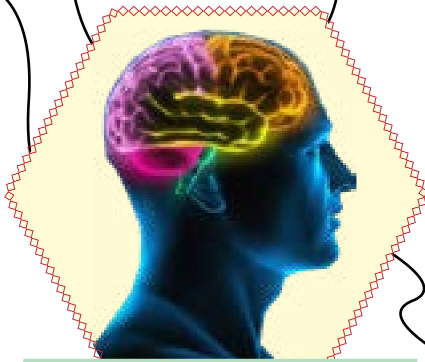

चर्चा में क्यों?

लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीआई 2023) के 7वें संस्करण में भारत ने विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में 6 स्थान की छलांग लगाकर 139 देशों में 38वें स्थान पर पहुंच गया है।

लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास में सरकार की भूमिका

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति:

- सरकार ने राष्ट्रीय रसद नीति जारी करने की योजना बनाई है।
- प्रस्तावित नीति का उद्देश्य एक एकीकृत, सहज, प्रभावी, भरोसेमंद, हरित, टिकाऊ और लागत-कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की स्थापना करके देश की अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है जो सर्वोत्तम-इन-क्लास उपकरण, प्रक्रियाओं और योग्य कर्मियों का उपयोग करे ।
- नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 9-10% पर लाना है।
- रणनीति के अंतर्गत सिंगल-विंडो ई-लॉजिस्टिक्स बाजार की स्थापना की जाएगी और एमएसएमई के लिए विकासशील कौशल, प्रतिस्पर्धा और रोजगार पर जोर देगी।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून:

- एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून का मसौदा तैयार किया गया है और इस पर परामर्श किया जा रहा है। एक राष्ट्र, एक अनुबंध के प्रतिमान के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचे के माध्यम से, यह एक राष्ट्र, एक बाजार के उद्देश्य का समर्थन करेगा और एक लचीला नियामक वातावरण प्रदान करेगा।

लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान:

- यह पहल उन कार्यों में है जो एक उद्योग दृष्टिकोण के विपरीत एक भौगोलिक रणनीति अपनाती है।
- इंटरमोडल और/या मल्टीमॉडल परिवहन के मिश्रण का विस्तार करने के लिए कई परियोजनाओं और गतिविधियों को योजना में एकीकृत किया जाएगा। भविष्य में समस्याओं को रोकने के लिए प्रासंगिक बुनियादी ढांचे (गैस और उपयोगिता पाइपलाइनों, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क) के समन्वित निर्माण की योजना बनाई गई है। .

राष्ट्रीय मल्टीमॉडल सुविधाएं और भंडारण:

- सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के एक अलग वर्ग के रूप में इंटरमॉडल और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs) को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।
- इसके अलावा, सरकार ने कुछ मानकों और दिशानिर्देशों को तैयार करना शुरू कर दिया है, जिन्हें वेयरहाउसिंग के विकास के लिए लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कार्यबल रणनीति:

- रसद क्षेत्र में पेशेवरों के एकीकृत कौशल विकास के लिए, सरकार एक राष्ट्रीय रसद कार्यबल रणनीति विकसित कर रही है।

एलपीआई के बारे में

- यह एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार रसद पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए बनाया गया है तथा किन चुनौतियों को दूर कर वे अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं।
- विश्लेषण के 6 घटक निम्न हैं:
  - सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन निकासी की दक्षता।
  - व्यापार की गुणवत्ता और परिवहन-संबंधी बुनियादी ढाँचा।
  - प्रतिस्पर्धात्मक कीमत वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट की व्यवस्था करने में आसानी।
  - रसद सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता।
  - खेप को ट्रैक और ट्रेस करने की क्षमता।
  - आवृत्ति जिसके साथ शिपमेंट निर्धारित डिलीवरी समय के भीतर ग्राहक तक पहुंचता है।

लॉजिस्टिक्स सेक्टर

लॉजिस्टिक्स उद्योग में सभी आपूर्ति शृंखला गतिविधियाँ शामिल हैं, मुख्य रूप से परिवहन, सूची प्रबंधन, सूचना का प्रवाह और ग्राहक सेवा। रसद की प्रभावशीलता उस क्षमता की डिग्री निर्धारित करने में मदद करती है जो उद्यम और मांग में सामंजस्य रख सके।

मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स (MiCA) रेगुलेशन

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय संसद द्वारा 20 अप्रैल, 2023 को मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स (MiCA) रेगुलेशन को अपनाया गया है।

MiCA के बारे में

मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स (MiCA) रेगुलेशन ईयू विनियमन है जो क्रिप्टो संपत्तियों से संबंधित सेवाओं के जारी करने और प्रावधान को नियंत्रित करता है। MiCA दुनिया में अपनी तरह का पहला और एकमात्र कानून है और अन्य न्याय सीमा क्षेत्रों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। MiCA 2024 के मध्य और 2025 की शुरुआत के बीच लागू किया जायेगा।

उद्देश्य

- क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए एक ठोस कानूनी ढांचा स्थापित करके कानूनी निश्चितता सुनिश्चित करना जो मौजूदा वित्तीय सेवा कानून द्वारा कवर नहीं हैं।
- एक सुरक्षित और समानुपातिक ढांचे की स्थापना करके क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करना।
- क्रिप्टो-परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं, निवेशकों और बाजार की अखंडता की रक्षा करना।
- वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों को दूर करने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करने के साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।

भारत में क्रिप्टो विनियमन

- क्रिप्टो संपत्तियों के लिए भारत के पास अभी तक एक व्यापक नियामक ढांचा नहीं है। एक मसौदा कानून बनाने पर काम किया जा रहा है।
- भारत सरकार ने विशिष्ट प्राधिकरणों और कराधान के दायरे में क्रिप्टोकरेंसी को लाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं।
- इस साल मार्च में, सरकार ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से जुड़े सभी लेन-देन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में रखा।
- भारत अभी G20 समूह का अध्यक्ष है एवं आम सहमति बनाने पर काम कर रहा है, ताकि क्रिप्टो संपत्तियों पर विश्व स्तर पर समन्वित नीति प्रतिक्रिया हो जो उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जोखिमों की पूरी शृंखला को ध्यान में रखे।

प्रतिक्रिया

- व्यापक विचार यह है कि कोई नियम न होने और स्पष्टता के बिना, प्रत्येक केस के आधार पर नियामक कार्यवाही की तुलना में, एक नियामक ढांचा होना बेहतर है।
- चूंकि MiCA के विकास में तीन साल हो गए हैं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिप्टो उद्योग में नई कमजोरियों को कवर करने में विनियमन पहले से ही कमजोर है।

MiCA के तहत क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के जारीकर्ताओं के लिए दायित्व

- प्रॉस्पेक्टस विनियमन के तहत प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस के साथ कुछ समानता वाले श्वेतपत्र का प्रकाशन।
- क्रिप्टो-संपत्ति जारी करने के लिए अधिकृत होने की आवश्यकता।
- क्रिप्टो-संपत्ति का विपणन करते समय कुछ विवेकपूर्ण नियमों का अनुपालन।
- संघर्ष प्रबंधन और सुरक्षा एक्सेस प्रोटोकॉल की रोकथाम या रखरखाव के संबंध में, ईमानदारी से, निष्पक्ष और पेशेवर रूप से क्रिप्टो-एसेट धारकों के साथ कार्य करने का दायित्व।

भूजल सेंसर का नेटवर्क

चर्चा में क्यों?

जल शक्ति मंत्रालय भूजल सेंसर के एक विशाल नेटवर्क को तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है जो भारत में भूजल की गुणवत्ता और प्रदूषण के स्तर को लगातार मापेगा।

वर्तमान निगरानी प्रणाली और इसकी सीमाएँ

- केंद्रीय भूजल बोर्ड वर्तमान में लगभग 26,000 भूजल अवलोकन कुओं के नेटवर्क पर निर्भर है, जिन्हें तकनीशियनों द्वारा वर्ष में कुछ बार मैन्युअली मापा जाता है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के माध्यम से सूचना का संचार किया जाता है।
- इस प्रणाली की सीमाएँ हैं क्योंकि यह केवल एक निश्चित समय पर भूजल स्तर और गुणवत्ता का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है।

डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर

- नई पहल के तहत, लगभग 16,000–17,000 डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर को कुओं में पीजोमीटर से जोड़ा जाएगा।
- पीजोमीटर भूजल स्तर को मापते हैं, और रिकॉर्डर डिजिटल रूप से सूचना प्रसारित करते हैं।
- केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में अपने नेटवर्क को मौजूदा 26,000 से बढ़ाकर लगभग 40,000 करना है।
- अन्य संस्थानों के, समान नेटवर्क के साथ संयुक्त होने पर, भारत में भूजल गतिशीलता की निगरानी के लिए लगभग 67,000 डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने योग्य इकाइयां होंगी।

वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की क्या आवश्यकता है?

- हमारी मांगों को पूरा करने के लिए सतही जल की अपर्याप्तता को दूर करना।
- भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए।
- विशिष्ट स्थान और समय पर भूजल की उपलब्धता को बढ़ाना और सतत विकास के लिए वर्षा जल का उपयोग करना।
- अवमृदा में वर्षा जल के संचरण को बढ़ाना जो शहरी क्षेत्रों में खुले क्षेत्र की कमी के कारण काफी कम हो गया है।
- तनुकरण द्वारा भूजल की गुणवत्ता में सुधार करना।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।
- वनस्पति आवरण आदि में वृद्धि करके क्षेत्र की पारिस्थितिकी में सुधार करना।

भारत में भूजल की कमी के कारण

- **हरित क्रांति:** जबकि भूजल आधारित सिंचाई के विस्तार ने भारत की एक बड़ी आबादी की बढ़ती खाद्य मांगों को पूरा करने में मदद की, इसके परिणामस्वरूप कई पर्यावरणीय प्रभाव हुए हैं।
- **सिंचाई के लिए भूजल पम्पिंग:** यह भूजल की कमी का प्राथमिक कारण बना हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन के तहत भारत में खाद्य और जल सुरक्षा को और प्रभावित कर सकता है।
- **अकुअफिएर्स से भूजल पंप करना:** जल अकुअफिएर्स के रूप में जानी जाने वाली संतृप्त चट्टानों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहता है। अकुअफिएर्स भूमिगत जल भंडार हैं जो पानी को अवशोषित करते हैं और इसे धारण करते हैं, जिससे हम इसे उपयोग के लिए पंप कर सकते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** भूजल में कमी लाने वाली गतिविधियाँ ज्यादातर मनुष्यों से आती हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा हमारी जलवायु में परिवर्तन से भी आता है और इस प्रक्रिया को गति दे सकता है।

भूजल संरक्षण के लिए पहल

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)
- जल शक्ति अभियान
- राष्ट्रीय जल नीति
- अटल भूजल योजना
- राष्ट्रीय अकुअफिएर्स मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)

भारत की "लुक वेस्ट" एप्रोच

चर्चा में क्यों?

भारत के एनएसए और अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के उनके समकक्षों के बीच हाल की बैठक पश्चिम एशिया पर भारत की रणनीति को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करती है।

चुनौतियां और बाधाएं

- अवसरों के बावजूद, पाकिस्तान के साथ तनाव पूर्ण संबंधों के कारण पश्चिम एशिया के साथ भूमि संपर्क भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है।
- रूस, चीन और पश्चिम के साथ संबंधों को संतुलित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य जारी रहेगा क्योंकि भारत विविध साझेदारों के साथ परियोजनाओं में संलग्न है।

अन्य जानकारी

- हाल की घटनाओं, जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति संधि में चीन की भागीदारी, ने घटती अमेरिकी भूमिका और इस क्षेत्र में बीजिंग-मास्को की बढ़ती उपस्थिति को उजागर किया है।
- यह बैठक हिन्द-प्रशांत रणनीति के समान पश्चिम में भारत की भागीदारी के लिए एक व्यापक, एकीकृत दृष्टिकोण का प्रतीक है।

संतुलनकारी कार्य

- भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए चीन का मुकाबला करने के लिए हिन्द-प्रशांत समुद्री क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया था।
- मालाबार अभ्यास और क्वाड जैसी पहलों ने राजनयिक विकल्पों को सीमित किए बिना अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी को मजबूत किया है।
- 'लुक वेस्ट' एप्रोच (LWA) का उद्देश्य पश्चिम एशिया में लुक ईस्ट नीति की सफलता को दोहराना है।

LWA का महत्त्व

आर्थिक एकीकरण:

- LWA का उद्देश्य भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना है।
- यह व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी।

ऊर्जा सुरक्षा:

- पश्चिम एशिया अपने प्रचुर मात्रा में तेल और गैस भंडार के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।
- यह भारत को ऊर्जा की स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए, ऊर्जा क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

बुनियादी ढांचे का विकास:

- यह पहल पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच रेल नेटवर्क, सड़कों और समुद्री लेन के माध्यम से संपर्क बनाने पर केंद्रित है।

चीन के प्रभाव का प्रतिकार:

- चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार किया है।
- भारत का LWA चीन की बढ़ती उपस्थिति के प्रतिसंतुलन के रूप में कार्य करता है, जो कनेक्टिविटी और विकास के वैकल्पिक मॉडल की पेशकश करता है।

राजनयिक भागीदारी:

- पश्चिम एशिया के देशों के साथ जुड़कर, भारत अपने राजनयिक संबंधों को बढ़ा सकता है और क्षेत्र में सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान-प्रदान:

- LWA भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देगा।
- इससे एक-दूसरे की संस्कृतियों की बेहतर समझ पैदा होगी और लोगों के बीच संबंध मजबूत होगें।

सुरक्षा सहयोग:

- सुरक्षा सहयोग में संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद विरोधी प्रयास शामिल हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में योगदान करते हैं।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ''त्वरित वित्तीयन प्रपत्र *(Rapid Financing Instrument)*'' और ''त्वरित ऋण सुविधा *(Rapid Credit Facility)*'', निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित हैं?

(a) एशियाई विकास बैंक

(b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल

(d) विश्व बैंक

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंकित प्रभावी विनिमय दर [Nominal Effective Exchange Rate (NEER)] में वृद्धि रुपए की मूल्यवृद्धि को दर्शाता है।
2. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर [(Real Effective Exchange Rate (REER)] में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है।
3. अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER और REER के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. ''जी20 कॉमन फ्रेमवर्क'' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह जी20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है।
2. यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ''मुद्रास्फीति-सहलग्न बॉन्ड *[Inflation-Indexed Bonds (IIBs)]*'' के क्या लाभ हैं?

1. सरकार IIBs के रूप में अपने ऋणग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है।
2. IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
3. IIBs पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूँजीगत लाभ कर-योग्य नहीं होते।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. निम्नलिखित में कौन-कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक (रियल सेक्टर) का निर्माण करते हैं?

1. किसानों का अपनी फसलें काटना
2. कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना
3. किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना
4. किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया-अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

6. भारत के सन्दर्भ में हाल ही में जनसंचार-माध्यमों में अक्सर चर्चित ''अप्रत्यक्ष अंतरण'' को निम्नलिखित में कौन-सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है?

(a) कोई भारतीय कंपनी, जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो।

(b) कोई विदेशी कंपनी, जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो।

(c) कोई भारतीय कंपनी, जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है

(d) कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है।
2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें।
3. संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा और राज्य सभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री, में

वर्गीकृत करता है।

2. संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधान मंत्री को मिला कर, लोक सभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. निम्नलिखित में कौन-सी लोक सभा की अनन्य शक्ति(याँ) है/हैं?

1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना
2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) केवल 3

10. भारत में दल-बदल विरोधी कानून के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के छह मास के अन्दर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।
2. यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अन्दर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल मामला विनिश्चित करना होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

11. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोकसभा के कार्य-पद्धति और कार्य-संचालन नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे।
2. यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से, या शासक दल से, होगा।
3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती।
4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधान मंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) 1, 2 और 3
(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 2 और 4

12. निम्नलिखित फसलों में कौन-सी एक, मेथैन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है?

(a) कपास (b) धान
(c) गन्ना (d) गेहूँ

13. पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन-सी एक, सूख कर मरुस्थल में बदल गई है?

(a) लेक विक्टोरिया (b) लेक फागुबिन
(c) लेक ओगुटा (d)लेक वोल्टा

14. अक्सर समाचारों में सुनवाई देने वाला शब्द ''लिवैंट'' मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है?

(a) पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के पास का क्षेत्र
(b) उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र
(c) फारस की खाड़ी और अफ्रीका के शृंग (हॉर्न ऑफ अफ्रीका) के पास का क्षेत्र
(d) भूमध्य सागर के सम्पूर्ण तटवर्ती क्षेत्र

15. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए:

1. अज़रबैजान 2. किरगिज़स्तान
3. ताजिकिस्तान 4. तुर्कमेनिस्तान
5. उज़्बेकिस्तान

उपर्युक्त में से किनकी सीमाएँ अफगानिस्तान के साथ लगती हैं?

(a) केवल 1, 2 और 5 (b) केवल 1, 2, 3 और 4
(c) केवल 3, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

16. भारत के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मोनाज़ाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है।
2. मोनाज़ाइट में थोरियम होता है।
3. भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाज़ाइट प्राकृतिक रूप में होता है।
4. भारत में, केवल सरकारी निकाय ही मोनाज़ाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

17. वेब 3.0 के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं।
2. वेब 3.0 संसार में, ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं।
3. वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

18. ''सॉफ्टवेयर, सेवा के रूप में *[Software as a Service (SaaS)]*'' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. SaaS क्रयकर्ता, प्रयोक्ता अन्तरापृष्ठ को अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं।
2. SaaS प्रयोक्ता, अपनी चल युक्तियों (मोबाइल डिवाइसेज़) के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुँच बना सकते हैं।
3. आउटलुक, हॉटमेल और याहू! मेल SaaS के रूप हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

19. ''क्यूबिट *(qubit)*'' शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में कौन-से एक प्रसंग में होता है?
(a) क्लाउड सेवाएँ
(b) क्वांटम संगणन
(c) दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियाँ
(a) बेतार संचार प्रौद्योगिकियाँ

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैवपरत (बायोफिल्म) मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती हैं।
2. जैवपरत खाद्यपदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती हैं।
3. जैवपरत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

21. यदि कोई मुख्य सौर तूफान (सौर प्रज्वाल) पृथ्वी पर पहुँचता है, तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन-से संभव प्रभाव होंगे?
1. GPS और दिक्संचालन (नैविगेशन) प्रणालियाँ विफल हो सकती हैं।
2. विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियाँ आ सकती हैं।
3. बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
4. पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती हैं।
5. ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियाँ घटित हो सकती हैं।
6. उपग्रहों की कक्षाएँ विक्षुब्ध हो सकती हैं।
7. ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघुतरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1, 2, 4 और 5
(b) केवल 2, 3, 5, 6 और 7
(c) केवल 1, 3, 4, 6 और 7
(d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ''जलवायु समूह (दि क्लाइमेट ग्रुप)'' एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बना कर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल "EP100" प्रारंभ की।
3. EP100, ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है।
4. कुछ भारतीय कंपनियाँ EP100 की सदस्य हैं।
5. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ''अंडर2 कोएलिशन'' का सचिवालय है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
(a) 1, 2, 4 और 5 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

23. ''मियावाकी पद्धति'' किसके लिए विख्यात है?
(a) शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन
(b) आनुवंशिकत: रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास
(c) शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन
(d) तटीय क्षेत्रों में समुदी सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण

24. मध्यकालीन भारत में, शब्द ''फणम'' किसे निर्दिष्ट करता था?
(a) पहनावा (b) सिक्के
(c) आभूषण (d) हथियार

25. क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा में प्रांतीय विधान-सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे।
2. नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

26. 'राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट)' स्कीम को क्रियान्वित करने का/के क्या लाभ है/हैं?
1. यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व-भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।
2. यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
2. भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 'अक्षमता' और 'सिद्ध कदाचार' को गठित करते हैं।
3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं।
4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 3 और 4 (d) 1, 3. और 4

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में किया गया था।
2. वर्तमान में, कोयला खंडों का आबंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है।
3. भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किन्तु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को 'लाभ का पद' के आधार पर निरर्हता से छूट देता है।
2. उपर्युक्त अधिनियम पाँच बार संशोधित किया गया था।
3. शब्द 'लाभ का पद' भारत के संविधान में भली भाँति परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

30. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है/हैं?

1. इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है।
2. वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

31. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

1. राधाकांत देब : ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष
2. गजुलु लक्ष्मीनरसु चेट्टी : मद्रास महाजन सभा के संस्थापक
3. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी : इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

32. भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है।

(a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
(b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।
(c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।
(d) कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते।

33. भारत के किसी राज्य की विधान सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है।
2. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, तो उस विषय पर वह लोक सभा के नियम का पालन करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

34. 'एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (यूनिफाइड पेमेंट्स इन्टरफेस/UPI)' को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है?

(a) ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वालेट आवश्यक नहीं होंगे।
(b) लगभग दो दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी।
(c) FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी।
(d) निर्धन व्यक्तियों को उपदानों (सब्सिडीज) का प्रत्यक्ष अंतरण (डाइरेक्ट ट्रांसफर) बहुत प्रभावकारी हो जाएगा।

35. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है?
(a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे।
(b) ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे।
(c) इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं।
(d) अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट, किसी अन्य जिले में न ले जाया जाए।

36. कभी-कभी समाचारों में 'इवेंट होराइजन', 'सिंगुलैरिटी', 'स्ट्रिंग थियरी' और 'स्टैण्डर्ड मॉडल' जैसे शब्द, किस सन्दर्भ में आते हैं?
(a) ब्रह्माण्ड का प्रेक्षण और बोध
(b) सूर्य और चन्द्र ग्रहणों का अध्ययन
(c) पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन
(d) पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास

37. भारत के संदर्भ में, मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस/किन कारक/कारकों का योगदान है?
1. भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का
2. सरकारी व्यय के बढ़ने का
3. विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

38. यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अन्दर कम-से-कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा?
(a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 9

39. भारत की संसद किसके / किनके द्वारा मंत्रिपरिषद् के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है?
1. स्थगन प्रस्ताव
2. प्रश्न काल
3. अनुपूरक प्रश्न

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

40. भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत् आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते/करती हैं?
1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ।
2. संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ
3. वित्त आयोग
4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
5. नीति (NITI) आयोग

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) 1 और 2 (b) 1, 3 और 4
(c) 3, 4 और 5 (d) 2 और 5

41. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूँजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया।
2. चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया।
3. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, पहली बार, वित्तीय क्षेत्रक को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

42. भारत के धार्मिक इतिहास के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. सौत्रान्तिक और सम्मितीय जैन मत के सम्प्रदाय थे।
2. सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि द्रग्विषय (फिनोमिना) के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

43. संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, LTE (लॉन्ग-टर्म इवॉल्यूशन) और VoLTE (वॉइस ओवर लॉन्ग-टर्म इवॉल्यूशन) के बीच क्या अंतर है/हैं?
1. LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है।
2. LTE डेटा-ओन्लि तकनीक है और VoLTE वॉइस-ओन्लि तकनीक है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

44. किसी भी देश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूँजी (सोशल कैपिटल) के भाग के रूप में समझा जाएगा?
(a) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात
(b) इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक
(c) कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप

(d) समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर

45. भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

46. भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय **नहीं** है?

(a) गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन
(b) भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्यवर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना
(c) विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना
(d) एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना

47. भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित 'इंडियन ओशन डाइपोल (IOD)' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

1. IOD परिघटना, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर-पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है।
2. IOD परिघटना मानसून पर एल-नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

48. मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. संवर्धित वास्तविकता [ऑगमेंटेड रिएलिटि (AR)] में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है।
2. आभासी वास्तविकता [वर्चुअल रिएलिटि (VR)] में कम्प्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं।
3. AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्ट-फोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है।
4. VR संसार को पृथक् कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) 3 और 4
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 4

49. विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही **नहीं** है?

(a) विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं।
(b) प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं।
(c) किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर, प्रयोगशाला में, प्रतिकृत कराया जा सकता है।
(d) पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है।

50. कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड (ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड/OLED) का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श (डिजिटल डिस्प्ले) सर्जित करने के लिए किया जाता है । द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों (LCDs) की तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी हैं?

1. OLED प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संविरचित किए जा सकते हैं।
2. OLED के प्रयोग से, वस्त्र में अंत:स्थापित उपरिवेल्लनीय प्रदर्श (रोल्ड-अप डिस्प्ले) बनाए जा सकते हैं।
3. OLED के प्रयोग से, पारदर्शी प्रदर्श संभव हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) 1, 2 और 3
(d) उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है

उत्तर

1.	(b)	14.	(a)	27.	(c)	40.	(a)
2.	(c)	15.	(c)	28.	(a)	41.	(a)
3.	(c)	16.	(b)	29.	(a)	42.	(b)
4.	(a)	17.	(d)	30.	(d)	43.	(d)
5.	(a)	18.	(d)	31.	(b)	44.	(d)
6.	(d)	19.	(b)	32.	(b)	45.	(d)
7.	(b)	20.	(d)	33.	(a)	46.	(d)
8.	(b)	21.	(c)	34.	(a)	47.	(b)
9.	(b)	22.	(b)	35.	(c)	48.	(b)
10.	(b)	23.	(c)	36.	(a)	49.	(a)
11.	(a)	24.	(b)	37.	(b)	50.	(c)
12.	(b)	25.	(b)	38.	(b)		
13.	(b)	26.	(c)	39.	(d)		

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ब्लूबगिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह हैकिंग का एक रूप है जो हमलावरों को खोज योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस तक पहुंच प्रदान करता है।

2. हमलावर को ब्लूबगिंग हमले के लिए लक्षित डिवाइस (आमतौर पर 10 मीटर के भीतर) के करीब होना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

2. आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एआईएमई-2023 भारत-आसियान के साथ पहला समुद्री अभ्यास है। हालांकि भारत का आसियान देशों के साथ अलग-अलग अभ्यास होते रहे हैं।

2. रूस, चीन और अमेरिका के बाद आसियान+1 समुद्री अभ्यास आयोजित करने वाला भारत चौथा देश बन गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर - C

3. तलाक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा-13बी में 'आपसी सहमति से तलाक' का प्रावधान है

2. अधिनियम की धारा-13बी(2) के तहत, तलाक देने से पहले, छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा का उद्देश्य दोनों पक्षों को अपनी दलील वापस लेने का समय देना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- D

4. स्मार्ट सिटीज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।

2. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा जून 2023 से बढ़ाकर जून 2024 कर दी है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

5. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. सूचकांक में शीर्ष तीन देश नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क हैं, जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर हैं।

3. भारत 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 11 पायदान गिरकर 161वें स्थान पर आ गया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A- 1, 2 B- 2, 3

C- 1, 3 D- 1, 2, 3

उत्तर- D

6. जापान द्वारा अपनी नई महासागर नीति में उद्धृत मुख्य खतरे क्या हैं?

1. चीनी तट रक्षक जहाजों का जापानी क्षेत्रीय जल में बार-बार घुसपैठ करना।

2. जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर 'विदेशी सर्वेक्षण नौकाओं' द्वारा अनधिकृत समुद्री गतिविधि का बढ़ना।

3. चीन और रूस द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाना और उत्तर कोरिया द्वारा बार-बार मिसाइल लॉन्च करना।

दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A- 1, 2 B- 2, 3

C- 1, 3 D- 1, 2, 3

उत्तर- D

7. बी-रेडी रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह सालाना दुनिया भर में कारोबार और निवेश के माहौल का आंकलन करेगी।

2. बी-रेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करता है।

3. इसे विश्व बैंक द्वारा 2024 में प्रकाशित किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A- 1, 2 B- 2, 3

C- 1, 3 D- 1, 2, 3

उत्तर- D

8. तलाक-ए-हसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. तलाक-ए-हसन तलाक की प्रथा है जिसका कुरान में स्पष्ट उल्लेख है।

2. तलाक-ए-हसन का उच्चारण कम से कम एक महीने या एक मासिक धर्म के अंतराल के साथ किया जाता है।

3. जब महिला मासिक धर्म या गर्भावस्था से गुजर रही हो तो तलाक नहीं दिया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

A- 1, 2 B- 2, 3

C- 1, 3 D- 1, 2, 3

उत्तर- D

9. निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?

1. डी-डॉलरीकरण वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अन्य मुद्राओं द्वारा यू.एस. डॉलर के प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है।

2. एक आरक्षित मुद्रा उस मुद्रा को संदर्भित करती है जो व्यापक रूप से सीमा पार लेनदेन में उपयोग की जाती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार के रूप में रखी जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

10. राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. नई राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में आयात निर्भरता को लगभग 30% तक कम करना और भारत को शीर्ष पांच वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाना है।

2. भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र आयात पर अत्यधिक निर्भर है, लगभग 80-85% उपकरणों का आयात किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना का शुभारंभ किया।

2. यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ के ऋण और अग्रिम के लिए गारंटी प्रदान करेगी।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

12. मैतई जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. मैतई जनजाति मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है।

2. वे मैतई भाषा (जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है) भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक और मणिपुर राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा बोलते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य नहीं है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- D

13. PRET पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने COVID-19 महामारी के समान भविष्य के प्रकोपों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने के लिए PRET पहल शुरू की है।

2. इस पहल की घोषणा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित ग्लोबल मीटिंग फॉर फ्यूचर रेस्पिरेटरी पैथोजन बैठक में की गई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

14. बिहान मेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. बिहान मेले में स्वदेशी बीजों का संग्रह और संरक्षण शामिल है, इस पहल में दशपल्ला ब्लॉक के 40 गांवों के किसान उत्सव में भाग लेते हैं।

2. बिहान मेला सामुदायिक लचीलापन बनाने और स्थानीय खाद्य प्रणालियों का समर्थन करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

15. SUPREME पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, मौजूदा एआईएफ की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मरम्मत, उन्नयन, रखरखाव, रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2. इस पहल में समर्थन की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

16. जीरो शैडो डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु के लिए एक वर्ष में दो जीरो शैडो डे होते हैं।

2. वे सभी स्थान जिनका अक्षांश उस दिन सूर्य के स्थान और भूमध्य रेखा के बीच के कोण के बराबर होता है, शून्य छाया दिवस का अनुभव करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A- 1 केवल B- 2 केवल

C- 1 और 2 दोनों D- न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

व्यक्तित्व

विनायक दामोदर सावरकर

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 20 मई, 1883 को महाराष्ट्र के भागुर ग्राम (नासिक जिला) में हुआ था। इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। सावरकर की शिक्षा देश और विदेश (लंदन) दोनों जगह हुई थी। 1904 में सावरकर ने पूना में अभिनव भारत सभा की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी (Free India Society) की भी स्थापना की थी। इंडिया हाउस (India House) नामक राष्ट्रवादी संस्था से भी सावरकर जुड़े हुए थे। 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में सर विलियम कर्जन वायली की हत्या की गयी। इस हत्या के तार सावरकर से जोड़े गये क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि हत्या में प्रयोग की गयी पिस्तौल सावरकर ने उपलब्ध करायी थी। अत: उपर्युक्त हत्या, नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या, इंडिया हाउस संस्था से जुड़े होने इत्यादि के आरोप में विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलूलर जेल भेज दिया गया। हालाँकि 1921 में ब्रिटिश सत्ता ने एक समझौते के तहत सावरकर को रिहा कर दिया। इस समझौते में था कि 1937 ई. तक राजनीतिक रूप से नजरबन्द रहेंगे और किसी भी प्रकार की राष्ट्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। सावरकर का निधन स्वतंत्र भारत में 26 फरवरी, 1966 को मुम्बई में हुआ था।

सावरकर का योगदान:

विनायक दामोदर सावरकर अपने कई भाषण और लेखों में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का उदाहरण देते थे क्योंकि सावरकर, अम्बेडकर के निचले तबके के लोगों के उत्थान और समाज में उनके अन्य योगदान से काफी प्रभावित थे।

इसीलिए कई इतिहासकारों का कहना है कि (अम्बेडकर मेहर समुदाय) और सावरकर (ब्राह्मण) दोनों ही जातिवाद के चरम वर्ग (extreme section) से आते थे किन्तु विचारधारा के मामले में दोनों ही राष्ट्रवादी नेता काफी समानताएँ रखते थे। सावरकर चाहते थे कि तत्कालीन भारतीय समाज में सुधार आये। इसीलिए 1920 में उन्होंने अपने भाई नारायण राव को पत्र लिखा और उसमें कहा कि जितने संघर्ष की आवश्यकता औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध है, उतने ही संघर्ष की आवश्यकता जातिगत भेदभाव व छूआछूत के विरुद्ध भी है।

सावरकर अंग्रेजों के 'श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धान्त' (White Man's Burdenship Theory) के विरुद्ध थे। उन्होंने इतिहास को प्रमाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया और भारतीयों में विश्वास जगाने का प्रयास किया अर्थात् उन्होंने भारतीय इतिहास को उजागर किया ताकि जनता अपने अतीत को जाने और उनकी चेतना में जागृति आये। उनका विश्वास था कि जब एकबार जन जागृति आ जायेगी तो अंग्रेजों द्वारा फैलाये जा रहे झूठ का जनता आसानी से सामना कर पायेगी और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगी।

वीर सावरकर धार्मिक रीति-रिवाजों में वैज्ञानिकता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि धार्मिक प्रथाओं को वैज्ञानिक सोच व तार्किकता के साथ जरूर देखना चाहिए। सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी थे जिन्होंने सर्वप्रथम बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक (1904-05 के आस-पास) में स्वराज की बात की। जबकि कांग्रेस ने काफी समय बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज की बात की। सावरकर एक संयुक्त भारत के पक्षधर थे। वह चाहते थे कि अलग-अलग संस्कृति के लोग मिल-जुलकर रहें और एक ऐसा भारत निर्मित हो जो समावेशी व गतिशील हो। सावरकर ने इस बात पर भी बल दिया था कि हमें यूरोपीय समाज से सीखना चाहिए तथा उनकी तरह प्रौद्योगिकी पर बल प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सावरकर अन्वेषण व नवीन विचारों को भी समर्थन देते थे। सावरकर की भारतीय सिनेमा के प्रति फ्यूचरिस्टिक एप्रोच (futuristic approach) काफी सराहनीय थी।

सन् 1907 में लंदन में सावरकर ने 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनायी। सावरकर ने अपनी पुस्तक 'इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, 1857' के द्वारा यह स्थापित किया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार 1857 की क्रांति को सेना द्वारा एक विद्रोह मानती थी। भारत में राष्ट्रवाद की क्रांति जगाने वालों में सावरकर प्रारम्भिक क्रांतिकारी थे। सावरकर की पुस्तक (इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल) क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणास्रोत थी। सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, लेखक, प्रखर चिन्तक, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता थे जिन्होंने भारतीयों को हीन भावना से बाहर निकालने में अतुलनीय योगदान दिया।

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION
A unit of ध्येयIAS®
most trusted since 2003

अपना यूपी अपना गौरव

UP-PCS मुख्य परीक्षा
पेपर 5th और 6th

जाने अपने यूपी को विनय सर के साथ.....

5 JUNE
11:30 AM
Online & Offline

4 Days
निःशुल्क सत्र

अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए
जल्द ही रजिस्ट्रेशन कराये।

A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow
0522-4045320, 7619903300

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & Ill Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744